बजट और गांव

कुरुक्षेत्र

जुलाई 1998

मूल्य : पांच रुपये

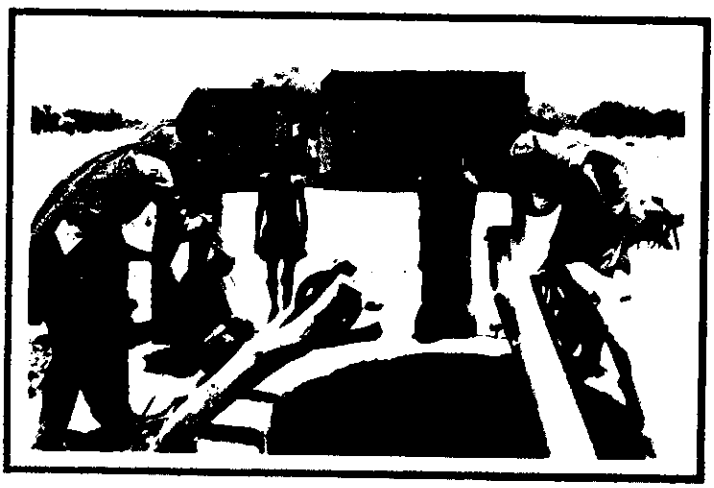

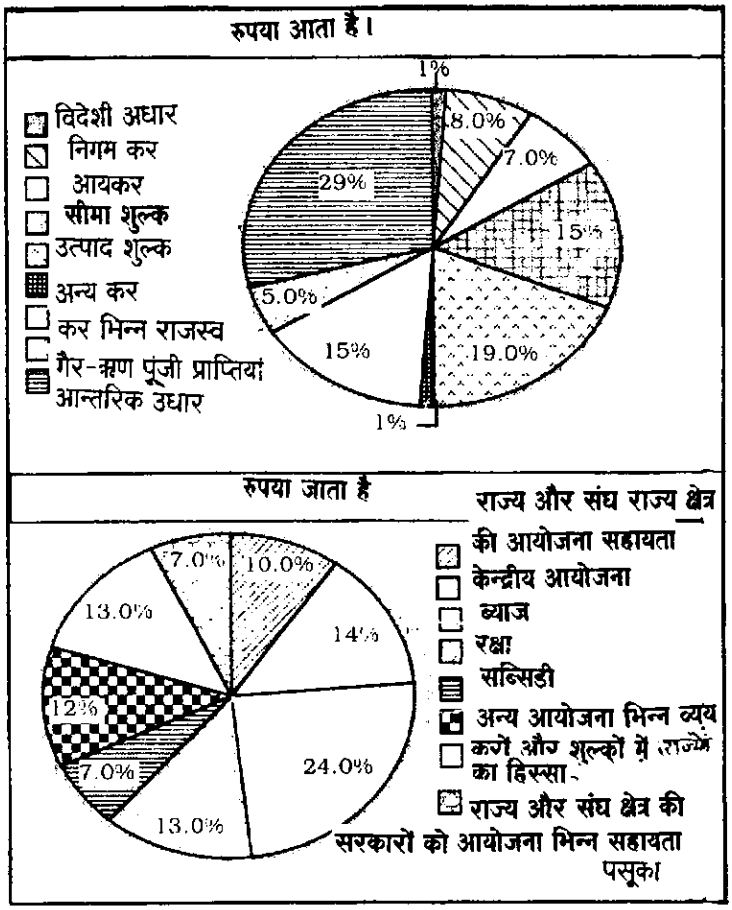

रुपया आता है।
1%
विदेशी अधार
निगम कर
आयकर
सीमा शुल्क
उत्पाद शुल्क
अन्य कर
कर भिन्न राजस्व
गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां
आन्तरिक उधार
8.0%
7.0%
15%
19.0%
1%
15%
5.0%
29%
रुपया जाता है
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजना सहायता
केन्द्रीय आयोजना
ब्याज
रक्षा
सब्सिडी
अन्य आयोजना भिन्न व्यय
करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा
राज्य और संघ क्षेत्र की सरकारों को आयोजना भिन्न सहायता
पसूका
7.0%
10.0%
13.0%
14%
12%
7.0%
24.0%
13.0%

केन्द्रीय आयोजना परिव्यय
कृषि व सामाजिक क्षेत्र
(करोड़ रुपए में)
कृषि व संबंधित क्षेत्र
2969
2756
3864
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण
323
268
374
सामाजिक सेवाएं
16010
13817
12115
ग्रामीण विकास
7691
6949
8182
: बजट अनमान - १९९७-९८
संशोधित अनमान- १९९७-९८
बजट अनुमान - १९९८-९९
पसूका

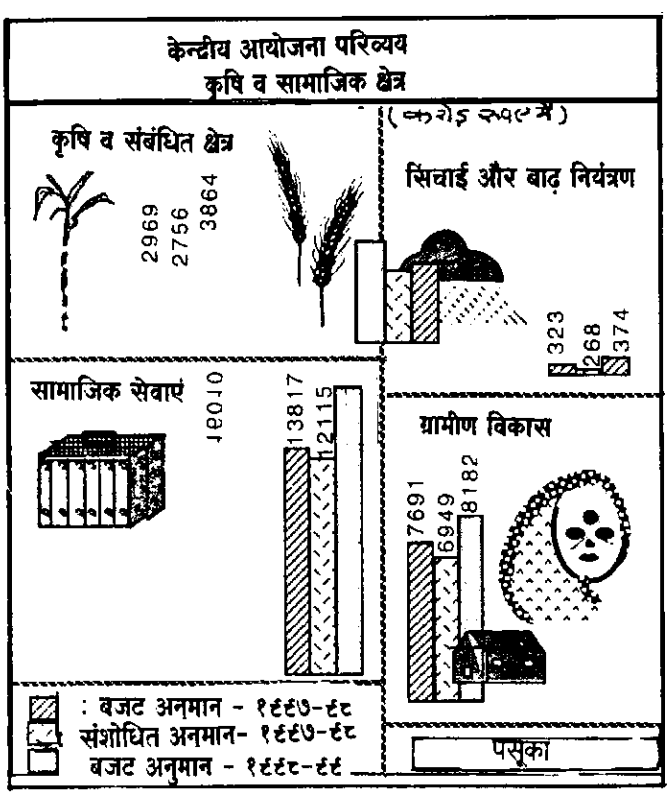

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय
की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष 43 | अंक 9 | आषाढ़-श्रावण 1920 | जुलाई 1998

कार्यकारी संपादक
बलदेव सिंह मदान

उप संपादक
रजनी

संपादकीय पता
संपादक, 'कुरुक्षेत्र', ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 3015014
फैक्स : 011-3015014
तार : ग्राम विकास

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन प्रबंधक
के.एस. जगन्नाथ राव

आवरण सज्जा
एम.एम. मलिक
सलिल शैल

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत, विज्ञापन और प्रसार संख्या प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक-4, लेवल-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 से करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक-4, लेवल-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 से संपर्क करें। फोन : 6105590

मूल्य एक प्रति : पांच रुपये
वार्षिक शुल्क : 50 रुपये
द्विवार्षिक : 95 रुपये
त्रिवार्षिक : 135 रुपये

हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

इस अंक में

- 1998-99 के बजट में ग्रामीण विकास — रामजी प्रसाद सिंह — 3
- बजट 1998-99 : ग्रामीण अभ्युदय का सपना — डा. कैलाश चन्द्र पपनै — 7
- नया बजट : कृषि में पूंजी निवेश और सब्सिडी — जितेन्द्र गुप्त — 10
- ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका — दिलीप शुक्ल — 12
- बजट और ग्रामीण विकास — नवीन पंत — 15
- नया बजट गांवों का चेहरा निखार देगा — वेद प्रकाश अरोड़ा — 18
- महिलाएं : गरीबी के अभिशाप से यूं मुक्ति पाएं — ममता भारती — 20
- परधानिन (कहानी) — विमलेश गंगवार 'दिपि' — 23
- सहकारिता : प्रबंध और नेतृत्व — डा. आर.एस. तिवारी — 25
- ग्रामीण समाज में मानसिक रोगों से संबंधित भ्रांतियां — सुधा — 28
- गांवों का दर्द : कर्ज — डा. मोहम्मद हारून — 30
- सहकारिता : बदलते आयाम में — लक्खी भूषण प्रसाद — 33
- ग्रामीण विकास और बैंक — बी.बी. मंसूरी — 35
- ग्राम राज्य (स्थायी स्तम्भ) — शशि सोनीपती — 37
- ग्रामीण विकास में बैंकों का योगदान — डा. पी.के. अग्रवाल — 39
- ग्रामीण विकास में युवाओं की भागीदारी — हरि विश्नोई — 43

पाठकों के विचार

नारी विकास के प्रयास अभी कोरी कल्पना

मार्च 1998 अंक में नारी चेतना और अस्मिता की पहचान का दिन, 8 मार्च पर आलेख वर्तमान समय में आधी आबादी की स्थिति और मनोदशा को प्रतिबिंबित करता है कि आज भी नारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने की आस में अंदर ही अंदर आत्म-पीड़ा का घूंट पी रही है। अगर ऐसी हालत न होती तो बारहवीं लोकसभा के चुनावों में पुरुष सदस्यों के अनुपात में महिलाएं दस प्रतिशत से भी कम न चुनी जातीं। इससे अन्य क्षेत्रों में महिला विकास का स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है और ऐसी दशा में यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि नारी विकास के प्रयास अभी मात्र कोरी कल्पना हैं।

श्यामानंद पांडेय, 'पांडेय कुंज', गौरी बाजार, देवरिया (उ.प्र.)

बाल भिक्षु प्रथा : बच्चों के लिए अभिशाप

कुरुक्षेत्र का फरवरी 1998 अंक पढ़ा। डा. रोहिणी प्रसाद जी का *बाल भिक्षु प्रथा* लेख सचमुच अपने आपमें एक कहानी कह रहा है और पढ़कर चौंका देने वाला है। वास्तव में भारत को स्वतंत्र हुए तो पचास वर्ष हो गए लेकिन गरीबों को अभी भी अपनी आज़ादी नहीं मिली। आज भी बाजारों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों में करीब 35 प्रतिशत बाल भिक्षु मिलेंगे जिनकी संख्या वास्तव में बहुत अधिक है। इस दिशा में सरकार को शीघ्र कदम उठाने चाहिए, जिससे ये बच्चे देश का भविष्य बन सकें। महेशचन्द्र जोशी की *बेटी* कहानी पढ़ी, वह भी बड़ी मर्मस्पर्शी थी। डा. महीपाल का *बच्चियों की दशा* नामक लेख अच्छा लगा। प्रमोद भार्गव का *घट रहा है पानी* लेख भी बहुत रोचक रहा।

ग्रामीण विकास एवं सामाजिक उत्थान समिति, मऊ, छत्रपति शाहू जी महराज नगर (उ.प्र.)

पंचायती राज के सफल संचालन का मार्गदर्शन

कुरुक्षेत्र का अप्रैल 1998 का अंक पंचायती राज व्यवस्था का न सिर्फ पांच वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है, बल्कि इस व्यवस्था के सफलीभूत होने के असंख्य और उपयोगी सुझाव भी देता है।

विद्वान लेखकों ने पंचायतों की जमीनी समस्याओं को बड़े स्पष्ट रूप में हमारे समक्ष रखा है। सबसे खुशी की बात यह है कि कई लेखों में कमियों के बावजूद 'पंचायती राज' के सफल संचालन की स्थिति दर्शाई गई है। मंजु पवार के लेख *महिला और पंचायत* ने कई ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों द्वारा पंचायतों के सफल संचालन की प्रेरणात्मक जानकारी दी। किसी भी व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु उसका वित्तीय दृष्टि से मजबूत होना एक अनिवार्य तत्व होता है। इस संदर्भ में प्रो. एस.एन. मिश्र के सुझाव पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मसलन उनका सुझाव है कि भू-राजस्व की वसूली का आधा हिस्सा, सांसदों व विधायकों का विकास कोष और अन्य स्थानीय करों आदि को पंचायतों को सुपुर्द करना।

आज पंचायती राज के प्रति समाज के सभी वर्गों का रचनात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है, तभी हम सत्ता के इस ग्रामोन्मुख विकेंद्रीकरण के इस दौर में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को पूर्णत: साकार कर पाएंगे।

रजनीश कुमार पाण्डेय, सी-244, गांधी विहार, आजादपुर, दिल्ली-110009

आत्मबल बढ़ाने वाली प्रेरणाओं को आत्मसात करना चाहिए

कुरुक्षेत्र के अप्रैल 1998 अंक में रचित श्री चित्रेश की लघुकथा *प्रेरणा* को पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। निश्चय ही हमें उन बातों को आत्मसात करना चाहिए जिसमें निहित किसी प्रेरणा द्वारा हमारे आत्मबल को बढ़ावा मिले। पंचायती राज व्यवस्था में कुछ कमियों को हम सुधारते हुए उसे और अच्छा बनाएं या आशा रखें। इस व्यवस्था से ही हम असुविधाभोगी व्यक्तियों की लाइन में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति को सर्वप्रथम सुख-सुविधा युक्त बना सकते हैं, जिसकी परिकल्पना हमारे मार्गदर्शकों ने की थी।

डा. आर.के. गुप्ता, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत-मण्डला, म.प्र.

महिला शिक्षा और अस्तित्व का भगवान ही मालिक

मार्च 1998 का *कुरुक्षेत्र* अंक पढ़ा। आशारानी व्होरा का लेख *नारी चेतना और अस्मिता की पहचान* पढ़ा। बहुत अच्छा लगा। स्वेता मिश्रा का *ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा संबंधी समस्याएं और समाधान* प्रसंग प्रशंसनीय हैं। संपूर्ण देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रोचक भाषणों तथा आकर्षक कार्यक्रमों से मनाया गया। लेकिन वास्तविकता कहां तक? यदि हम अंतरात्मा से पूछें कि क्या महिलाओं को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक हक वास्तव में दिए गए या क्रियान्वित हो पाए तो शायद .....। महिला शिक्षा का पक्ष कमजोर और विरोध सुदृढ़ रहा है।

कमला बी.आर. बंशीवाल, 19, परिहार नगर (भदवासिया), पो. कृषि उपजमंडी मंडोर, जोधपुर (राज.)

1998-99 के बजट में ग्रामीण विकास

रामजी प्रसाद सिंह

विगत 11 मई को भारत के आणविक-शक्तिसंपन्न देश के रूप में उदय के बाद पाकिस्तान, चीन, अमरीका, जापान और आस्ट्रेलिया की तीव्र प्रतिक्रिया को देखते हुए इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि सन् 1998-99 का बजट जन-साधारण के लिए अत्यंत बोझिल होगा। करों की संख्या बढ़ेगी और वर्तमान करों की दर में अप्रत्याशित वृद्धि होगी अथवा योजना-परिव्यय में कटौती होगी किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने अपने बजट प्रस्तावों में इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि अमरीका और उसके सहयोगी देशों द्वारा भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से कोई असाधारण विपत्ति आ पड़ेगी।

अपने प्रथम बजट के माध्यम से वाजपेयी सरकार ने भारत की अर्थ-व्यवस्था में गहरी आस्था व्यक्त की और देशवासियों को आश्वस्त किया कि अमरीका आदि देशों के नकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद भारत के आर्थिक विकास की गति कायम रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का भारत की अर्थ-व्यवस्था पर कोई खास असर नहीं होगा।

वित्त मंत्री ने कहा—"हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया के रंगमंच में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित होगा।" राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में उन्होंने आह्वान किया :

सेनानी करो प्रयाण अभय,
भावी इतिहास तुम्हारा है।
इस नखत अमां में डूब रहा,
सारा इतिहास तुम्हारा है।

सरकार ने रक्षा-परिव्यय में अत्यधिक वृद्धि की आशंका भी दूर कर दी। रक्षा-परिव्यय में केवल 14 प्रतिशत की वृद्धि की, जबकि चीन और पाकिस्तान अक्सर 14-15 प्रतिशत की बढ़ातरी करते आए हैं।

वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि बजट का निर्माण गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार समाज के निर्धनतम और दुर्बल वर्ग को ध्यान में रखकर किया गया है। स्वभावत: यह स्वदेशी मूलक है तथापि देश को मजबूत, आत्म-निर्भर और विश्व की प्रतिस्पर्द्धा के योग्य बनाने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से परहेज नहीं किया जाएगा।

ग्रामीण विकास

आधुनिक लड़ाइयों में केवल सैनिक ही भाग नहीं लेते। उनकी सफलता के लिए जरूरी है कि देश के कल-कारखानों में उत्पादन की रफ्तार तेज हो और खेत-खलिहानों में किसान और मजदूर एकजुट होकर काम करें ताकि देश आत्म-निर्भर हो।

इसीलिए 1962 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय-जवान, जय-किसान' का नारा दिया था। खेत-खलिहानों में उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया था। इसी भावना से प्रेरित होकर वाजपेयी सरकार ने 1998-99 के बजट में कृषि के योजना परिव्यय में 58 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के परिव्यय में करीब 19 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की।

वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि बजट का निर्माण गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार समाज के निर्धनतम और दुर्बल वर्ग को ध्यान में रखकर किया गया है। स्वभावत: यह स्वदेशी मूलक है तथापि देश को मजबूत, आत्म-निर्भर और विश्व की प्रतिस्पर्द्धा के योग्य बनाने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से परहेज नहीं किया जाएगा।

ग्रामीण विकास को देश की अर्थ-व्यवस्था की धुरी बताते हुए वित्त मंत्री ने कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की। इनमें राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की हिस्सा पूंजी में 500 करोड़ रुपये की वृद्धि उसकी ग्रामीण (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकास निधि में 2,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये करने और किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की योजना प्रमुख थी।

अन्य योजनाओं के विवरण इस प्रकार हैं :

- बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों को तीन मंत्रालयों के बजाय एक मंत्रालय को सुपुर्द करना तथा उनके योजना-परिव्यय को 517 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 677 करोड़ रुपये करना,
- किसानों से ऋणों की वसूली की प्रणाली को उदार बनाने के लिए बैंकों को नया दिशा-निर्देश देना,
- सहकारी समितियों पर से सरकारी वर्चस्व को कम करने के लिए सहकारिता कानून में संशोधन करना,
- कृषि उपकरणों और औजारों के निर्माण के लिए मध्यम और वृहद उद्योगों को छूट देना ताकि उनकी गुणवत्ता बढ़े और मूल्य स्थिर हों,
- तिलहन के लिए बायदा-बाजार शुरू करना ताकि किसानों को अधिक दाम मिले,
- अगले पांच वर्षों में सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चालू वर्ष में 1,627 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय पर एक लाख बस्तियों में पेयजल का स्रोत सुलभ कर त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाना,
- लघु उद्योगों को ऋणों की स्वीकृति के नियमों को सरल बनाना और बैंकों की शाखाओं को ऋण स्वीकार करने का अधिकार देना तथा सहायक उद्योग उपक्रम अधिनियम में संशोधन करना,
- चालू वर्ष में 20 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयां बनाना, जिनमें 13 लाख इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में हों,
- इंदिरा आवास योजना के लिए गत वर्ष 1,144 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,600 करोड़ रुपये का प्रावधान करना,
- राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए, उन्हें बाजार से ऋण प्राप्त करने का अधिकार देना तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान की गारंटी देना,
- बालकों को पांचवीं तक की तथा बालिकाओं को कालेज स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के संविधान के निर्देशों को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के बजट में डेढ़ गुणी वृद्धि,
- युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना तथा सामुदायिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पुनर्गठन कोर (वाहिनी) बनाना,
- चौबीस चुने हुए जिलों में एक अरब रुपये के परिव्यय पर एक नई फसल बीमा योजना लागू करना,
- कपास उत्पादकों की सहायता के लिए 60 करोड़ रुपये की लागत पर कपास प्रौद्योगिकी मिशन चालू करना,
- राष्ट्रीय उद्यानों और परियोजना क्षेत्रों की विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास की एक नई योजना शुरू करना,
- कृषि-वस्तुओं (खाद्यान्न छोड़कर) के निर्यात पर पाबंदियां हटाना,
- ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिए 265 करोड़ रुपये का आबंटन और
- अगले पांच वर्षों में कारीगरों, शिल्पियों और बुनकरों के 40 लाख परिवारों को दो लाख लघु उद्योग इकाइयां खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता देना।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि छठी योजना काल से ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए सरकार द्वारा जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं, उन्हें समन्वित करके केवल दो परियोजनाओं में बदल दिया जाएगा : पहली, स्वरोजगार की परियोजना और दूसरी, दिहाड़ी पर आधारित रोजगार की परियोजना। इससे कार्यान्वयन की जटिलताएं दूर होंगी और लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी।

निर्धनता-निवारण की इस संशोधित योजना के वित्त-पोषण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया ग्रामीण विकास तथा रोजगार मंत्रालय निर्धारित करेगा।

1998-99 के बजट में सरकार ने लघु उद्योगों की ऋण की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी कई तरह के प्रावधान किए हैं, क्योंकि लघु उद्योगों के विकास के बिना गांवों के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 40 प्रतिशत हिस्सा लघु उद्योगों से आता है। इसका 35 प्रतिशत हिस्सा निर्यात किया जाता है और यह 160 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है।

वित्त मंत्री ने यूरिया (उर्वरक) के दाम में एक रुपये प्रति किलो की वृद्धि कर किसानों को बोझ बढ़ाया था, किंतु उन्होंने यह तर्क दिया कि यूरिया के अत्यधिक उपयोग से जमीन की उर्वरा-शक्ति क्षीण हो रही है, इसलिए सरकार चाहती है कि किसान उसका कम प्रयोग करें और उसकी जगह जैविक खाद का प्रयोग करें। लेकिन बाद में यह वृद्धि वापस ले ली गई।

बजट में रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों, पर्यावरण की रक्षा करने वाली इकाइयों, महिला-कल्याण कार्यों में लगी संस्थाओं, सड़क दुर्घटना से बचाव का उपाय करने वालों, सहकारी समितियों के संवर्द्धन में रुचि लेने वाली संस्थाओं और विकलांगों के लिए भी करों में कुछ राहत की घोषणा की है। इससे प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री ने गत वर्ष विकास की दर में 5 प्रतिशत की गिरावट औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन की दर में ह्रास

सारणी 10.2

सामाजिक क्षेत्रों और ग्रामीण विकास की मुख्य स्कीमों के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय

(करोड़ रुपये)

मंत्रालय/विभाग/स्कीम	1990-91	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1. शिक्षा	887	1569	2504	2574	3351
जिसमें					
(क) प्राथमिक शिक्षा	224	511	1443	1567	2265
(ख) प्रौढ़ शिक्षा	131	211	170	112	81
2. स्वास्थ्य	255	599	649	818	918
3. परिवार कल्याण	785	1430	1506	1547	1829
4. महिला और बाल विकास	313	662	821	847	1026
जिसमें					
एकीकृत बाल विकास सेवाएं	258	537	669	682	834
5. कल्याण	366	804	940	890	804
6. ग्रामीण विकास	2975	7320	8248	7775	8290
जिसमें					
क) जवाहर रोजगार योजना	2001	3535	2955	1655	1953
ख) रोजगार बीमा रोजगार*	—	1140	1816	1840	1905
ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम+	—	—	550	550	490
घ) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	356	675	656	646	552
ङ) ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता	421	870	1170	1155	1402
च) इंदिरा आवास योजना++	—	—	492	1194	1144
छ) दस लाख कूप योजना++	—	—	211	388	373
7. अन्य कार्यक्रम					
क) नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.)	110	70	68	50	31
ख) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना (एस.ई.ई.यू.वाई.)	53	**			
ग) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.)	—	125	145	115	95
घ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना+++	—	—	—	—	103
(क) सामाजिक क्षेत्रों में मुख्य योजनाओं पर कुल केंद्रीय आयोजना परिव्यय (1-7)	5744	12579	14881	14616	16447
(ख) कुल योजना व्यय	29956	46 01	48684	54894	60630
(ग) कुल योजना व्यय के प्रतिशत के रूप में	19.17	25.80	30.57	26.63	27.13
(घ) सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में क (करोड़ रु.)	1.07	1.31	1.33	1.14	1.16

टिप्पणी :सभी वर्षों के आंकड़े संशोधित अनुमानों पर आधारित हैं।

* यह योजना 2 अक्तूबर 1993 को शुरू की गई।

** प्रधानमंत्री रोजगार योजना के साथ एकीकृत।

\+ इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 1995 को की गई।

++ इंदिरा आवास योजना और दस लाख कुंओं की योजना पहले जवाहर रोजगार योजना की उपयोजनाएं थीं। दिनांक 1.1.1996 से यह अलग योजनाएं बन गई हैं।

+++ यह योजना 1.12.1997 से संचालन में है।

स्रोत : बजट दस्तावेज और संबंधित विभाग

स्रोत : आर्थिक समीक्षा 1997-98, भारत सरकार

और खाद्यान्न उत्पादन में 50 लाख टन की कमी के बावजूद, चालू वित्त वर्ष के बजट में ग्रामीण आबादी और निर्धन तबके के लोगों को राहत देने में कोई कोताही नहीं की है।

बिजली उत्पादन की नई इकाइयों को सन् 2003 तक करों से मुक्त रखने की वित्त मंत्री की घोषणा का भी ग्रामीण क्षेत्रों को कुछ लाभ होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं, बच्चों, बाल-श्रमिकों आदि के लिए विद्यालय चलाने या अस्पताल खोलने वालों को भी आय-कर की छूट दी जाएगी। इसी तरह जैविक कीटनाशकों के आयात पर तट-कर में 25 प्रतिशत की छूट दी गई है।

सरकार ने दस अश्व-शक्ति (एच.पी. मान) के डीजल चालित ट्रैक्टरों और कुछ जूट उत्पादों पर करों में रियायत की घोषणा कर ग्रामीणों को विशेष राहत दी है।

वास्तव में, विदेशी सहायता की अनिश्चित स्थिति के बावजूद वाजपेयी सरकार ने कृषि-उत्पादन में गिरावट को थामने और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में, अपने पहले बजट के माध्यम से ठोस कदम उठाया है। इसका निश्चित रूप से लाभ होगा।

आधुनिक युग में विज्ञान के विकास के बिना प्रगति की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए वाजपेयी सरकार ने परमाणु-शक्ति विभाग के योजना-परिव्यय में 68 प्रतिशत, अंतरिक्ष विभाग में 62 प्रतिशत, पर्यावरण विभाग में 60 प्रतिशत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा-स्रोत विभाग में 100 प्रतिशत की वृद्धि की है।

देश की युवा-शक्ति के विकास के लिए वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय खेल कोष स्थापित करने की घोषणा की है और इस कोष में दान करने वालों को आय-कर में छूट का प्रावधान किया है। इस कोष से गांवों में भी खेल-कूद को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

निश्चित रूप से इस बजट को जमीन-मूलक करार दिया जा सकता है किन्तु बजट केवल एक दिशा का संकेत देता है। उसके परिणाम कार्यपालिका के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करते हैं। खासकर ग्रामीण विकास का काम राज्य सरकारों की कार्य-कुशलता और उसकी दक्षता पर निर्भर करेगा, क्योंकि ग्राम-स्तरीय कार्यों की देख-रेख राज्य सरकार करती है। राज्य सरकारों से यह उम्मीद की गई थी कि वे भी पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करके ग्रामीण विकास में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने की चेष्टा करेगी, किन्तु दुर्भाग्य से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अभी तक राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाया। कई राज्यों में 20 वर्षों से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं कराए गए हैं। जिन राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहां की पंचायती राज संस्थाओं को अभी तक राज्य सरकारें संविधान-सम्मत अधिकार नहीं दे पाई हैं।

ऐसी अवस्था में, यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्य सरकार एक बार फिर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के प्रश्न पर विचार करें ताकि वे चालू वर्ष के बजट में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। ❑

बजट 1998-99

ग्रामीण अभ्युदय का सपना

डा. कैलाश चन्द्र पपनै

केन्द्र में सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपने शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में योजना व्यय की 60 प्रतिशत राशि कृषि, ग्रामीण विकास तथा सिंचाई पर खर्च करने का वायदा किया था। यही वजह है कि वर्ष 1998-99 के केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास को विशेष महत्व मिलने के बारे में एक स्वाभाविक आशा उत्पन्न हुई। वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा द्वारा संसद में एक जून को पेश किए गए बजट ने इस आशा को कायम रखा है परंतु वर्ष के बाकी लगभग नौ महीनों में सचमुच यह बजट ग्रामीण विकास में क्या योगदान कर पाता है, इसका पता समय के साथ ही लगेगा। जहां तक वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा के इरादों का प्रश्न है, उन्होंने बजट के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए कृषि उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति को रोक कर विकास की गति में तेजी लाने और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य घोषित किया है।

अपने बजट भाषण में कृषि और ग्रामीण विकास का उल्लेख करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि, ''इस माननीय सदन को संबोधित करते हुए मेरे विचार भारत के दूर-दराज के गांवों और इन गांवों के करोड़ों मेहनतकश किसानों के चारों ओर घूम रहे हैं। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की स्थिति और उसकी गतिशीलता भारत की अर्थ-व्यवस्था और सामाजिक विकास की धुरी है।''

अपने उक्त विचारधारा के अनुरूप ही श्री सिन्हा ने न केवल ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के आयोजना व्यय में वृद्धि की है, वरन कृषि व सिंचाई योजनाओं के लिए भी अधिक धन की व्यवस्था की है। वित्त मंत्री ने आवास को राष्ट्रीय एजेंडा में दी गई प्राथमिकता के अनुरूप जिन 20 लाख मकानों के निर्माण की बात की, उनमें से 13 लाख मकानों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण व्यवस्था को व्यापक व पुख्ता बनाने के प्रयास भी इस बजट में परिलक्षित हुए हैं। इससे न केवल कृषि क्षेत्र में उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, वरन स्वरोजगार की गतिविधियों को भी ठोस आधार उपलब्ध हो सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक धनराशि

जैसाकि वित्त मंत्री ने कहा बजट के मुख्य उद्देश्यों में कृषि में गिरावट दूर करके तेजी लाना और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना शामिल है। इसी उद्देश्य के अनुरूप कृषि, सिंचाई, जल प्रबंधन, भूमि सुधार, कृषि अनुसंधान, पशुपालन और डेरी कार्यों तथा खाद और उर्वरकों की रियायती उपलब्धता जैसी मदों पर बजट में पहले से अधिक राशि आबंटित की गई है।

खाद और उर्वरक

जहां तक खाद और उर्वरकों का प्रश्न है, सरकारी सहायता को जारी रखा गया है। वित्त मंत्री ने विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए उत्पादकों को अदायगी की मद में बजट में 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। वित्त मंत्री ने यूरिया के बिक्री मूल्य में तत्काल प्रभाव से एक रुपया प्रति किलोग्राम की वृद्धि का प्रस्ताव किया। परंतु इस पर तुरंत ही चौतरफा आलोचना शुरू हो गई। लिहाजा सरकार ने इसे ध्यान में रखकर वृद्धि को घटाकर सिर्फ 50 पैसे प्रति किलोग्राम करने का इरादा जाहिर किया परंतु आलोचनाएं थमी नहीं और अंत में मूल्य वृद्धि पूर्णतः वापस ले ली गई। खेती में यूरिया के असंतुलित उपयोग की समस्या अपनी जगह बनी हुई है। यूरिया की कीमतों में वृद्धि का प्रस्ताव करते हुए वित्त मंत्री ने इस पर अपनी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि उर्वरकों के इस्तेमाल द्वारा अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए पोषण के सहायक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाशियम के प्रयोग में संतुलन लाया जाना चाहिए। अन्य उर्वरकों की तुलना में यूरिया की कीमत कम होने से यूरिया का उपयोग बढ़ा और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाशियम के उपयोग का संतुलन बिगड़ा है। इस संतुलन को ठीक रखने व यूरिया के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ही यूरिया की कीमतों में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया था। यह वृद्धि वापस लेने से यूरिया उर्वरक पर सरकारी सहायता में 6,600 करोड़ रुपये से भी अधिक का प्रावधान करना होगा। यदि वित्त मंत्री का मूल प्रस्ताव भी स्वीकृत होता तो यूरिया पर 6,000 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता देनी पड़ती।

सिंचाई को उच्च प्राथमिकता

खेती के समुचित विकास के लिए उर्वरक के साथ ही पानी की उचित व्यवस्था का विशेष महत्व है। वित्त मंत्री ने सिंचाई साधनों के अभाव की चर्चा करते हुए कहा कि विकास को इतने वर्षों के बाद भी हमारे कृषि योग्य क्षेत्र का केवल 37 प्रतिशत क्षेत्र ही निश्चित सिंचाई व्यवस्था से संपन्न है। हमारे अधिकांश निर्धन लोग वर्षा सिंचित क्षेत्रों में रहते हैं। वित्त मंत्री ने इन क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर निरंतर कृषि उत्पादकता में वृद्धि का प्रस्ताव किया है। देश के जिन इलाकों में 30 प्रतिशत से कम कृषि क्षेत्र को सिंचाई के सुनिश्चित साधन मिल रहे हों, वहां राष्ट्रीय जल संभरण विकास कार्यक्रम लागू है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में इस मद पर 268.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। गत वर्ष के बजट में इस मद पर 173.50 करोड़ रुपये का प्रावधान था। संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार इस मद पर सिर्फ 155 करोड़ रुपये खर्च हो पाएंगे। इसके साथ ही जल संभरण विकास परिषद के काम को भी जारी रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने जल संभरण विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करने का भी निश्चय किया है। इस पर आयोजना व्यय का आबंटन बढ़ाकर 677 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ग्रामीण जलापूर्ति के लिए एक नई योजना

पानी की आवश्यकता खेती के अलावा पेयजल के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार अगले पांच वर्षों में सभी ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण जलापूर्ति की एक बहुआयामी नीति अपनाई जा रही है। राज्यों को पेयजल आपूर्ति योजनाओं में सहायता के लिए शुरू की गई त्वरित जल आपूर्ति योजना के लिए 1,627 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। गत वर्ष के बजट में इस कार्य के लिए 1,302 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। वित्त मंत्री ने जल संभरण विकास कार्यक्रम पर विशेष बल देने का वायदा करते हुए कहा कि यह भूजल की उपलब्धता तथा संरक्षण के लिए भी बेहतर परिणाम सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा राज्यों को समुदाय आधारित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों को संस्थागत रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसमें ग्रामीण जलापूर्ति सुविधाओं का स्वामित्व रखने, उन्हें संचालित करने और उनका रख-रखाव करने में लाभार्थियों की भागीदारी प्राप्त की जाती है।

अपने बजट भाषण में कृषि और ग्रामीण विकास का उल्लेख करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि 'इस माननीय सदन को संबोधित करते हुए मेरे विचार भारत के दूर-दराज के गांवों और इन गांवों के करोड़ों मेहनतकश किसानों के चारों ओर घूम रहे हैं। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की स्थिति और उसकी गतिशीलता भारत की अर्थ-व्यवस्था और सामाजिक विकास की धुरी है।'

श्री यशवंत सिन्हा के बजट से इस बात का भी संकेत मिलता है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई, भूमि जल के उपयोग द्वारा सिंचाई सुविधा देने की योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। गंगा कल्याण योजना के नाम से पहली फरवरी 1997 को शुरू की गई इस योजना के लिए वर्ष 1997-98 के बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान था। परंतु अनुमान है कि इस वर्ष के दौरान इस योजना पर सिर्फ 100 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाएंगे। श्री यशवंत सिन्हा ने अब वर्ष 1998-99 के लिए इस मद पर सिर्फ 94 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की लाखों कुंएं बनाने की योजना के लिए भी आबंटन को प्राय: गत वर्ष के स्तर पर कायम रखा है। वर्ष 1997-98 के बजट में इस मद पर 448 करोड़ रुपये का प्रावधान था। संशोधित अनुमान के अनुसार इस योजना पर सिर्फ 373 करोड़ रुपये खर्च हो सकेंगे। परंतु वर्ष 1998-99 के बजट में इस मद पर 450 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

श्री यशवंत सिन्हा ने अपने बजट भाषण में ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के लिए आयोजना आबंटन राशि बढ़ाकर 9,912 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। वर्ष 1997-98 में इस मद पर 9,095.7 करोड़ रुपये का प्रावधान था।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो नई योजनाएं

वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, उनमें नई राष्ट्रीय कृषि नीति का दस्तावेज तैयार करना शामिल है। इसके माध्यम से किसानों के उत्पादों को व्यापक विश्व बाजारों तक अपनी पहुंच के लाभ प्राप्त हों। इसके अलावा वित्त मंत्री ने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की योजना भी शुरू की है। नाबार्ड किसानों की उत्पादक गतिविधियों में सहायक इस योजना का ब्योरा तैयार करेगा।

ग्रामीण ऋण एवं ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से वित्त मंत्री ने चौथी ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के आबंटन को बढ़ा कर 3,000 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। नाबार्ड की इस योजना के अंतर्गत आधारभूत संरचना के लिए राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन ग्रामीण अवसंरचना विकास निधियों के अंतर्गत 7,500 करोड़ रुपये की एक संचित निधि बनाई गई जिससे 25,000 से अधिक योजनाओं के वित्त पोषण में मदद मिली।

श्री सिन्हा ने नाबार्ड की शेयर पूंजी में 500 करोड़ रुपये की वृद्धि की घोषणा की। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है तथा 400 करोड़ रुपये का अंशदान रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और पूंजी आधार के लिए 265 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

ऋण वापसी की समस्या

किसान को दिए जाने वाले ऋणों की गंभीर समस्याओं की तरफ ध्यान देते हुए वित्त मंत्री ने कर्ज वापसी की संस्कृति में सुधार के अलावा ऐसी परिस्थितियां तैयार करने का संकल्प भी व्यक्त किया है जिससे किसी भी किसान को कर्ज वापसी में चूक के कारण जेल न जाना पड़े अथवा आत्महत्या के लिए विवश न होना पड़े। पुराने कर्जों के समस्यारहित निपटारे के बारे में भी रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को उपयुक्त दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। किसान को संचित ब्याज में राहत प्रदान की जाएगी।

कृषि सहकारी क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए एक नया आदर्श सहकारी कानून लाने का प्रस्ताव है ताकि राज्यों में भी अधिनियमों को तदनुरूप संशोधित किया जा सके।

स्वयं सहायता समूह

वित्त मंत्री ने ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए स्वरोजगार पर जोर दिया है। दस्तकारों, कारीगरों व बुनकरों के स्वयं-सहायता समूहों को ऋण देकर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में विस्तार का दायित्व नाबार्ड को सौंपा जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में दो लाख स्वयं-सहायता समूहों को मदद पहुंचाने का लक्ष्य है।

नई फसल बीमा योजना

वित्त मंत्री ने एक नई प्रायोगिक फसल बीमा योजना को 24 जिलों में लागू करने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। दूसरी तरफ पहले से चल रही फसल बीमा योजना, जो 19 राज्यों में चल रही है, के लिए बजट में सिर्फ 44 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है जबकि वर्ष 1997-98 के बजट में इसके लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था।

पशुपालन के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कुल योजना व्यय 98.34 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 156 करोड़ रुपये किया गया है। इसी प्रकार मत्स्य पालन के लिए भी आबंटन 156.90 करोड़ रुपये करके इसमें उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। ग्रामीण विद्यालयों, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा तथा कुटीर ज्योति कार्यक्रमों के माध्यम से गांवों की हालत सुधारने के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।

जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट के बारे में दावा किया कि इसके माध्यम से एक नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। निश्चय ही यात्रा लंबी है परंतु इसे निश्चित रूप से ग्रामीण भारत के उत्थान के लक्ष्य तक चलना ही होगा। इसके अलावा कोई वैकल्पिक समृद्धि मार्ग है भी नहीं। ❑

अब हर ग्राम विकास करेगा

सतीश चन्द्र श्रीवास्तव 'चन्द्र'

अब हर ग्राम विकास करेगा, कृषि-उद्योग बढ़ेंगे।
उत्पादन चहुं ओर बढ़ेगा, सपने सभी फलेंगे॥

हल कुदाल जब कुरुक्षेत्र में करतब दिखलायेंगे,
कर्मभूमि पर कर सुकर्म, श्रम सीकर बिखरायेंगे,
तभी मिलेगी जय, स्वराज होगा, हम होंगे राजा,
धर्म-राज होगा, स्वर्गिक सुख धरती पर लायेंगे।

नई योजना-नई नीति के तहत विकास करेंगे,
अब हर ग्राम विकास करेगा, कृषि उद्योग बढ़ेंगे॥

कृषि आधारित उद्योगों से आवश्यकता हल हो,
बेरोजगार-अपूर्ण रोजगारी मिटना संभव हो,
हो आर्थिक उत्थान, प्रगति का रथ गांवों में घूमे,
स्तर सुधरे जब जीवन का, तब हर योग सुफल हो।

अनुष्ठान सरकारी सहयोगों से सफल करेंगे,
अब हर ग्राम विकास करेगा, कृषि-उद्योग बढ़ेंगे॥

ग्राम्योदय अब होगा, हर झुग्गी संतुष्ट दिखेगी।
शिक्षा की हर घर आंगन में ज्योतित किरण पड़ेगी,
हाथ पसारेगा अब कोई नहीं किसी के आगे,
राष्ट्रीय ग्रामीण योजनाएं सहयोग करेंगी।

ग्रामीणों में उद्यमिता के नये बीज पनपेंगे,
अब हर ग्राम विकास करेगा, कृषि-उद्योग बढ़ेंगे॥

नया बजट :

कृषि में पूंजी निवेश और सब्सिडी

जितेन्द्र गुप्त

पिछले पचास वर्षों में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 52 प्रतिशत से घट कर तीस प्रतिशत रह गया है। कृषि पर निर्भर आबादी इसी अनुपात में नहीं घटी है। आज भी दो-तिहाई आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। यदि उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े होते तो खेती पर आबादी का इतना बोझ नहीं होता।

सिंचाई की स्थायी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में हरित क्रांति की लहर से प्रति एकड़ पैदावार बढ़ी और इन क्षेत्रों की खुशहाली में इजाफा हुआ मगर मानसून पर निर्भर क्षेत्र, खासकर अल्प या अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों के अनुकूल उन्नत बीजों और सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण ये क्षेत्र गरीबी वाले इलाके बन कर रह गए हैं।

सन् 80 और 90 के दशक में दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से उभरीं। एक, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक निवेश घटता चला गया। दूसरी ओर उर्वरक, बिजली तथा पानी लागत से कम कीमत पर और कर्ज कम ब्याज पर मुहैया कराने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की राशि इतनी अधिक हो गई है कि उसे चालू रखना कठिन हो चला है।

आरंभ में सब्सिडी उर्वरकों की खपत और उत्पादन बढ़ाने के लिए दी गई थी, लेकिन धीरे-धीरे उसका उपयोग महंगाई की दर नीची रखने और क्षतिपूर्ति के लिए किया जाने लगा। अर्थशास्त्री किरीट पारिख के शब्दों में "आर्थिक सुधार से पूर्व उद्योगों को संरक्षण देने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली व्यापारिक नीति के कारण कृषि क्षेत्र को तैयार माल अपेक्षतया महंगे दामों में खरीदना पड़ता। इसकी क्षतिपूर्ति के तौर पर खेती में काम आने वाली चीजों पर सब्सिडी दी जाती और समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा जाता। यह अनाज भी उपभोक्ता को सब्सिडी के कारण लागत से कम दाम पर दिया जाता। इस व्यवस्था के बावजूद कृषि क्षेत्र घाटे में रहा।" (इंडिया डेवलेपमेंट रिपोर्ट 1997, पृष्ठ 11)। 1991 के बाद कृषि क्षेत्र की स्थिति इस अर्थ में सुधरी है कि समर्थन मूल्य पहले की तरह हाथ सिकोड़ कर तय नहीं किया जाता और उद्योगों को मिलने वाला संरक्षण भी घटा है।

सब्सिडी घटाने की सोचना भी विस्फोटक राजनैतिक मुद्दा बन गया है। इस वर्ष के बजट में यूरिया का दाम एक रुपया प्रति किलो बढ़ाए जाने यानी सब्सिडी घटाने का इतना विरोध हुआ कि वित्तमंत्री ने संसद में घोषणा कर दी कि बढ़ोतरी वापस ले ली जाएगी। आमतौर पर बजट प्रस्तावों में ऐसे परिवर्तन बजट पर बहस के बाद किए जाते हैं। खेती की सब्सिडी अब आर्थिक औचित्य या अनौचित्य से अधिक चुनावी मुद्दा बन गया है। लोक लुभावन राजनीति का हिस्सा। पंजाब में किसान का लगान माफ और बिजली मुफ्त। क्या इस पैसे का बेहतर उपयोग नहीं हो सकता था?

वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को सब्सिडी घटाने में सफलता भले ही न मिले, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए उन्हें बहुतों ने बधाई दी है। कृषि मंत्रालय को आयोजना व्यय के लिए पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (18.07 अरब रुपये) से 58 प्रतिशत अधिक राशि (28.54 अरब रुपये) देने का प्रस्ताव किया गया है। यह वृद्धि भारत सरकार की कृषि नीति में परिवर्तन का प्रतीक है क्योंकि 1980-81 से सार्वजनिक निवेश का स्तर घटता रहा है। इस वर्ष 19 अरब रुपये का निवेश हुआ। 1980-81 की रुपये की क्रय शक्ति के आधार पर हिसाब लगाया जाए तो 1993-94 में केवल 13 अरब रुपये का सरकारी निवेश हुआ।

किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें उत्तम बीज, खाद, पानी, बिजली, वाजिब दर पर कर्ज की सुविधा मिलनी चाहिए। ये सुविधाएं देनी हैं तो सब्सिडी घटानी होगी। सब्सिडी घटती है तो अनाज और कृषि-जन्य पदार्थ महंगे होंगे, जिसके लिए आसानी से न कोई राजनैतिक दल तैयार होगा और न उपभोक्ता वर्ग। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरा लाभ गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी भले ही न उठा पाए, शहर और गांव के समर्थ और व्यापारी वर्ग के लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसका लाभ उठाते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश से नहरें बनती हैं और सिंचाई का मार्ग प्रशस्त होता है, गांवों में बिजली पहुंचती है, सड़कें बनती हैं, उत्तम बीजों का विकास होता है, बैंकों और सहकारी संस्थाओं की मार्फत समुचित ब्याज

दर पर पूंजी उधार पर मिलती है। निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश पूरक ही हो सकता है।

वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने अपने बजट में सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है: "हमारे कृषि योग्य क्षेत्र का केवल 37 प्रतिशत ही आश्वस्त सिंचाई के अंतर्गत है। हमारे अधिकांश निर्धन लोग वर्षा सिंचित क्षेत्रों में रहते हैं। जल भंडारण सुविधा से वर्षा सिंचित क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना और उसके द्वारा निरंतर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने का हमारा प्रस्ताव है। इस समय कई मंत्रालयों में फैले जल संग्रह क्षेत्र विकास कार्यक्रम एकीकृत किए जाएंगे और आयोजना आबंटन, वर्ष 1997-98 में संशोधित अनुमान को 517 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 677 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।" इसके अतिरिक्त त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए 1997-98 की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक राशि (16.27 अरब रुपये) रखी गई है।

वित्त मंत्री ने जल के बाद 'ग्रामीण ऋण' को और ग्रामीण आधारभूत संरचना को महत्व दिया है। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि से राज्य सरकारों को वित्त मुहैया कराया जाता है। चालू वर्ष में 25 करोड़ की जगह 30 करोड़ रुपये निधि के लिए दिए जाएंगे। यही नहीं, 'नाबार्ड' को अधिक सक्षम और कारगर बनाने के लिए उसकी शेयर पूंजी में पांच अरब रुपये की वृद्धि की जाएगी।

गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसके अधीन उत्पादक परिसंपत्ति के लिए कर्ज और सब्सिडी दी जाती है। लेकिन हर कार्यक्रम की अपनी सीमाएं और तौर-तरीके हैं। नाबार्ड ने अपना धंधा या उद्यम शुरू करने के लिए स्वयं-सहायता समूहों को कर्ज देने की एक सीमित स्कीम शुरू की थी। वित्त मंत्री ने नाबार्ड से कहा है कि इस वर्ष दस हजार स्वयं-सहायता समूहों को कर्ज दिए जाएं ताकि दो लाख परिवार लाभान्वित हो सकें।

नाबार्ड को क्रेडिट कार्ड जारी करने की स्कीम तैयार करने के लिए भी कहा गया है। इस कार्ड की मार्फत किसान उर्वरक, बीज और कीटनाशक आदि खरीद सकेगा और आवश्यकता होने पर कुछ नकदी भी उधार ले सकेगा।

क्षेत्रीय बैंकों के पुनर्गठन और उनका पूंजी आधार बढ़ाने के लिए 2.65 अरब रुपये का भी प्रावधान किया गया है। कई बार ऐसे कारणों से जो किसानों के बस में नहीं होते, ऋण की अदायगी समय पर नहीं हो पाती। उसके जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। सरकार ने रिजर्व बैंक से बकाया कर्जों के पुराने मामलों के समस्यारहित निपटारे के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए कहा है।

कृषिजन्य पदार्थों के व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध यथासंभव हटाए जाने चाहिए। वित्त मंत्री ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय अनाजों को छोड़कर अन्य जिंसों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों की समीक्षा कर रहा है। सरकार एक आदर्श सहकारी कानून बनाएगी ताकि कृषि संबंधी सहकारी संस्थाओं को नौकरशाही और राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप से निजात मिले।

काबरा समिति की सिफारिश के आधार पर वित्त मंत्री ने तिलहन, उनके तेल और खली में वायदा बाजार की अनुमति देने का फैसला किया है ताकि उनकी कीमतों में स्थिरता आए। उद्योग मंत्रालय की सिफारिश पर कृषि संबंधी उपकरणों और औजारों को लघु उद्योगों की आरक्षित मदों की सूची से निकालने का फैसला किया गया है।

कृषि में सार्वजनिक और निजी निवेश (अरब रुपये, 1980-81 की कीमतों पर)

वर्ष	कृषि में सकल पूंजी निर्माण	सार्वजनिक	निजी	सकल पूंजी निर्माण में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत
1980-81	48.64	18.92	29.72	17.09
1981-82	47.41	18.78	28.63	13.90
1982-83	48.65	18.57	30.08	14.66
1983-84	44.06	18.43	25.63	13.41
1984-85	48.88	18.22	30.66	14.63
1985-86	46.41	16.31	30.10	11.65
1986-87	43.60	15.50	28.10	10.85
1987-88	47.78	15.76	32.02	11.43
1988-89	47.34	14.82	32.52	9.47
1989-90	47.91	13.01	34.90	9.39
1990-91	50.76	13.15	37.61	8.74
1991-92	52.12	11.35	40.77	9.79
1992-93	58.70	11.77	46.93	9.31
1993-94	61.19	12.94	48.25	9.90
1994-95	64.27	—	—	—

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नेशनल एकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, 1996

पहले अनावृष्टि, फिर अति वृष्टि के कारण आंध्र और महाराष्ट्र के छोटे और मझोले कपास उत्पादकों की फसल में कीड़े लगे। किसानों ने उधार लेकर बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, पर फसल बच नहीं सकी। सैकड़ों किसानों ने कर्ज चुकाने का रास्ता न पाकर आत्महत्या कर ली। अगर उन्हें ऐसी परिस्थितियों से सामना करने की जानकारी देने की व्यवस्था होती तो कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग करने की नौबत न आई होती। पारंपरिक फसलें छोड़कर नकदी फसलें उगाने के लिए जिस सूचना तंत्र की आवश्यकता होती है, उसे इस देश में सरकार ही खड़ा कर सकती है। श्री सिन्हा के बजट में 'कपास प्रौद्योगिकी मिशन' चलाने के लिए 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

पिछले वर्षों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों का काफी विस्तार हुआ है। एकसूत्रता और समन्वय के अभाव में खर्च अधिक होता है, अव्यवस्था पैदा होती है और खर्च होने वाली रकम का अपेक्षित लाभ नहीं होता। इसलिए वित्तमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों को दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत शामिल करने का फैसला किया है। इन स्कीमों के निधि पोषण तथा संगठनात्मक ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

(शेष पृष्ठ 17 पर)

ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका

दिलीप शुक्ल

भारत का विकास गांवों के विकास के बिना संभव नहीं है। इस बात की पहचान सबसे पहले महात्मा गांधी ने की थी। उन्होंने देश के नेताओं तथा सरकार को सुझाव दिया था कि गांवों का विकास कृषि आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर किया जा सकता है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए सदैव एक चिंतनीय विषय रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी की ऋणग्रस्तता और पर्याप्त वित्तीय सुविधा न होने के कारण किसान कभी भी महाजन या साहूकार के जाल से मुक्त नहीं हो पाता है और न ही उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर पाता है। एक कहावत है—'भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही उसकी मृत्यु होती है।' सरकारी बैंकों द्वारा दी जाने वाली ग्रामीण साख व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना करके भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया। प्रारंभ में बैंकों की सेवाएं केवल बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित थीं और गांव पूर्णतया उपेक्षित थे। निजी बैंक कुछ गिने-चुने बड़े-बड़े उद्योगों को ही सहायता पहुंचाते थे। ऋणों के बीच जन्म लेने और मरने वाले ग्रामीण व्यक्तियों की अनेक समस्याओं का प्रमुख कारण आसान शर्तों पर पर्याप्त वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं का न होना था। सस्ती व पर्याप्त मात्रा में साख उपलब्ध न होने के कारण साहूकार ग्रामीण वित्त का प्रमुख स्रोत बने रहे। इनका प्रभाव कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त विस्तार के लिए सरकार ने समय-समय पर साख समितियों, सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की, लेकिन अनेक बाधाओं के कारण वित्त व्यवस्था का समुचित विस्तार न हो सका। आज राष्ट्रीय आय में कृषि और ग्रामोद्योग का 50 प्रतिशत से अधिक भाग है। कृषि कार्य भारत के अधिकांश लोगों के लिए जीविका का साधन है और उद्योग धंधों, व्यवसाय, व्यापार तथा रोजगार की दृष्टि से कृषि की देश की अर्थ-व्यवस्था में अहम भूमिका है। इसलिए कहा जाता है कि यदि हमें भारत को संपन्न, समृद्ध तथा प्रगतिशील बनाना है तो हमें गांवों को संपन्न, समृद्ध तथा प्रगतिशील बनाना होगा ताकि पिछड़ापन, निर्धनता, बेकारी और अर्द्ध-बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। आज हमारे देश के 95 प्रतिशत से अधिक गांव विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं। समस्याएं इतनी विकराल हैं कि अथक प्रयास के बाद भी उनमें अभी तक कोई विशिष्ट सुधार संभव नहीं हो पाया है। स्वाधीनता के पचास वर्षों बाद भी स्थिति दयनीय और शोचनीय है। आठ पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनेक प्रयास किए गए, पर अभी तक इन समस्याओं का कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है। इस योजना के तहत कृषि विकास दर 4.5 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है तथा विकास दर 7 प्रतिशत रखी गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना इस उद्देश्य को पाने में कहां तक सफल हो पाती है, इसका फैसला समय ही करेगा।

महत्वपूर्ण योगदान

बैंकिंग आयोग 1972 ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों की सहायता के लिए ग्रामीण बैंक स्थापित करने की सिफारिश की। सरकार ने 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश जारी करके पूरे देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। एक या दो जिलों तक सीमित कार्यक्षेत्र वाले इन बैंकों को 2 अक्तूबर 1975 से खोला गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और कारीगरों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है। इन बैंकों का उद्देश्य कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य का विकास तेज करना है। ये बैंक ग्रामीण बचतों को जमा करने और कृषकों की वित्तीय आवश्यकताओं के साथ-साथ सहायक बैंकिंग सेवाएं, गोदामों का निर्माण, कृषि साधनों की पूर्ति, कृषि विपणन में सहायता और ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण सहायक बैंकों के रूप में कार्य करते हैं। इन बैंकों द्वारा फसली ऋण, सिंचाई साधनों के लिए ऋण, पशुपालन, गोबर गैस या बायो गैस संयंत्र और टैंपो, रिक्शा आदि हेतु ऋण दिया जाता है। ये ऋण अधिकतर उत्पादन कार्य हेतु प्रदान किए जाते हैं। परंतु कुछ परिस्थितियों में गैर-उत्पादन कार्य हेतु भी दिए जाते हैं। यद्यपि इन ग्रामीण बैंकों का कार्यक्षेत्र सीमित होता है, इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। साथ ही इनसे लाभान्वित होने वाले व्यक्ति गैर-उद्यमी प्रकृति के होते हैं, परंतु इन बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करके अपने प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। स्थापना के 12-13 वर्षों में इनकी प्रगति सराहनीय रही। 1975 में इन बैंकों की संख्या 6 थी। यहां 1981 में 107 तथा 1987 में 196 ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे थे। इन ग्रामीण बैंकों की न केवल वृद्धि हुई है, वरन् भौगोलिक आकार में भी विस्तार हुआ है। अधिक से अधिक ग्रामीण निर्धनों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और इसे देश के कोने-कोने में पहुंचाने में भी सफलता प्राप्त हुई है। अब ये पूरे देश में फैले हुए हैं। ऋण देने में इन बैंकों का योगदान सराहनीय है, साथ-साथ उनकी प्राप्ति धनराशि में भी प्रगति हुई है। ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण अनेक उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। उनमें लघु व्यापार तथा रोजगार, कृषि की सहायक क्रियाओं, कृषि हेतु अल्पकालीन और दीर्घकालीन मुख्य हैं। लघु व्यापार तथा स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए इन बैंकों द्वारा सबसे अधिक ऋण दिया गया।

ग्रामीण बैंकों की प्रगति

वर्ष	ग्रा. बैंकों की सं.	जिले	शाखा की सं.	जमा राशि	प्रदत्त राशि	ऋण जमाराशि
1975	6	12	17	20	10	50
1976	40	84	489	777	772	92
1977	48	99	3,304	1,187	1,187	128
1978-79	51	102	1,753	7,411	12,202	165
1980	60	144	3,279	29,983	24,338	222
	85	182	4,795	33,600	40,659	221
1981	107	214	6,191	50,226	57,722	115
1982	124	265	7,795	67,785	75,084	211
1983	150	265	7,795	67,785	75,084	211
1984	173	307	10,245	95,997	1,08,077	113
1985	188	333	12,606	1,28,582	1,40,767	109
1986	194	351	12,838	1,71,492	1,78,484	204
1987	196	363	13,353	2,30,582	2,23,226	097

भूमि विकास बैंकों का योगदान

किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई। इन्हें पहले भूमि बंधक भी कहा जाता था। ये बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर स्थाई सुधार करने अथवा पुराने ऋणों का भुगतान करने आदि के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। इन बैंकों का ढांचा दो स्तर वाला होता है, राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक। कुछ राज्यों में जैसे—जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में यह ढांचा एकिक है—अर्थात वहां पर शीर्षस्थ भूमि विकास बैंक हैं जो जिला स्तर पर स्वयं अपनी शाखाओं द्वारा सीधे ही अपनी गतिविधियां संपन्न करते हैं। भूमि विकास बैंक अचल संपत्ति बंधक रखकर किसानों को ऋण प्रदान करते हैं। साधारणतया प्रतिभूति के मूल्य का 50 प्रतिशत ऋण दिया जाता है।

देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई। नाबार्ड की चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपये में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक का बराबर (50-50) का योगदान था। नाबार्ड की वर्तमान शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये है। वर्ष 1996-97 में इसे 500 करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और 100 करोड़ रुपये सरकार द्वारा दिए गए। 1997-98 में नाबार्ड की पूंजी 500 करोड़ रुपये और बढ़ा दी गई।

नाबार्ड ग्रामीण कृषि ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को वित्त सुविधाएं प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती हैं। अपनी ऋण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक, तथा अन्य एजेंसियों से धन प्राप्त करता है। यह केंद्र सरकार से गारंटी प्राप्त बांड तथा ऋण-पत्र प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय ग्रामीण साख निधि के संसाधनों का भी प्रयोग करता है। नाबार्ड द्वारा वाणिज्य बैंकों तथा ग्रामीण विकास बैंक को पुनर्वित सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि ये बैंक लघु सिंचाई, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फार्म यंत्रीकरण आदि के लिए ऋण दे सकें।

समस्याएं और सुझाव

समस्याएं : यह कहना सही है कि ग्रामीण विकास में बैंकों ने सफलता हासिल की है, परंतु यह समुचित नहीं है। ग्रामीण जनता आज भी अपनी बचतों को घरों में ही रखती है और उधार के लिए साहूकारों पर निर्भर है। इन बैंकों को आज भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें ऐसी जगहों पर अपनी शाखाएं खोलनी पड़ती हैं जहां यातायात, डाकघर, जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं और वहां शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधा न होने से क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान रखने वाले प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारी नहीं मिल पाते हैं। शहरों से गए कर्मचारी क्षेत्रीय समस्याओं से पूरी तरह परिचित न होने के कारण वास्तव में जरूरतमंद ग्रामीणों के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाते हैं। अधिकांश शहरी व्यक्ति गांवों में जाना पसंद नहीं करते हैं। ऋण वसूली न होना और समय पर ऋण अदायगी न होने के कारण बैंकों को भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारतीय किसान गरीब और ऋणग्रस्त होने के कारण समय पर ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं।

सुझाव : प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं :

- ऋणों की अदायगी की समस्या के निदान हेतु ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही हों और ऋणों के प्रयोग और वापसी पर नियंत्रण का सख्ती से पालन हो।
- इन बैंकों की बचत दरें डाकघरों की बचत दरों के बराबर होनी चाहिए जिससे प्रतियोगिता कम हो सके। इन्हें अपने घरेलू बचत खाते पर लाटरी द्वारा पुरस्कार देने की छूट देनी चाहिए।
- ऋण देने की औपचारिकताओं को न्यूनतम करना चाहिए, जिससे किसान साहूकारों पर निर्भर न रहें।

उपसंहार

भारत में योजनाबद्ध ग्रामीण विकास की राह अपनाए जाने के कारण विकास और विस्तार का महत्व बढ़ गया है। इन बैंकों के पूर्णतया सफल होने में समस्या इन बैंकों के कार्यों के ठीक प्रकार से क्रियान्वयन न होने की है। जिन उद्देश्यों व लक्ष्यों को लेकर इन बैंकों की स्थापना की गई है और जिन तरीकों तथा प्रक्रियाओं को अपनाया गया है, वह उचित होते हुए भी उचित क्रियान्वयन के अभाव में अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पा रहे हैं। क्रियान्वयन पक्ष को मजबूत तथा निष्पक्ष बनाया जाए और साथ ही ग्रामीण जनता की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए, तो ये बैंक ग्रामीण इलाकों का नक्शा ही नहीं बदल सकते बल्कि भारतीय गांवों को आर्थिक दृष्टि से संपन्न भी बना सकते हैं। ❑

आज ही मंगाएं

भारत
1998

पृष्ठ संख्या : 950 मूल्य : 220 रुपये

भारत सरकार का प्रामाणिक वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

● पुस्तकालयों ● पत्रकारों ● अनुसंधानकर्ताओं ● छात्रों और ● प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वालों के लिए एक आवश्यक ग्रंथ।

अपनी प्रति स्थानीय एजेंट से खरीदें अथवा निम्नलिखित पते पर मनीआर्डर/ड्राफ्ट/ पोस्टल आर्डर भेजकर मंगाएं।

व्यापार व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग, *सूचना और प्रसारण मंत्रालय,*

पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001

निम्नलिखित स्थानों पर भी उपलब्ध है :

प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्र :

पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली; सुपर बाजार कनाट प्लेस, नई दिल्ली; हाल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली; राजाजी भवन, चेन्नई; 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता; बिहार राज्य सहकारिता बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ पटना; गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुअनंतपुरम; 27/6, राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ; कामर्स हाउस, करीम भाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई; राज्य पुरातत्व संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन, हैदराबाद; प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला बंगलौर, सी.जी.ओ. कमपलेक्स, 'ए' विंग, ए.बी रोड, इंदौर; 80 मालवीय नगर, भोपाल; के-21, नंद निकेतन, मालवीय मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर।

बजट और ग्रामीण विकास

नवीन पंत

इधर हाल के वर्षों के दौरान किसी वित्त मंत्री को उन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा है, जिनका वर्तमान वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा को करना पड़ा है। 1997-98 में सकल विकास दर में केवल 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। देश का खाद्यान्न उत्पादन 1996-97 में 19 करोड़ 90 लाख टन से घटकर 1997-98 में 19 करोड़ 40 लाख टन ही रह गया। औद्योगिक उत्पादन की दर गिर कर 4.2 प्रतिशत हो गई। देश के निर्यात व्यापार में दूसरे वर्ष गिरावट आई और डालर मूल्यों में निर्यात की विकास दर तीन प्रतिशत रह गई। राजकोषीय घाटा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6.1 प्रतिशत हो गया। पूंजी बाजार में निराशा का वातावरण था और बुनियादी ढांचे में कमी के कारण अर्थ-व्यवस्था की प्रगति में पग-पग पर रुकावट आ रही थी।

मुश्किलें बढ़ाने के लिए अमरीका सहित कुछ देशों ने परमाणु बम बनाने की क्षमता प्राप्त करने के लिए भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये आर्थिक प्रतिबंध भारत की अर्थ-व्यवस्था को किस सीमा तक प्रभावित करेंगे। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इन प्रतिबंधों के कारण भारत को अगले कुछ वर्षों के दौरान 2 से 21 अरब डालर की विदेशी सहायता से हाथ धोना पड़ सकता है। अमरीका और उसके मित्र देशों के दबाव में विश्व बैंक ने इधर अपनी दो बैठकों में भारत को दिए जाने वाले ऋणों पर विचार करना स्थगित कर दिया है।

भारत ने यह जानते हुए कि परमाणु बम बनाने की क्षमता प्राप्त करने पर उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, परमाणु परीक्षण करने का निश्चय किया। इस प्रकार भारत आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करने को तैयार है। उसे विश्वास है कि उसकी अर्थ-व्यवस्था इतनी लचीली और विस्तृत है कि कुछ देशों द्वारा आर्थिक सहायता बंद किए जाने के बावजूद वह अपने साधनों से आगे बढ़ सकता है। इसके लिए उसे कमर कसनी होगी और लोगों को कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना होगा। स्वदेशी, स्वावलंबन और हिम्मत इस संघर्ष में हमारे मूल मंत्र होंगे।

हमारी अर्थ-व्यवस्था आज भी कृषि पर आधारित है। हम अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। कृषि क्षेत्र हमारे 64 प्रतिशत श्रमिकों को जीविका प्रदान करता है। वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा के शब्दों में "ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की स्थिति और उसकी गतिशीलता भारत की अर्थ-व्यवस्था तथा सामाजिक विकास की धुरी है।" अत: 1998-99 के बजट के मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ "कृषि में गिरावट को दूर करके तेजी लाना, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और उत्पादक रोजगार के अवसरों का तेजी से विस्तार करना है।"

सिंचाई के लिए अतिरिक्त 160 करोड़ रुपये

स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में सिंचाई-सुविधाओं में विस्तार के लिए बहुत कुछ किया गया है। जमीन की प्यास बुझाने और कृषि-उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश के अनेक राज्यों में विशाल बांधों का निर्माण किया गया। फिर भी अभी तक हम केवल अपनी 37 प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई-सुविधा प्रदान कर सके हैं।

हमारे अधिकांश किसान आज भी अच्छी फसल के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। सरकार ने बजट में इन किसानों की दशा सुधारने और इनको सिंचाई-सुविधा प्रदान करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का निश्चय किया है।

अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि हम खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्षा के जल का पूरा उपयोग नहीं करते। वर्षा ऋतु का अधिकांश जल यूं ही बह जाता है। दक्षिण के कुछ राज्यों में किसानों ने वर्षा के जल को पोखरों, तालाबों और छोटे बांधों में एकत्र करके चमत्कारिक नतीजे प्राप्त किए हैं। उन्होंने इस जल की सहायता से चरागाह और पंचायती वन विकसित किए हैं, खेतों में सिंचाई की है, मछली पालन शुरू किया है, फलों के बगीचे लगाए हैं और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

इस क्षेत्र में कुछ स्वयंसेवी संगठन भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ राज्यों में पानी के समान वितरण और अधिकतम उपयोग के लिए पानी पंचायतें भी बनाई गई हैं। ये पंचायतें किसानों को पानी की एक-एक बूंद का सदुपयोग करने की सलाह देती हैं। इसराइली वैज्ञानिकों ने जल का बेहतर उपयोग करके रेगिस्तानी इलाकों को 'नंदन कानन' में बदल दिया है।

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई के योगदान को सभी स्वीकार करते हैं। देश में कृषि भूमि का रकबा अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता लेकिन अपनी बढ़ती आबादी के लिए हमें अधिकाधिक खाद्यान्न चाहिए। हम अपना खाद्यान्न उत्पादन केवल सिंचाई-सुविधा बढ़ाकर, कुशल फसल चक्र और खेती की उन्नत विधियां अपनाकर बढ़ा सकते हैं।

सिंचाई योजनाओं को तीन तरह से वर्गीकृत किया जाता है, बड़ी, मझोली और छोटी। बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में अधिक समय और धन लगता है। इनकी तुलना में छोटी सिंचाई योजनाएं कम समय और कम धन में पूरी की जा सकती हैं। अत: सतही और भूमिगत जल के उपयोग के लिए छोटी सिंचाई परियोजनाएं बेहतर होती हैं। छोटी परियोजनाएं पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचातीं।

भूमिगत सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं—कुंएं, नलकूप और पंप सेट। सतही सिंचाई के अंतर्गत आते हैं—सरोवर, बांध, प्रवाह बदलने के लिए बनाई गई नहरें और 'लिफ्ट' सिंचाई योजना।

जहां संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए सिंचाई की तीनों तरह की योजनाएं हाथ में ली जाती हैं, वहां वर्तमान सरकार वर्षा से सिंचित क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। इन क्षेत्रों में सबसे गरीब वर्ग के किसान रहते हैं। वर्षा के जल को एकत्र करके इन क्षेत्रों की कायापलट की जा सकती है। इस समय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कई मंत्रालयों और विभागों में बंटा है। इन्हें एकीकृत किया जाएगा और इसके लिए आबंटित अनुमान को 517 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 677 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

किसानों को सिंचाई-सुविधा प्रदान करने और सिंचाई परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिए 1995-96 में नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि शुरू की गई थी। पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान इस मद में हर वर्ष 2,500 करोड़ रुपये दिए गए। इस वर्ष वित्त मंत्री ने इस मद को बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया है। सरकार ने नाबार्ड की शेयर पूंजी में 500 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का फैसला किया है। इसमें से केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपये और रिजर्व बैंक 400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगा। नाबार्ड की पूंजी बढ़ने से वह बाजार और वित्तीय संस्थाओं से अधिक संसाधन जुटा सकेगा और किसानों को अतिरिक्त ऋण दे सकेगा।

गांवों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी की समस्या है। इस समस्या को केवल लोगों को अपना रोजगार शुरू करने का प्रशिक्षण देकर और पूंजी उपलब्ध कराकर ही हल किया जा सकता है। कुछ समय पूर्व नाबार्ड ने छोटे उद्यमियों को सहायता देकर स्वयं-सहायता समूह गठित किए थे। वित्त मंत्री ने इस स्कीम का विस्तार करने का आदेश दिया है। इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष दो लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने वाले 10 हजार स्वयंसेवी समूह गठित किए जाएंगे और उन्हें मदद दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को ऐसे छोटे उद्यमियों की सहायता करने का निर्देश दिया है।

वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा के शब्दों में "ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की स्थिति और उसकी गतिशीलता भारत की अर्थ-व्यवस्था तथा सामाजिक विकास की धुरी है।" अत: 1998-99 के बजट के मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ "कृषि में गिरावट को दूर करके तेजी लाना, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और उत्पादक रोजगार के अवसरों का तेजी से विस्तार करना है।"

इस योजना से एक ओर गांवों से शहरों को लोगों का पलायन रुकेगा, तो दूसरी ओर हमारी प्राचीन परंपरागत दस्तकारी की रक्षा होने के साथ लोगों को घर पर ही आजीविका उपलब्ध होगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार को उद्यमियों के प्रशिक्षण और उनके द्वारा निर्मित सामान की बिक्री की व्यवस्था करनी होगी। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन उद्यमियों को कच्चा माल मुनासिब दामों पर उपलब्ध हो।

सरकार ने 1995-96 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अंतर्गत 1996-97 में राज्यों को 500 करोड़ रुपये केंद्रीय ऋण के रूप में मंजूर किए गए। पिछले वर्ष सरकार ने इस मद में 1,300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। इस वर्ष सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 1997-98 के संशोधित अनुमान की तुलना में प्रावधान में 58 प्रतिशत की वृद्धि की है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 265 करोड़ रुपये

सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वास और पुनर्पूंजीकरण के लिए 265 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इन ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों को इनके प्रबंध, संचालन और पुनर्गठन में अधिक भूमिका प्रदान की जा रही है। इन बैंकों से किसानों को अपनी आवश्यकता के ऋण उपलब्ध होंगे।

किसानों को अक्सर बकाया ऋणों के भुगतान में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। किसानों को कभी-कभी बकाया ऋणों का भुगतान न कर पाने के लिए जेल भी जाना पड़ता है। दबाव में ऋणग्रस्त किसानों के आत्महत्या करने के कुछ मामले भी हुए हैं। सरकार ऐसी परिस्थितियां पैदा करना चाहती है कि किसी भी किसान को बकाया ऋणों के भुगतान के लिए जेल न जाना पड़े या आत्महत्या न करनी पड़े। रिजर्व बैंक किसानों के पुराने बकाया ऋणों के कष्टरहित भुगतान के बारे में आदेश जारी करेगा। उपयुक्त मामलों में बैंक देय ब्याज पर उचित राहत भी प्रदान करेंगे।

किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड

नाबार्ड से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की आदर्श योजना तैयार करने को कहा गया है। ये कार्ड किसानों की जमीन के आधार पर जारी किए जाएंगे। किसान इन कार्डों से खेती के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं आदि खरीद सकेंगे और उत्पादक कार्यों के लिए नकद राशि भी प्राप्त कर सकेंगे।

इस समय कृषि जिन्सों के लाने-ले-जाने पर केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। सरकार इन सभी प्रतिबंधों की समीक्षा करने के बाद उन्हें समाप्त करने के पक्ष में है। इससे किसानों को अपनी उपज के लाभप्रद मूल्य मिलेंगे और उपभोक्ताओं को मुनासिब दामों पर खाद्यान्न आदि मिलेंगे।

सरकार देश की कृषि सहकारी समितियों को अधिक कुशल, कारगर और लाभप्रद बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इस समय ऐसी समितियों के काम-काज में नौकरशाह और राजनीतिज्ञ अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसे समाप्त करने और सहकारी समितियों के काम को अधिक गतिशील तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार नया कानून बनाने पर विचार कर रही है।

इस समय किसानों को अपने खेती के औजार-उपकरण आदि लघु-उद्योग क्षेत्र से खरीदने पड़ते हैं क्योंकि इन उपकरणों का निर्माण इसी क्षेत्र

के लिए आरक्षित है। किसानों की काफी पुरानी मांग थी कि उन्हें बेहतर और प्रतियोगी दरों पर खेती के उपकरण उपलब्ध कराने के लिए यह आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ा है। इसके लिए हमारे किसान और वैज्ञानिक, दोनों बधाई के पात्र हैं। देश में सक्षम तिलहन बाजार स्थापित करने और तिलहन मूल्यों की अस्थिरता को समाप्त करने के लिए सरकार ने खाद्य तिलहनों, उनके तेल और खली में भावी व्यापार शुरू करने की योजना बनाई है। आशा है कि इससे तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

शुद्ध पेयजल के लिए 325 करोड़ रुपये

शुद्ध पीने के पानी के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र के लोग अनेक किस्म की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। अत: सरकार ने अगले पांच वर्षों के दौरान सभी ग्रामीण बस्तियों में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का संकल्प किया है। इसके लिए ग्रामीण जल आपूर्ति की एक विशाल योजना बनाई गई है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए 1997-98 में निर्धारित राशि, 1,302 करोड़ रुपये में 325 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। 1,627 करोड़ रुपये की इस राशि से लगभग एक लाख बस्तियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख नए मकान

गांवों में अधिकांश किसान कच्चे मकानों अथवा झोपड़ियों में रहते हैं। इनमें से कुछ मकान बारिश, सर्द हवाओं और लू के थपेड़ों से लोगों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे में आवास समस्या के समाधान को उच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार वित्तीय संस्थाओं और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर इस समस्या को हल करना चाहती है। सरकार ने इस वर्ष 20 लाख नए आवास बनाने का फैसला किया है। इनमें से 13 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।

सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक से कहा है कि वह स्वर्ण जयंती आवास वित्त योजना के अंतर्गत इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख मकानों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करे। पिछले वर्ष 50 हजार मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी।

इंदिरा आवास योजना कार्यक्रम के लिए 1997-98 की आबंटित राशि 1,144 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 1,600 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ऋण के साथ-साथ सब्सिडी देने की भी व्यवस्था की जा रही है। आवास निर्माण के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) की शेयर पूंजी में 110 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। शेयर पूंजी में वृद्धि के बाद निगम आवास निर्माण के लिए अधिक साधन जुटा सकेगा।

आवास निर्माण के लिए अधिक राशि की व्यवस्था करके वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास की गति को तेज किया है। बड़ी संख्या में मकानों के निर्माण से सीमेंट और इस्पात उद्योग की मंदी दूर होगी, बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश में त्वरित विकास का माहौल पैदा होगा।

इस समय गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर पैदा करने की अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसके कारण अनावश्यक पुनरावृत्ति होती है, लागत बढ़ जाती है और क्षेत्रीय स्तर पर अव्यवस्था पैदा होती है। सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए इन समस्त योजनाओं को दो वर्गों में बांटने का निश्चय किया है--स्वरोजगार योजना और मजदूरी रोजगार योजना। इन योजनाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इनकी वित्त और संगठन व्यवस्था को भी युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

सरकार ने देश के चुने हुए 24 जिलों में फसल बीमा योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के लिए वित्त मंत्री ने एक अरब रुपये की व्यवस्था की है। सरकार ने कपास की खेती को बढ़ावा देने और लाभप्रद बनाने के लिए 60 करोड़ रुपये की लागत से एक टेक्नोलाजी मिशन शुरू करने का भी संकल्प किया है। ❑

(पृष्ठ 11 का शेष) **नया बजट : कृषि में पूंजी निवेश और सब्सिडी**

वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट भाषण में घोषणा की है कि कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री जल्द ही राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा करेंगे। किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें उत्तम बीज, खाद, पानी तथा बिजली वाजिब दर पर कर्ज की सुविधा मिलनी चाहिए। ये सुविधाएं देनी हैं तो सब्सिडी घटानी होगी। सब्सिडी घटती है तो अनाज और कृषिजन्य पदार्थ महंगे होंगे, जिसके लिए आसानी से न कोई राजनैतिक दल तैयार होगा और न उपभोक्ता वर्ग। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरा लाभ गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी भले ही न उठा पाए, शहर और गांव के समर्थ और व्यापारी वर्ग के लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसका लाभ उठाते हैं।

संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में सब्सिडी पर श्वेत-पत्र प्रकाशित हुआ था, मगर कौन-सी सब्सिडी कितनी और कैसे घटाई जाए, इस पर बहस की नौबत ही नहीं आई। सब्सिडी दे सकते हैं तो दीजिए, मगर बिजली और सिंचाई में पूंजी निवेश करते रहिए।

औद्योगिक सभ्यता की चकाचौंध में गांवों और कृषि की उपेक्षा दीर्घकाल तक नहीं की जा सकती। जहां विकसित देशों के विपरीत तीन-चार सौ साल तक ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का शोषण होता रहा है और जनसंख्या भी अधिक है। भारत की अर्थ-व्यवस्था कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ पाएगी।

खगोलीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद कृषि के ढांचे में परिवर्तन होंगे ही। बेहतर हो कि केंद्र सरकार मौजूदा स्थिति और परिवर्तन के तकाजों को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि नीति बनाए और उस पर अमल भी करे। ❑

नया बजट गांवों का चेहरा निखार देगा

वेद प्रकाश अरोड़ा

औद्योगिक मंदी, महंगाई के दौर, राजकोषीय घाटे के पसरते दायरे कुछ देशों के आर्थिक प्रतिबंधों की काली छाया और परमाणु विस्फोटों की गूंज के बीच तैयार किया गया भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सांझा सरकार का पहला बजट अगर मोटे तौर पर वर्तमान करों और कर प्रणाली को जारी रखते हुए जहां श्री चिदंबरम के बजट का पुट लिए है वहीं इसमें राष्ट्रीय एजेंडे और स्वदेशी की साफ छाप भी है। इसके साथ ही इस तथ्य को नकारना हकीकत से मुंह मोड़ना होगा कि यह बजट निरंतरता और न्यूनतनता का सुखद मिश्रण है। यह सभी रोगों की रामबाण औषधि तो नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी के शब्दों में क्रांति का बिगुल-वादक अवश्य है। उदारीकरण, निजीकरण और खगोलीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बीमा क्षेत्र के दरवाजे भारतीय निजी कंपनियों के प्रवेश के लिए खोल दिए गए हैं तथा प्रवासी भारतीयों के लिए पूंजी निवेश की सीमा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। इस सारी कार्रवाई में भारतीयता और स्वदेशी का रंग दिया गया है। कुछ आयात शुल्क बढ़ा कर भी देशी कंपनियों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन गाढ़े पसीने की कमाई से बचाई गई छोटी बचतों को डकारने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को स्वदेशी का सही अर्थ समझाने के लिए उन पर नियंत्रण का शिकंजा कस दिया गया है। विश्व भर में पेट्रोल मूल्यों में गिरावट के बावजूद एक लीटर पेट्रोल प्रति रुपया और महंगा कर देने की छीछालेदर भी हुई है क्योंकि डाकदरों और रेल भाड़े में वृद्धि तथा पहले से चली आ रही महंगाई की मार से जनसामान्य पहले ही परेशान है। तो भी इस बजट पर पत्थर कम और फूल अधिक बरसे हैं। आयकर लगाने के लिए आय की न्यूनतम सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने, एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों के लिए मानक कटौती की उच्चतम सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने और उपहार-कर समाप्त करने का स्वागत हुआ है। इसी तरह सड़क से माल की ढुलाई को सेवा-कर तथा बाहर खान-पान का प्रबंध करने वालों और पंडाल ठेकेदारों को सेवा-कर से मुक्त करने को भी सही दिशा में उठाया गया कदम कहा गया है। बजट को संतुलित रखते हुए जहां छोटे-बड़े उद्योगों को विभिन्न प्रोत्साहन तथा सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वहां ग्रामीण विकास, कृषि और कृषि-परक कुटीर एवं लघु उद्योगों की भरपूर सहायता के लिए कदम भी उठाए गए हैं।

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मजबूत बनाने का इरादा

असल में वर्तमान बजट में किसान, गांव और ग्रामीण अर्थतंत्र तथा उसके बुनियादी ढांचे की दशा सुधारने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसमें दस मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए आरंभ में ही कहा गया है कि अनिश्चित बाहरी वातावरण का कारगर तरीके से सामना करने के लिए भारतीय अर्थतंत्र की बुनियाद मजबूत करनी होगी तथा कृषि में गिरावट का क्रम उलटना और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। इसके अलावा दसवें और अंतिम उद्देश्य में कहा है कि जमीन, श्रम और पूंजी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुधार किए जाएंगे। वित्त मंत्री का सबसे पहला ध्यान भारत के दूर-दराज के गांवों और खेत-खलिहानों में खून-पसीना एक कर रहे किसानों की ओर गया है। उन्हीं के शब्दों में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का स्वास्थ्य और गतिशीलता, भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की धुरी है। कुछ क्षेत्रों में यूरिया उर्वरक का मूल्य बढ़ाए जाने पर बजट को किसान विरोधी कहा गया था लेकिन बाद में इसे पूरी तरह हटा लिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। गांवों और किसानों के लिए ढेर सारे कल्याण कार्यों को देखते हुए इसे किसानी बजट कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा।

ग्रामीणों के चेहरे पर मुसकान लाने का प्रयास

बजट में जहां शिक्षा मद में लगभग 50 प्रतिशत, कल्याण मंत्रालय की राशि 91 प्रतिशत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना राशि 34 प्रतिशत बढ़ा कर, उद्योग क्षेत्र में इन्स्पेक्टरी राज समाप्त कर तथा सिगरेट महंगी लेकिन कुटीर उद्योग में बनी माचिस सस्ती कर मानवीय चेहरे को उभारा गया है, वहां कृषि मंत्रालय की योजना राशि 58 प्रतिशत बढ़ाकर, जनजातीय उप-योजना के लिए केंद्रीय सहायता 50 करोड़ रुपये बढ़ा कर और ग्रामीण क्षेत्रों तथा रोजगार के लिए 1,556 करोड़ रुपये बढ़ाकर बेरोजगारों, आदिवासियों तथा किसानों के चेहरों पर मुसकान लाने का प्रयास किया गया है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि खाद्य, चीनी, बिजली और उर्वरकों पर सब्सिडी जारी ही नहीं रखी गई, बल्कि चीनी के लिए 400 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। फास्फेटी और पोटाशी उर्वरकों पर सब्सिडी की राशि 2,600 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 3,000 करोड़ रुपये कर दी गई है। अधिकतम फसल लेने के लिए यूरिया, फास्फेटी और पोटाशी उर्वरकों का प्रयोग एक निश्चित अनुपात में करना होता है, लेकिन यूरिया सस्ता होने के कारण उसे अनुपात से अधिक डाल दिया जाता है, जो कायदे से ठीक नहीं होता। सरकार ने संतुलन को बहाल करने के लिए यूरिया का मूल्य मात्र 50 पैसे प्रति

किलोग्राम बढ़ाने का फैसला किया था, जिसे बाद में हटा लिए जाने की घोषणा कर दी गई। मूल बजट में यह वृद्धि एक रुपये प्रति किलोग्राम थी।

किसानों के हित में बजट में एक कदम यह उठाया गया है कि किसानों को पुराने कर्जों के भुगतान में चूक के लिए जेल न जाना पड़े, या आत्महत्या के लिए विवश न होना पड़े, जैसा कि इधर कुछ राज्यों में हुआ है। इसके लिए रिजर्व बैंक ने इन कर्जों के निपटारे के लिए बैंकों को कदम उठाने के निर्देश जारी करने का निर्णय किया है। इतना ही नहीं, किसानों को उनके चकों या भूखंडों के अनुसार बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाओं जैसी कृषि में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं की खरीद तथा उत्पादन की अपनी आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) किसान क्रेडिट कार्ड देगा, जिससे वे नकद राशि हासिल कर सकेंगे।

राष्ट्रीय कृषि नीति

सरकार ने कृषि उत्पादों की पैदावार, विपणन और आवाजाही में रुकावटें दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति दस्तावेज जल्द जारी करने की घोषणा की है। अनाजों को छोड़ कर अन्य सभी कृषि उत्पादों के नियंत्रण पर लगे प्रतिबंधों की समीक्षा कर विश्व बाजार में उन्हें भेजने-बेचने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने यह सिफारिश मान ली है कि किसानों को खेती उपकरणों और औजारों को स्पर्धात्मक मूल्य पर कहीं से भी खरीदने तथा बिक्री के बाद की सेवा का लाभ उठाने की छूट दी जाए। पहले ये उपकरण केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही बनाए जाते थे। सरकार तिलहनों के मूल्यों में अस्थिरता कम करने और इनका एक सक्षम बाजार बनाने के उद्देश्य से खाद्य तिलहनों, उनके तेलों और खली का भावी बाजार शुरू करने की योजना बना रही है, जो किसानों के लिए सुखद समाचार है। सरकार संशोधित फसल बीमा योजना भी तैयार कर रही है। यह बीमा-योजना सभी फसलों के लिए होगी और इसमें गांव को इकाई मान कर कार्रवाई की जाएगी।

इसमें दस मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए आरंभ में ही कहा गया है कि अनिश्चित बाहरी वातावरण का कारगर तरीके से सामना करने के लिए भारतीय अर्थतंत्र की बुनियाद मजबूत करनी होगी तथा कृषि में गिरावट का क्रम उलटना और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। इसके अलावा दसवें और अंतिम उद्देश्य में कहा है कि जमीन, श्रम और पूंजी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुधार किए जाएंगे।

जल संभरण को प्राथमिकता

अभी तक हमारी खेती योग्य भूमि के लिए केवल 37 प्रतिशत में ही सिंचाई का सुनिश्चित प्रबंध है। दूसरी तरफ देश के निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग वर्षा पर निर्भर क्षेत्र में रहता है। अब जल भंडारण सुविधा के आधार पर इन क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा कृषि उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जाएगी। जल संभरण विकास कार्यक्रम जो अभी कई मंत्रालयों और विभागों में बंटे हुए हैं, एकीकृत कर दिए जाएंगे तथा इनके लिए योजना-आबंटन 517 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 677 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ लगभग एक लाख बस्तियों को मिलेगा।

बेरोज़गारी की समस्या पर ध्यान

जहां तक बुनियादी ढांचे का संबंध है, उसके विकास के लिए वार्षिक राशि 2,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपये कर दी जाएगी। इसके लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष बना हुआ है जिसका प्रबंध नाबार्ड के हाथ में है। अब नाबार्ड की शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये और बढ़ा दी जाएगी। नाबार्ड ने पहले छोटे उद्यमियों को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वयं-सहायता समूहों को बढ़ावा देने की एक सीमित योजना आरंभ की थी, अब इसका काफी विस्तार किया जाएगा। छोटी ऋण राशियां देने की इस योजना से इस वर्ष 10 हजार स्वयं-सहायता समूहों की मदद की जाएगी जिसका लाभ दो लाख परिवारों को मिल सकेगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण बेरोज़गारी और कम रोजगार की समस्या का समाधान स्वरोजगार के जरिये करना है। इसके द्वारा ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी कि प्रत्येक दस्तकार, कारीगर और बुनकर एक छोटा उद्यमी बनकर अपना कारोबार ठीक से चला सके।

बजट में देहाती इलाकों में मकानों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। यह सहायता स्वर्ण जयंती आवास वित्त स्कीम के अंतर्गत दी जाएगी। इस वर्ष शहरी इलाकों में जहां सात लाख नए मकान बनाए जाएंगे, वहां देहाती इलाकों में इनकी संख्या 20 लाख से अधिक होगी। उधर इंदिरा आवास योजना के लिए भी बजट प्रावधान 1,144 करोड़ से बढ़ाकर 1,600 करोड़ रुपये कर दिया गया है। संक्षेप में कह सकते हैं कि यह बजट गांवों और किसानों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता हुआ उनकी राहों को एक नए आलोक से भर देगा और ग्रामीण क्षेत्रों में एक नए जीवन का संचार करेगा। ❑

मधुमक्खियां केवल अंधेरे में काम करती हैं। विचार केवल मौन में काम करते हैं, नेक काम भी गुप्त रह कर ही कारगर होते हैं।

—कार्लाइल

महिलाएं : गरीबी के अभिशाप से यूं मुक्ति पाएं

ममता भारती

हमारे देश में उन ग्रामीण, अशिक्षित और असंगठित महिलाओं की तादाद करोड़ों में है जो गरीब और अभावग्रस्त हैं। उन पर सिर्फ कोरी चिंता या नुक्ताचीनी करते रहने से बेहतर है कि समस्या के मूल कारण खोजे जाएं। समाधान के सभी मौजूदा उपायों पर रोशनी डाली जाए ताकि जरूरतमंद महिलाएं उन तरीकों का सही इस्तेमाल कर गरीबी के अभिशाप से खुद मुक्ति पा सकें। ऐसा करना कठिन तो हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। वे जो मेहनत-मजदूरी करती हैं, रोज-रोज शराबी पति और उसकी पिटाई को सहन करती हैं लेकिन घर चलाती हैं, उनमें अधिकांश अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए सदैव सचेष्ट दिखाई देती हैं। यदि हम आज उन्हें प्रकाश की एक किरण भी दिखा दें तो लगता है कि आगे का रास्ता वे खुद तय कर लेंगी।

कहते हैं कि 'दरिद्रता वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप होती है।' महिलाओं में व्याप्त गरीबी का कष्टकारी नरक अशिक्षा और संकोच ने रचा है। आलस्य, अज्ञान और अकर्मण्यता ने निर्धनता को आगे बढ़ाया है। अत: इस कुचक्र को तोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं के रोजगार और प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाए। खासकर संपत्ति-विहीन निर्धन महिलाओं को कौशल-विकास के अवसर मिलें ताकि वे सचेत और संगठित होकर आगे बढ़ सकें। श्री महिला गृह उद्योग (लिज्जत पापड़) जैसे राष्ट्रव्यापी उदाहरण इस दिशा में विशेष रूप से मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं। यह प्रयास गैर-सरकारी क्षेत्र में है। स्वतंत्रता के रजत जयंती वर्ष में महिलाओं को शक्ति-संपन्न बनाने की दिशा में कई कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र में शुरू हुए हैं ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं को नए-नए अवसर तथा उनकी जानकारी प्राप्त हो सके। भारत सरकार के महिला तथा बाल विकास विभाग के अनुसार अब तक 2.60 लाख महिलाएं 'स्टेप प्रोग्राम' का लाभ उठा चुकी हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं के रोजगार तथा उनके लिए उपयोगी ट्रेनिंग आदि पर विशेष रूप से बल दिया जाता है।

अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम, लखनऊ द्वारा मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा पारसी समुदाय की गरीब महिलाओं को चिकन कढ़ाई तथा सिलाई-कढ़ाई ट्रेड में छह माह का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। पूरी जानकारी निगम के जिला स्थित कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। देश में चल रही ऐसी योजनाओं को सरकारी पैबंद तो कहा जा सकता है, लेकिन निर्धनता दूर करने के अवसर महिलाओं के लिए कम उपलब्ध हैं। अपने देश में हरियाणा, पंजाब और केरल जैसे राज्य भी हैं, जहां गरीबी का स्तर सबसे कम है। जब वहां शिक्षा के कारण संपन्नता बढ़ी है, तो अन्य इलाकों में भी बढ़ सकती है। जरूरत उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की है। विकास योजना में ग्राम सेविकाओं की मदद से 10-15 निर्धन ग्रामीण महिलाएं समूह बनाकर अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं। सरकार कच्चे माल हेतु 25 हजार रुपये की सरकारी सहायता देती है। तैयार माल की बिक्री में भी सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना से 193 हजार समूहों की 32 लाख महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं।

गरीब युवतियां ट्राइसेम योजना में ट्रेनिंग लेकर लाभ उठा सकती हैं। इसमें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के युवक-युवतियों को जनरल मैकेनिक, हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, टाइपिंग, इलैक्ट्रानिक तथा कंप्यूटर कोर्स आदि का प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जाता है। बाद में मुफ्त टूल किट योजना में एक हजार रुपये के औजार 80 प्रतिशत छूट पर, मात्र 200 रुपये में दिए जाते हैं ताकि लाभार्थी गांव में रहकर अपना रोजगार कर सकें। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के नेहरू युवा केंद्र तथा राज्य सरकार के युवा कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी उठाया जा सकता है। गांवों में महिला मंगल दल तथा प्रादेशिक रक्षा दल के अतिरिक्त महिला होमगार्ड के रूप में भी ग्रामीण महिलाओं को अवसर उपलब्ध हैं। साहसी महिलाओं के लिए अब पुलिस, पी.ए.सी. तथा सेना के अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्स, मिड वाइफ आदि के रूप में सेवा के अवसर तेजी से बढ़े हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम प्रधान या ब्लाक के दफ्तरों से विस्तारपूर्वक प्राप्त की जा सकती है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में गरीब गृहणियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। परिवार में मुखिया की स्वाभाविक मृत्यु पर पांच हजार तथा दुर्घटना में दस हजार रुपये की आर्थिक मदद सरकार से मिलती है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में शिशुओं को जन्म देने पर दो बार तक 300 रुपये तथा लड़की के नाम पर 500 रुपये मिलते हैं। हमारे देश की कुल महिलाओं में 80 प्रतिशत आबादी विपन्नता की स्थिति में जी रही है,

जिसमें से 40 प्रतिशत महिलाएं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करती हैं। अर्थात उनके परिवार की वार्षिक आय 12 हजार रुपये से भी कम है। अनुसूचित जाति, जनजाति की सदस्य महिलाओं तथा अस्वच्छ व्यवसायों में लगे परिवारों की स्थिति ज्यादा खराब है। वे आज भी पंखे, टोकरी, चटाई और रस्सी बनाकर अपनी जिंदगी बसर करती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में चल रही सहकारी समितियां, वर्दी सिलने, जड़ी-बूटियों का संग्रह करने तथा अन्य श्रम साध्य कार्य करने पर अपने सदस्यों को औसत से भी कम प्रतिफल प्रदान करती हैं। यह शोषण समाप्त होना चाहिए।

हमारी अज्ञानता और हमारी लापरवाही भी गरीबी के कारण रहे हैं। औरतों की गरीबी दूर करने का एक उपाय यह भी है कि आय वृद्धि के कौशल का विकास किया जाए। हस्तकौशल के प्रति महिलाओं में वैसे भी अधिक रुचि होती है। जरूरत है कि उसे और अधिक बेहतर बनाया जाए। विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) भारत सरकार द्वारा जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से प्रतिवर्ष चयनित हस्तशिल्पियों को ऋण, अनुदान और राष्ट्रीय स्तर के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के कौशल विकास पर विशेष बल देना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1996-97 के दौरान कुल जितने लोगों को कौशल-प्रशिक्षण दिया गया, उनमें 3.24 लाख महिलाएं थीं। उत्तर प्रदेश महिला निगम, लखनऊ द्वारा कार्यालय प्रबंध के लिए नौ माह का नि:शुल्क प्रशिक्षण गरीब, विधवा तथा परित्यक्ताओं को दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में 250 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

गरीब महिलाओं को उनकी आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला कोष के नाम से भारत सरकार द्वारा एक संस्था गठित की गई थी। यह संस्था समाजसेवी संगठनों तथा सहकारी समितियों के माध्यम से आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करती है। फिलहाल इस महिला कोष द्वारा देश भर में राज्य स्तर पर बैठकें चल रही हैं, जिनमें उन गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया है जिनका या तो समाज सेवा का अनुभव रहा हो अथवा स्वसहाय दलों के गठन, बचत तथा लघु ऋण वितरण कार्य उनके द्वारा किया गया हो। इच्छुक महिलाएं अथवा संस्थाएं राष्ट्रीय महिला कोष के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से संपर्क कर सकती हैं। कोष की कार्यशालाओं में आमंत्रित महिलाओं की भागीदारी के उद्देश्य से मार्ग आदि के व्यय का भुगतान किया जाता है। जल्दी ही यह कोष महिलाओं की गरीबी दूर करने की दिशा में अग्रणी सिद्ध होगा।

गौरतलब है कि विभिन्न संसाधनों पर गरीब महिलाओं के नियंत्रण हेतु उनकी प्रबंधन क्षमता तथा तकनीकी कुशलता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष परियोजना बनाई जा रही है। विश्व बैंक द्वारा भारत को इस परियोजना के लिए 95 लाख डालर का ऋण स्वीकृत हुआ है। यह विशाल धनराशि भी देश की गरीब महिलाओं को ही दी जाएगी। लेकिन इन नई योजनाओं को पूरा करने तथा लाभ उठाने के लिए जहां जरूरतमंद महिलाओं का जागरूक होना आवश्यक है, वहीं ऋण देने वाली एजेंसियों को अपनी जटिल प्रक्रियाओं को बदल कर सरल बनाना होगा। दूसरी ओर महिलाओं को नई टेक्नोलाजी का पूरा लाभ उठाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाना होगा। गांव में रहने वाली भूमिहीन या श्रमिक महिलाओं तथा शहरों में रहने वाली गरीब महिलाओं के दैनिक जीवन में नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर जनवरी 1998 के शुरू में एक कार्यशाला, भारत सरकार तथा कामन वैल्थ सचिवालय के संयुक्त तत्वाधान में हुई थी जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाया जाना जरूरी है।

पिछले साल के अंत में देश की राजधानी में एक महिला सम्मेलन हुआ था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इसके उद्घाटन के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन की पत्नी श्रीमती ऊषा नारायणन ने बैंकिंग संस्थाओं द्वारा महिलाओं को ऋण देने के मौजूदा ढंग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, "उन्हें पक्षपातपूर्ण भावनाओं को त्यागते हुए महिलाओं में व्यवसाय संबंधी भावना को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना होगा। नाबार्ड जैसी कुछ संस्थाएं अपनी पुनर्वित पोषण योजनाओं के माध्यम से बैंकों को प्रोत्साहित कर रही हैं। वे महिला तथा सहायता-समूहों तथा गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करके महिलाओं को ऋण दें। इस क्षेत्र में हमारी पारंपरिक बैंकिंग संस्थाओं को अधिक अनुभव प्राप्त करने की बहुत जरूरत है।

हमारा ग्रामीण क्षेत्र 70 प्रतिशत रोजगार देता है। वहीं महिलाओं के उद्यमों के विकास के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। बांग्ला देश के ग्रामीण बैंक और भारत के राष्ट्रीय महिला कोष ने यह सिद्ध कर दिया है कि ग्रामीण महिलाओं में उद्यम संबंधी असीम क्षमताएं हैं। यदि उन्हें ऋण सुविधा और बाजार समर्थन मिले तो वे इन योग्यताओं का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकती हैं। ग्रामीण महिलाएं अशिक्षित और निरक्षर भले ही हों, मितव्ययिता, बचत और निवेश की अच्छाइयों को वे अच्छी तरह पहचानती हैं। अब उन्हें विश्व व्यापार संगठन के तत्वाधान में होने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के सभी प्रभावों को समझना होगा और इनके किसी भी तरह के नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए पर्याप्त उपाय करने होंगे तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रौद्योगिकी अंतरणों और निवेश के आर्थिक उदारीकरण से लाभ प्राप्त हों। हमारी अर्थ-व्यवस्था का उदारीकरण होने और इसके अधिक प्रतियोगितोन्मुखी होने के फलस्वरूप अब उद्यमों की सफलता और उनकी लाभप्रदता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे लागत में कितनी ज्यादा कमी और गुणवत्ता तथा उत्पादकता में कितना सुधार ला सकते हैं? इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा।

दो वर्ष पूर्व विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए एक महिला समृद्धि योजना कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत अब तक खोले गए 225 लाख बचत बैंक खातों में 235.90 करोड़ रुपये की धनराशि देश के विभिन्न डाकघरों में जमा कराई जा चुकी है। इंदिरा महिला योजना के अंतर्गत आमदनी बढ़ाने और जागृति लाने का कार्य किया जाता है। यह योजना देश के 200 विकास खंडों में शुरू की गई थी, जिसे बढ़ा कर शेष ब्लाकों में भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस योजना में 7,000 महिला दल बनाए जा चुके हैं। महिलाओं के आर्थिक

कल्याण के लिए चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों की कमी नहीं है। कमी है तो जागरूकता की और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु आगे आने की।

जनवरी 1998 से उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी को सरकार ने 32 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 44 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। यह दर अकुशल श्रमिकों के लिए है। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित दर 47 रुपये तथा कुशल श्रमिकों के लिए 50 रुपये प्रतिदिन है। न्यूनतम मजदूरी पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से अनिवार्यतया देय होगी। प्राप्त न होने की दशा में श्रम कार्यालय में शिकायत की जा सकती है। लेकिन अधिसंख्य कामगार महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। कोई एक सखी या सहेली जागरूक हो, तो वह सैंकड़ों दूसरी बहनों का मार्गदर्शन कर सकती है। त्रि-स्तरीय स्थानीय निकायों में अब एक-तिहाई स्थान महिलाओं के पास हैं। आधी आबादी के पिछड़ेपन को दूर करने का अच्छा अवसर चूड़ियों वाले हाथों में है। अत: अविलम्ब गरीबी के अभिशाप को कम करने के कार्य में तेजी आ सकती है और जागृति लाई जा सकती है।

आजादी से पूर्व पराधीन भारत में जब बीमा कंपनियां निजी क्षेत्र में थीं, तो महिलाओं के लिए जीवन बीमा पर अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाता था। साथ ही अनेक शर्तें भी उन पर निर्बधात्मक रूप से लागू होती थीं। जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के बाद से आय अर्जित करने वाली महिलाओं को अब पुरुषों के समतुल्य माना जाने लगा है। 35 वर्ष से कम आयु तथा कर योग्य आय न होने की दशा में शेष निर्बधात्मक खंड अब भी लगाया जाता है। जीवन स्नेह बीमा पालिसी विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई है जिसमें पूर्ण जीवन सुरक्षा सहित बीमा धन विभिन्न अवधि के अंतराल पर किश्तों में देय होता है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में गत 19 जनवरी 1998 से ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई 'राज-राजेश्वरी कल्याण' बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत किसी भी प्रकार की दुर्घटना, जिसमें मातृत्व, मृत्यु तथा बलात्कार भी शामिल है, के तहत मुआवजे का दावा किया जा सकता है।

इस योजना के तहत किसी भी आय और व्यवसाय की 10 से 75 वर्ष की आयु की महिलाएं शामिल हो सकती हैं। पालिसी को संस्थाएं, प्रतिष्ठान, को-आपरेटिव, महिला कल्याण संस्थाएं, गैर-सरकारी तथा राज्य सरकार कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ले सकती हैं। इस पालिसी के अंतर्गत 10,000 रुपये की बीमा राशि पर सालना 7.50 रुपये प्रीमियम देय होगा। बीमा राशि में प्रत्येक 5,000 रुपये की बढ़ोतरी पर 2.50 रुपये अतिरिक्त प्रीमियम देय होगा।

फिलहाल जिन दुर्घटनाओं को बीमा योजना में शामिल किया गया है, उनमें बांझपन या उससे उत्पन्न जटिलता, प्रसव या उसके कारण उत्पन्न समस्या या जटिलता, सिजेरियन आपरेशन, ब्रेस्ट को हटाना और हत्या तथा बलात्कार आदि शामिल हैं। इस पालिसी में नामिनेशन की सुविधा भी है।

समाजशास्त्रियों का कहना है कि गरीबी बढ़ाने वाली बातों में आलस, दुर्व्यसन, अकर्मण्यता, फिजूलखर्ची, ज्यादा बच्चे, गंदगी, रोग तथा शिक्षा एवं जानकारी का अभाव प्रमुख हैं। अत: औरतों को सदैव इनका ध्यान रखना चाहिए। हर पल का उपयोग बेहतर ढंग से करने तथा कुछ नया सीखने के लिए सदैव सचेष्ट रहने की आदत डालनी चाहिए। गरीबी के अभिशाप को दूर करने का एक मूल मंत्र है कि खर्च घटाएं और आमदनी बढ़ाएं। कोशिश करें और हर माह देखें कि कहां तक सफलता मिली? कहां अभी कमी रह गई? और क्या करना अभी शेष है? संपन्नता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हमारी सोच और समझ सही हो। समय के अनुसार काम करने और अवसर पहचानने की क्षमता तथा कुछ कर गुजरने के ललक हो। निराशा और नकारात्मक सोच से सदैव बचना चाहिए।

सरकार ने गरीबी उन्मूलन हेतु पिछले पचास वर्षों में खूब प्रयास किए, जो अभी भी जारी हैं और केन्द्र तथा राज्य स्तर पर अलग-अलग हैं। एक तरफ कपार्ट के जागरूकता शिविर चलते हैं, तो दूसरी ओर राज्य सरकार के। कहीं कोई निगम ऋण बांट रहा है, तो कहीं दूसरी एजेंसी पर योजना चलाई जा रही है। महिलाओं के सहायतार्थ सिंगलविंडो सिस्टम होना चाहिए और रोजगार समाचार की भांति एक सस्ता सूचना पत्र 'महिला-समाचार' के नाम से प्रकाशन विभाग निकाले जिसमें चलाई जा रही सभी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध हो। ऋण, रोजगार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के अभाव में आर्थिक कठिनाई के दंश महिलाओं को कहीं अधिक सालते हैं क्योंकि रोटी और पैसे से अधिक महिलाओं के संसार में सूचनाओं की गरीबी है, जानकारी का अभाव है। इस खाई को हमारा संचार माध्यम ही पाट सकता है और तभी गरीबी के अभिशाप की बढ़ती छाया को काबू कर पाना आसान होगा।

छोटे पैमाने पर अपना काम-धंधा शुरू करने के लिए घटी दरों पर आसान कर्ज लेने के लिए खादी ग्रामोद्योग से भी मदद ली जा सकती है। चटनी, आचार, पापड़, कचरी, मुरब्बे, दाल, मसाले जैसी 117 वस्तुओं का उत्पादन खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत आता है। अनेक निर्धन महिलाओं ने इस क्षेत्र से लाभ उठाया है और आज भी उठा रही हैं। गरीबी और गंदगी, ये दोनों जुड़वा बहनों की तरह होती हैं। अत: गरीबी के अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए अधिकाधिक सफाई का भी यथासंभव ध्यान रखना चाहिए ताकि निरोगी जीवन में अधिकतम कार्यक्षमता सदैव बनी रहे। गंदगी से संक्रमण और रोग बढ़ते हैं, जो कार्यक्षमता और रोजगार को प्रभावित करते हैं। देश भर में यूनिसेफ की मदद से निर्धन महिलाओं के लिए पिछड़े इलाकों में ग्रामीण स्वच्छता परिसर भी विकसित किए गए हैं, जिनमें शुष्क शौचालय तथा सैनिटरी मार्ट आदि की व्यवस्था की जा रही है। साफ पेयजल, स्वच्छ जीवन तथा आय सृजन से शारीरिक निर्बलता को दूर करने में मदद मिलती है। गरीबी का अंधेरा दूर हो सकता है, बशर्ते कि विवेकपूर्ण ढंग से कदम उठाए जाएं और कर्मण्यता का प्रकाश जीवन में लाया जाए। स्वरोजगार हेतु लघु उद्योग अनुसंधान संस्थान (सीरी)

(शेष पृष्ठ 24 पर)

परधानिन

विमलेश गंगवार 'दिपि'

सोमवती को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पति करनपाल, ससुर रामपाल और जेठ चरनपाल पहली बार किसी बिंदु पर एकमत हुए हैं। वह भी इस बिंदु पर, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।

पिछले कई वर्षों से उसके ससुर रामपाल गांव के प्रधान थे जबकि उनके दोनों पुत्र प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते थे, पर इस बात पर रामपाल बौखला जाते और दोनों बेटों से कहते—"अजी तुम्हें कौन वोट देगा इस गांव में, वह तो मेरा व्यवहार है जो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता है।"

रामपाल ने सुना कि पंचायत चुनाव में प्रधान की सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई है तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। वह बोले—"सरकार ने भी बिना सोचे-समझे कानून बना दिया कि अब पंचायत का काम-काज महिलाएं संभालेंगी। मुंह उघाड़, बेशर्मों की तरह घर से बाहर आकर मर्दों में बैठेंगी, गांव के मनचले लफंगे दीदे फाड़ कर उन्हें देखेंगे, उन पर फब्तियां कसेंगे... क्या सूझा सरकार को।"

रामपाल जब बहुत क्रोधित होते तो अंगोछे का सिरा मुंह में दबाए इधर-उधर चक्कर काटते। आज भी क्रोध के कारण उनकी यही दशा थी। रामपाल सोच रहे थे कि जिस सीट पर कभी उन्होंने अपने बेटों को चुनाव नहीं लड़ने दिया, अब उन्हें किसी महिला की खातिर छोड़ना ही पड़ेगा। पूरब टोला के जगबीर अपनी औरत को चुनाव लड़वा रहे हैं। यह सोचकर उन्हें लगा कि वह भी अपनी पत्नी को क्यों न चुनाव रणभूमि में उतार दें, परंतु वह तो इतनी अस्वस्थ है कि रात-दिन पलंग पर पड़ी रहती है। उनका बड़ा बेटा चरनपाल अपनी पत्नी को लड़ाना चाहता था। आखिर वह बड़े बेटे की पुत्रवधु है, उसका पहला हक बनता है—ससुर की सीट पर चुनाव लड़ने का।

छोटा बेटा करनपाल अपनी पत्नी को प्रधान बनाना चाहता था। बहुत देर तक पिता तथा दोनों पुत्रों में बहस होती रही। दोनों अपनी-अपनी पत्नियों को अधिक कुशाग्र बुद्धि साबित करते रहे।

रामपाल घर की लड़ाई में नहीं पड़ना चाह थे, क्रोधित होकर बोले—"कोई नहीं लड़े चुनाव।"

कह तो दिया था, पर उन्हें चैन नहीं थ प्रधान का पद जगबीर की औरत पा जाए उनका मुकाबला होना ही चाहिए, वरना प्रध का पद चला जाएगा।

मुंह में दबे अंगोछे को एक ओर फेंक व रामपाल बोले—"चुनाव करन की बहू सोमवत लड़ेगी.....। वह जूनियर हाई स्कूल पास है रामा अंगूठा लगाएगी क्या कागजों पर।"

करनपाल और सोमवती मन ही मन हर्षि हो उठे, परंतु रामा औ चरनपाल दोनों के मुंह उत गए, पर जो तर्क उनके पि ने प्रस्तुत किया था, उसव काट नहीं हो सकता था।

कुछ देर विचार-विम के बाद पूरा परिवार एकम हो गया, सोमवती के प में। चुनाव की तैयारियां हो लगीं। सबने ठान ली कि किसी भी हाल में जगबी की औरत को जीतने नह देना है। गांव के घर-घ जाकर रामपाल, चरनपाल और करनपाल सोमवती के लिए वोट मांगने लगे सोमवती चुनाव जीत गई बाजे-गाजों के साथ फूल-मालाओं से उसका तथ उसके घरवालों का स्वाग किया गया।

अब गांव के लोग उस परधानिन कह कर संबोधित करने लगे। अपने काम लेकर गांव वाले उसके पास आने लगे। उसके पति करनपाल और ससु को यह अच्छा न लगता। अक्सर वे गांव वालों को उठाकर बाहर ले जाते और सोमवती की जगह स्वयं निर्णय लेने लगते। बाहर ही बाह कार्यों का और समस्याओं का निपटारा करने लगे। सोमवती को पता भी न चलता कि कौन-सा फैसला किसके पक्ष में हो गया है।

अंधेरी रात थी। मद्धिम दिया जल रहा था। ांगन में पड़े पलंगों पर घर के बच्चे सो रहे थे। मपाल और करनपाल गांव में पड़ने वाली सड़क क विषय में विचार-विमर्श कर रहे थे। उनकी मझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह सड़क नकाली जाए जिससे अधिकतर लोगों को लाभ ो परंतु जगबीर के दरवाजे से सड़क न निकल ाए।

करनपाल कह रहा था, "कुंएं से शुरू र जामुन के पेड़ के नीचे से सीधे तालाब क बनवा दीजिए, जिससे उसका घर छूट ाएगा।"

"हां, हां! यह ठीक कह रहे हो बेटा", मपाल बेटे की बात से बहुत खुश हुए।

सोमवती पास बैठी दोनों की बात सुन रही ी। वह घूंघट हटा कर बोली—"सीधे चक्की क सामने से क्यों न निकाल दी जाए.....।"

"बीच में मत बोला करो टप्प से! तब सड़क जगबीरा के घर के सामने से चली जाएगी", करनपाल बोला।

"पर उससे क्या लेना-देना, काम ठीक हो जाए...." "तुमने सुना नहीं बहू... चुप बैठो तुम। यह सोचना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं," रामपाल सोमवती से बोले।

अगले दिन ब्लाक डेवलेपमेंट अधिकारी के यहां मीटिंग थी। चार नल गांव वालों के लिए आए थे। उनका विवरण देना था कि नल कहां-कहां लगेंगे।

करनपाल और रामपाल ने चारों स्थान छांट लिए थे। एक चौराहे पर, दूसरा सरबन सेठ के द्वार पर, तीसरा खाद भंडार पर और चौथा रतनलाल के द्वार पर।

सोमवती से रहा न गया। वह सोचने लगी, "नल जरूरतमंदों के लिए आए हैं, सरबन और रतनलाल जैसे धनी लोगों के लिए नहीं।" वह बोली, "सरबन सेठ के द्वार पर मत लगवाइये, मनोहर के द्वार पर लगवा दीजिए। बेचारा गरीब है। उसकी पत्नी कितनी दूर से कुंएं से पानी भरकर लाती है। वह हमारे घर के काम में लगा रहता है दिन भर और भला इंसान भी है.....।"

"मनोहर पर बड़ी मेहरबान हो आजकल तुम, उससे घूंघट भी नहीं करती हो। दिन भर वह तुम्हीं से बोलता रहता है हंस-हंसकर", पति की बात से सोमवती अंदर तक दहल गई। वह सोचने लगी आखिर वह कहना क्या चाहते हैं। वह रोटी सेंक रही थी। उसके हाथ एकाएक रुक से गए।

उसके ससुर रामपाल रसोई के बराबर बैठे खाना खा रहे थे। उन्हें मनोहर के घर पर नल लगवाने की बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। वह क्रोधित हो बोले—"सब्जी में कितनी मिर्चा झोंक दी है बहू, मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है यह। खाना बनाने में मन लगे तब ना..."

सोमवती की आंखों में आंसू आ गए। दिन भर खटती रहती है इस घर में। चूल्हा चौका, खेत से लेकर घर का एक-एक काम करती है। फिर भी कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है। प्रधान वह है, मनमानी करते हैं घर वाले। उचित बात कह दी, तो भयंकर आरोप तक लगाने पर उतारू हो गए ये लोग। कितना आसान है नारी-चरित्र पर कालिख पोत देना। आखिर प्रधान ये हैं या मैं..... सारे निर्णय लेने का हक इन्हें है या मुझे..... पर पति और ससुर से लड़ना उसके बस की बात नहीं।

मीटिंग में वह गई अवश्य, पर सड़क का रुख वही रहा जो उसके पति और ससुर ने निर्धारित किया था। नल वहीं लगेंगे जो उनके ससुर और पति ने स्थान तय किए थे।

मीटिंग से जब लौट रही थी तो मनोहर की पत्नी कुंएं से पानी भरकर ला रही थी। मुस्कुरा कर बोली—"चरण छुएं परधानिन।"

"खुश रहो," का आशीर्वाद सोमवती ने दे तो दिया पर उसका मन अंदर से दुखी था।

घूंघट हटाकर मनोहर की पत्नी बोली—"जिज्जी पानी की बड़ी किल्लत है। कुछ हमारा भी ख्याल रखना...."

सोमवती मौन रही। कैसे कुछ कहती उससे? अपने हाथ से ही वह कागज देकर आई थी जिसमें मनोहर का नाम था ही नहीं। ❑

(पृष्ठ 22 का शेष) **महिलाएं : गरीबी के अभिशाप से यूं मुक्ति पाएं**

रूपनगर, दिल्ली से भी उपयोगी जानकारी मंगाई जा सकती है। पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम ने महिलाओं के लिए 'स्वर्णिमा' योजना में विशेष वित्तीय प्रावधान किए हैं। स्टेशन रोड, लखनऊ स्थित यह निगम जिला कार्यालयों के माध्यम से ऋण और प्रशिक्षण प्रदान करता है। दिसंबर 1997 तक 2.50 लाख लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। यह निगम तैयार माल की बिक्री के लिए हाट बाजार खोलने में तथा प्रदर्शनी के माध्यम से माल का प्रचार करने में सहायता करता है। इसी प्रकार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भी महिलाओं के लिए विशेष रोजगार योजनाएं चला रहा है जिसमें शहद, साबुन, माचिस, हाथ कागज से बने कार्ड, फाइल, अगरबत्ती, दाल, मसाले, चर्म-शिल्प, तेल, इत्र, गुलाल, रंगोली, बिंदी, मेंहदी, महावर, शैम्पू, चूड़ी, दोने, पत्तल, झाड़ू, जूट उत्पाद, रबर, रेक्सीन उत्पाद, पिन, सेफ्टीपिन, छतरी, धातु-पात्र, मछली पकड़ने के जाल की बुनाई, सिले कपड़े, छींटाकारी, खिलौने, कशीदाकारी आदि अनेक प्रकार के उद्योग-धंधे स्थापित करने में सहायता दी जाती है। अत: गरीबी दूर करने के लिए मदद तो मिल सकती है लेकिन प्रयास तो स्वयं महिलाओं को ही करना होगा। स्वयं ऊपर उठने तथा आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटानी होगी। खाली समय का बेहतर उपयोग करना होगा। ❑

सहकारिता : प्रबंध और नेतृत्व

डा. आर.एस. तिवारी*

दुनिया के तमाम विकासशील देशों और भारत में भी सहकारिता को कानून बनाकर लागू किया गया, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि साख बाजार और विपणन जैसी सुविधाओं से उत्पादन बढ़ाया जा सके और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को उत्पादन में हिस्सेदार बनाकर आगे लाया जा सके।

सहकारिता का दर्शन पूंजीवाद और समाजवाद के बीच के मार्ग को आगे बढ़ाना है। किंतु पिछली पूरी शताब्दी बीत जाने के बाद भी सहकारिता उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई है, जो इससे अपेक्षित थे। सहकारी संस्थाओं और उसके सदस्यों की संख्या तो बहुत बढ़ गई किंतु ये सदस्यों द्वारा निर्मित नहीं, सदस्यों द्वारा नियंत्रित और कुछ व्यक्तियों द्वारा पोषित संस्थाएं बन कर रह गई हैं। इन सभी बातों के लिए वे सरकार का मुंह ताकती हैं और इस प्रकार सहकारिता का सरकारीकरण हो गया है। इससे सहकारिता के मूल लाभ जो सदस्यों की अगुआई, मिशनरी उत्साह, अनुभव और स्वामित्व की अनुभूति के सुख के साथ जुड़े हैं, सब गायब हैं। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो सही सहकारिता हर सहकारिता कानून के साथ घटती गई। चूंकि सहकारिता की शुरुआत ब्रिटिश शासन में हुई थी और वे भारतीयों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने सहकारिता की स्वायत्तता पर अनेक नियंत्रणों द्वारा रोक लगाई थी। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद सहकारिता नियमों को काफी सुधारा गया, पर उसमें भी प्रबंधकीय सत्ता और संचालन की जिम्मेदारी सरकार के पास बनी रही और सहकारिता केवल दायित्व के लिए जिम्मेदार रही। लगभग सभी राज्यों में वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार अब स्वयं अपने आप सहकारिता के 'बाईलास' में संशोधन करती है, सहकारी समितियों को विभाजित या मिला देती है, चुनाव करवा या रुकवा देती है, उसके निर्णयों को बदल देती है, अपनी मर्जी का अधिकारी सहकारिता में नियुक्त कर देती है और सदस्यों को मनमाने ढंग से बदल देती है। सरकार के हस्तक्षेप से सहकारी संस्थाएं अस्तित्व में तो हैं, पर उनकी आत्मा गायब हो चुकी है। अनेक अध्ययनों से यह बात सिद्ध हो चुकी है किंतु सरका के पास एक सबल तर्क यह है कि सहकारी समितियों का प्रबंध बहु कमजोर है और उनका नेतृत्व सही नहीं है। इसलिए गड़बड़ियों को रोक और गरीबों का हित साधने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है पर सरकार का यह इलाज ही सहकारी संस्थाओं की बीमारी का ए कारण भी है क्योंकि सरकार के संरक्षण में चलने के कारण सहकारी क्षे में न तो कुशल प्रबंधक विकसित हो रहे हैं और न ही अच्छे प्रबंधक पहुं पा रहे हैं। सरकारी नियमों के कारण सहकारी संस्थाएं व्यावसायिक प्रबं नहीं रख पाती हैं। वास्तविकता यह है कि कभी नौकरशाही के शिकं और कभी राजनेताओं के हस्तक्षेप के कारण सहकारी संस्थाएं कठपुतल के रूप में संचालित होती हैं और बहुत शीघ्र अकुशलता, भ्रष्टाचार, गड़बड़ और संघर्ष के आरोपों में फंस जाती हैं और सरकारी हस्तक्षेप का औचित सिद्ध हो जाता है। व्यावसायिक प्रबंध और अच्छे नेतृत्व का अभा सहकारी संस्थाओं की बहुत बड़ी कमी है।

प्रबंधकीय कौशल

प्रबंधकीय कौशल की कमी भारत में एक बड़ी समस्या रही है और है यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में प्रबंध सर्वाधिक आकर्षक विषय बन गया है और प्रबंध के डिग्रीधारी बहुत बढ़ गए हैं, तथापि कुशल प्रबंधन अभी भ एक दुर्लभ वस्तु है और बड़े-बड़े उद्योगों में भी प्रबंधकीय संकट मौजू है। ऐसी स्थिति में सहकारी संस्थाएं यदि पिछड़ रही हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे यहां परंपरागत प्रबंध प्रणाली मूलतः साधारण प्रबंध तक सीमित रही है और इसलिए प्रबंध का अर्थ अकाउंटेंसी, लागत की व्याख्या, वित्तीय प्रबंध और विपणन तक ही सीमित रहा है किंतु अगुआई, अंतर्वैयक्तिक संबंध और समूह जैसी बातों से दूर है। प्रबंधक में नेतृत्व और साहस के गुणों का अभाव है।

परंपरागत रूप से भारत में सहकारी संस्थाएं आधुनिक प्रबंधकीय विधियों का प्रयोग करने से परहेज ही करती हैं। इसके तीन कारण माने जा सकते हैं :

- अभी तक धारणा कुछ इस प्रकार की रही कि पश्चिमी देशों में विकसित वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पूंजीवाद को बढ़ावा देना है और सहकारिता पूंजीवाद की बुराइयों को दूर करने का अस्त्र है। ऐसी स्थिति में प्रबंध जो कि पूंजीवादी का औजार है उसका प्रयोग करना ठीक नहीं समझा गया। इस प्रकार पूरी सोच ही प्रबंध के विरुद्ध रही।
- प्रबंध को बड़े उद्योगों की आवश्यकता समझकर भी ठुकराया गया और माना गया कि सहकारी संस्थाएं छोटी, सरल और संगठित इकाई होती हैं और इनमें प्रबंध की आवश्यकता नहीं है।
- सहकारिता को लाभ कमाने का माध्यम न मानकर सेवा का साधन माना गया और इसलिए सैद्धांतिक रूप से ही प्रबंध की जरूरत को नकारा गया और कभी भी कुशलता, उत्पादकता और प्रतिफल पाने की आशा नहीं की गई।

*प्रोफेसर अर्थशास्त्र, प्रशासन अकादमी, भोपाल

सहकारिता दूसरे व्यावसायिक संगठनों से इस अर्थ में भिन्न है कि वह एक लोकतांत्रिक संगठन है। इसमें सत्ता और नियंत्रण बहुत बिखरा हुआ होता है। सहकारी संगठन में तीन अंग महत्वपूर्ण होते हैं—समिति यानी सभी सदस्य, संचालक मंडल और मुख्य कार्यपालक। व्यवहार में समिति और संचालक मंडल में अधिक विवाद नहीं होता है क्योंकि अधिकांशत: सदस्य इसमें रुचि नहीं लेते हैं। पर संचालक मंडल और मुख्य कार्यपालक में सत्ता, उत्तरदायित्व और अधिकारों को लेकर काफी संघर्ष होता है। नियमों में इन सबका अलग-अलग प्रावधान किया गया है। सिद्धांतत: संचालक मंडल का काम निर्देशन करना है और कार्यपालक का उस पर अमल करना। किंतु जब दोनों अपनी भूमिका बदल लेते हैं, तो गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर संचालक मंडल के सदस्य राजनेता होते हैं और वे लोग अपनी भूमिका बढ़ाकर रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। इस भूमिका के बदलने के अनेक कारण हैं :

- सहकारिता का नेतृत्व जिस तरीके से विकसित हुआ है, वह अपने आप में किसी व्यावसायिक संगठन से बिलकुल अलग रहा है। सहकारी संस्थाएं बहुत छोटी संस्था रही हैं और कुछ लोगों के आगे आने के कारण ही चली हैं। कुछ थोड़े से लोग ही सहकारिता का प्रबंध चलाते रहे हैं, इसलिए अभी भी सभी संस्थाओं में ऐसा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सहकारी संगठन के जटिल हो जाने के बाद भी ये सदस्य अपना यह अधिकार नहीं छोड़ते हैं।

- सहकारिता के नेता यह मानते हैं कि वही उस संस्था के मालिक हैं और इसलिए उसका प्रबंध करना उनकी जिम्मेदारी है। यदि व्यावसायिक प्रबंध को इसके प्रबंध का काम दे दिया गया तो वह लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा और वे लोग नौकरशाही की कठपुतली बन जाएंगे। उनका मानना है कि स्वामित्व और प्रबंध दोनों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

ऐसी स्थिति में लाभ, कुशलता और व्यावसायिक कौशल का महत्व न तो निर्वाचित प्रतिनिधि समझते हैं और न कार्यपालक निदेशक। परिणाम अकुशलता, घाटा और इसी प्रकार की बुराइयों के रूप में सामने आता है।

व्यावसायिक प्रबंध की कमी अधिकांशत: महसूस ही नहीं की जाती। सरकारी संरक्षण के कारण संभवत: यह धारणा घर कर गई है कि सहकारिता का उद्देश्य व्यवसाय नहीं है। बस सरकारी सहायता और सब्सिडी के द्वारा एक संगठन को चलाना मात्र है; जिससे कुछ राजनैतिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, जबकि सहकारिता एक व्यावसायिक संगठन होता है और उसकी छवि उसके व्यावसायिक संचालन पर निर्भर करती है। वास्तव में यह व्यावसायिक प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है कि वह उसे व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार चलाए, पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के दबाव के अलावा और अन्य अनेक कारणों से व्यावसायिक प्रबंध सहकारिता में पनप नहीं पाया है।

चूंकि मुख्य कार्यपालक सरकार के द्वारा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, वह मूल रूप से एक प्रशासनिक अधिकारी होता है और उसमें व्यावसायिक प्रबंध की कोई योग्यता नहीं होती।

उल्टे ये लोग सहकारिता में नौकरशाही की संस्कृति विकसित कर देते हैं और इसलिए उनमें व्यावसायिक प्रवृत्ति और साहसिक पहल का पूरी तरह अभाव होता है। यह भले ही अटपटा लगे, पर कुछ राज्यों में कभी-कभी पुलिस विभाग के अधिकारी भी सहकारिता में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किए गए हैं। हमारे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक वातावरण और उसकी जटिलता को देखते हुए सहकारिता के प्रबंधक का अत्यधिक व्यावसायिक होना आवश्यक है। चूंकि सहकारिता के जनप्रतिनिधि अज्ञानता और प्रचलित राजनीति के कारण न तो अगुआई कर पाते हैं और न सही निर्देशन इसलिए व्यावसायिक प्रबंधक का अधिक रचनात्मक, उद्यमी, संवेदनशील और व्यावसायिक बुद्धि-संपन्न होना जरूरी है। उसे ग्रामीण और अपेक्षाकृत गरीब व्यक्तियों को उत्पादक बनाने में मदद करने योग्य और उनका सशक्तिकरण करने की योग्यता से संपन्न होना चाहिए, उसे संबंध सुधारना, समूह में काम करना, व्यावसायिक वृत्ति से संगठन चलाना और राजनीति से निपटना भी आना चाहिए। इसलिए सहकारिता के प्रबंधक को किसी अन्य व्यवसाय के प्रबंधक की तुलना में अधिक कुशल और व्यावसायिक होना चाहिए।

दुर्भाग्य से, इन व्यावसायिक प्रबंधकों में प्रबंध-कुशलता विकसित करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की कोई प्रभावी कोशिश नहीं की गई है। इनके प्रशिक्षण में किन विषय-वस्तुओं को सम्मिलित करना चाहिए—इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और फिर अच्छे शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों से ऐसा प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएं हैं, जैसे—सहकारी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद, नाबार्ड और बैकुंठ मेहता सहकारी प्रबंधकीय राष्ट्रीय संस्थान। देश भर में लगभग 19 राज्य स्तर की और 819 कनिष्ठ स्तर की प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। परंतु इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि इन सार्थक प्रयासों के बावजूद बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि व्यावसायिक प्रबंध का अर्थ केवल नियमों, कानूनों की जानकारी नहीं, बल्कि सहकारिता के दर्शन, चिंतन, परंपरा और संस्कृति को भी आत्मसात करने से है। यह एक धारणा नहीं, बल्कि प्रवृत्ति विकसित करने का सवाल है।

यह सही है कि सहकारिता में लोकतांत्रिक प्रबंधन होना चाहिए, पर यह तभी संभव है जब सहकारिता के सभी सदस्य उसकी सेवाओं का लाभ उठाएं और अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से वहन करें। इसका अर्थ यह है कि सहकारिता को किसी भी स्थिति में निहित स्वार्थों के हाथों में पहुंचने से रोका जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि सहकारिता में जिन लोगों के पास अधिकार और सत्ता है, वे लोग परंपरागत रूप से 'पावर' के केंद्र बिंदु रहे हैं और चाहे जिस कारण से हो, पर वास्तविक सत्ता उन्हीं के पास होती है और वे सहकारिता का प्रबंध अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही करते हैं।

सहकारिता नेतृत्व

अच्छा नेतृत्व एक सहकारी संस्था को बनाने और चलाने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उसे एक दृष्टि देने, प्रोत्साहित करने और मार्गदर्शन

प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है। सिद्धांतत: प्रत्येक सहकारी संस्था में ईमानदार, कुशल, संवेदनशील और समर्पित नेतृत्व का होना जरूरी है जो यथासंभव उन्हीं सदस्यों में से हो। उसका मुख्य काम सदस्यों में समूह-भावना विकसित करना, सदस्यों की जरूरतों को सही रूप में समझना, उनकी महत्वाकांक्षा को जानना और सहकारिता को अनावश्यक राजनैतिक तथा अन्य निहित स्वार्थों से बचाना है।

एक सहकारी संगठन तीन बातों का सम्मिलित रूप होता है। वह एक फर्म है, उसमें कुछ मित्र शामिल हैं जो वे एक परिवार की तरह काम करते हैं। वह वैल्यू बेस्ड संस्थान है पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वे लाभ और कुशलता से परे है। चूंकि हमारे देश में ग्रामीण विकास और गरीबी हटाने में सहकारी संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, अत: इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आमतौर पर सहकारी संस्थाएं चार प्रकार की होती हैं—कुछ में नेतृत्व जरूरत से ज्यादा भूमिका निभाता है, दूसरी वे जिसमें नेतृत्व अपनी भूमिका नहीं निभाता, तीसरी वे जहां नेतृत्व अपनी भूमिका को गलत ढंग से निभाता है और चौथी वे जहां नेतृत्व का अभाव पाया जाता है। सहकारिता का काम होता है कि वे अपने सदस्यों के साधनों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी और संस्थागत दोनों प्रकार का प्रयास करे ताकि न केवल भौतिक उत्पादकता बढ़े बल्कि मूल्य का सृजन हो और लागत में कमी आए।

सहकारी नेतृत्व से जिन कार्यों की अपेक्षा की जाती है, वे इस प्रकार हैं :

- उसे सही अर्थों में अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और इसलिए बाहरी, संपन्न और प्रभुत्व वर्ग का व्यक्ति सही नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकता। आमतौर पर सहकारी संस्थाओं पर भू-स्वामियों, राजनेताओं, संपन्न और प्रभुत्व वाले व्यक्तियों का नियंत्रण होता है, वे सही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
- उसे व्यावसायिक प्रकृति और लोकतांत्रिक पद्धति दोनों में समन्वय करना आना चाहिए जो काफी कठिन कार्य है।
- उसे संस्था को लाभ अर्जित कराकर सदस्यों को लाभान्वित कराने योग्य होना चाहिए और यह लाभ सभी सदस्यों को मिलना चाहिए जिसका बंटवारा पूर्व-निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप हो।
- उसे बाहरी दबावों, राजनीति और नियंत्रणों से निपटने के योग्य होना चाहिए। वास्तव में उसे अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखने के साथ-साथ उद्यमिता की क्षमता वाला भी होना चाहिए।

यदि सही मायने में सहकारिता का विकास किया जाना है तो इस दृष्टि से सहकारी नेतृत्व में निम्नलिखित गुण और प्रतिभाओं का होना जरूरी है।

- जन-प्रतिनिधि के योग्य सभी गुण।
- एक दृढ़ और व्यापक सामाजिक पृष्ठभूमि और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए काम करने का अनुभव।
- अपने संगठन तथा अपने सदस्यों के प्रति निष्ठा और साथ ही ईमानदा तथा कर्मठता।
- व्यावसायिक प्रबंधक के साथ समन्वय बिठाने का कौशल औ तत्परता।
- सदस्यों का विश्वास अर्जित करने की क्षमता और इसके लि सदस्यों को महत्व देने की तत्परता।
- स्वतंत्र रूप से सोचने और काम करने की योग्यता।
- सरकारी दबाव के आगे न झुकने की प्रवृत्ति।
- अन्य सदस्यों में नेतृत्व विकास करने की क्षमता और इच्छा होना
- साधनों के कुशल उपयोग के तरीकों का ज्ञान होना।
- व्यावसायिक सिद्धांतों में पारंगत होना।
- सदस्यों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय हितों को ध्या में रखने की प्रवृत्ति।
- पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर चलने की प्रवृत्ति।

कुल मिलाकर सहकारिता में नेतृत्व और सभी सदस्यों तथा प्रबंधकं को एक सुनियोजित प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रतीत होती है। अग सदस्यों में जागृति हो तो वे अपने नेतृत्व को भटकने से रोक सकेंगे औ प्रबंधक को व्यावसायिक बनने के लिए बाध्य कर सकेंगे। अगर नेतृत्व क्षमतावान हो तो वे अपने सदस्यों को सशक्त बना सकेगा और प्रबंधक को अपने निर्देशित मार्ग पर चला सकेगा। इसी प्रकार अलग से व्यावसायिक प्रबंध है तो वह नेतृत्व तथा सदस्य दोनों को अपनी भूमिका बदलने के लिए बाध्य करेगा। अगर सदस्यों, नेतृत्व और प्रबंधक को सही प्रशिक्षण दिया जाए तो सहकारी समितियों का प्रबंध ठीक होगा, वे लाभ कमाएंगी सदस्यों में लाभ बांटेंगी और अधिक लोगों को सहकारिता से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगी। यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि पूरी प्रणाली को संस्थागत रूप से विकसित करने की आवश्यकता है और इसे मात्र लोगों की नैतिकता की दुहाई के आधार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सहकारिता को सरकार द्वारा बाहर से सहयोग दिया जाना चाहिए, पर किसी भी स्थिति में सहकारिता पर नियंत्रण को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके लिए नियमों और कानूनों में आवश्यक संशोधन करने चाहिए पर उससे भी ज्यादा जरूरी है दृष्टिकोण में बदलाव होना चाहिए।

हमारे देश में सहकारिता के लिए एक अलग माडल विकसित करने की आवश्यकता है ताकि समिति के सदस्य अपने आप को सशक्त समझने लगें और आर्थिक दृष्टि से भी सशक्त हो जाएं। शुरू में इस माडल को अपनाने में थोड़ी कठिनाई अवश्य हो सकती है और मुखर लोगों का विरोध भी सहना पड़ सकता है, पर दीर्घकाल में यह शासन और समाज सभी के लिए हितकारी ही सिद्ध होगा क्योंकि इससे आम लोगों का हित संवर्द्धन हो सकेगा। वह भी राज्य की बैसाखी के सहारे नहीं, अपने पैरों की ताकत को स्वमेव बढ़ाकर। ❑

ग्रामीण समाज में मानसिक रोगों से संबंधित भ्रांतियां

सुधा

अनादि काल से ही मनुष्य अपने स्वास्थ्य संवर्धन के प्रति सतत चिंतनशील रहा है। जड़ी-बूटियों, प्राकृतिक साधनों तथा अन्य घरेलू वस्तुओं से रोगोपचार करने की विधियां विश्व के हर समाज में विद्यमान रही हैं। किंतु कुछ रोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्षत: शारीरिक व्याधि न होकर मानव के मनोव्यवहार से संबंधित होते हैं। ऐसें प्रकरणों को परंपरागत या रूढ़िवादी समाज आज भी दैवीय प्रकोप मानकर, तांत्रिक विधियों से उपचार कराना श्रेष्ठ मानता है। भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों में निवास कर रही जनजातियों तथा अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में इन तथाकथित 'ऊपरी बीमारियों' का माया-जाल विस्तृत रूप से फैला हुआ है।

बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसे अंधविश्वास या भ्रांतियां व्याप्त हैं जो हमारी समस्त वैज्ञानिक प्रगति तथा शिक्षा प्रसार के सम्मुख प्रश्न-चिन्ह खड़ा करती हैं क्योंकि गरीब तथा निरक्षर ही नहीं बल्कि पढ़े-लिखे परिवारों में भी इन बीमारियों पर विश्वास किया जाता है। सामान्यत: किसी गांव या ढाणी की 15 से 45 वर्षीय महिलाओं में तथाकथित देवी मां, पित्तर, भैंरू जी या भूतनी प्रवेश करती है तथा वह महिला निश्चित समय पर विचित्र व्यवहार करने लग जाती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण उस महिला के समक्ष श्रद्धा से हाथ जोड़ते हैं अथवा उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। अधिकांश परिजन ऐसे रोगियों या भूतनी आने की शिकायत करने वाली महिला को किसी स्याने, बाबा या ओझा के पास उपचार हेतु ले जाते हैं। राजस्थान में मेहन्दीपुर बालाजी इस प्रकार के रोगियों हेतु प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। दरअसल यहां आने वाले रोगियों को विशाल तथा मजबूत लोहे की चैनों से बांधकर प्रताड़ित किया जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि मार के आगे तो भूत भी कांपता है लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। वस्तुत: यहां वे रोगी ठीक होते हैं जो जान-बूझकर अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए विचित्र हरकतें करते थे लेकिन जिन्हें सचमुच कोई मानसिक व्याधि है, वे भला मार-पीट से कैसे ठीक हो सकते हैं?

अब प्रश्न यह है कि आखिर यह भूतनी आने या ऊपरी हवा की बीमारियां होती क्या हैं? चिकित्सा विज्ञान में इस प्रकार के लक्षण 'हिस्टीरिया' के माने जाते हैं। हिस्टीरिया कोई घातक बीमारी नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित ऐसा व्यवहार है जो सामान्यतया समाज में मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन व्यक्ति ऐसा व्यवहार इसलिए करता है ताकि परिवार तथा पड़ोस के व्यक्ति उसकी ओर आकृष्ट हों। यदि हम अपने आस-पास ऐसे रोगियों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि ये रोगी 15 से 45 वर्ष के आयु-समूह के होते हैं जो अपनी किसी मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक या शारीरिक समस्या से ग्रस्त होते हैं। सामान्यतया भूतनी आने की शिकायतें वे स्त्रियां करती हैं, जिनके लगातार कन्याएं पैदा हो रही हैं तथा पुत्र-प्राप्ति की चाह है; असमय विधवा हो गई हैं अथवा पति सेना में या कहीं दूर कार्यरत हैं; किसी प्रियजन की असामयिक मृत्यु हो गई है; किसी बात को लेकर परिवार में तनाव या कलह बनी रहती है अथवा किसी कारण से वह महिला परिवार या समाज के द्वारा उपेक्षित कर दी गई है। अपनी वास्तविक समस्या की आड़ में ये महिलाएं भूतनी आने या देवी माता के शरीर में प्रवेश करने का ढोंग करती हैं। यदि संबंधित समस्या का समाधान हो जाता है, तो दुबारा भूतनी भी नहीं आती। अन्यथा यह 'भूतनी समस्या' भी बढ़ती चली जाती है।

नन्हे बालक-बालिकाओं में भूतनी आने की समस्या उनके मन में व्याप्त भय का परिणाम होती है। अनेक गांवों में रात्रि में सोते समय वृद्ध तथा प्रौढ़ व्यक्ति अपने-अपने जीवन के अनुभव तथा दृष्टांत बच्चों के सामने सुनाते हैं, जिसमें अलौकिक शक्तियों, भूत-पिशाचों, डाकन, छलावा तथा भटकती आत्माओं के किस्से सम्मिलित होते हैं। कठिनाई यह है कि ऐसे प्रसंग ज्यों ही शुरू होते हैं, परिवार का प्रत्येक सदस्य गंभीरता से सुनता है तथा देर रात तक इन भ्रम-आधारित किस्सों का आदान-प्रदान होता रहता है। आत्मविश्वास की कमी वाले बच्चे इससे बहुत प्रभावित होते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें हवा से हिलता तौलिया या पेड़ के पत्तों की सरसराहट भी भीतर तक बेध जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे डरावने सपने देखते हैं या कपोल-कल्पित वैचारिक लोक में भ्रमण करते हैं। परिणामस्वरूप

उन्हें न केवल अंधेरे में डर लगता है बल्कि सामान्य वस्तुएं भी भूत समान दिखाई देती हैं। यद्यपि वृद्धाओं में भूतनी आने की समस्या बहुत कम होती है लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अति महत्वाकांक्षी तथा प्रतिष्ठा की भूखी वृद्ध महिलाएं भी ऐसा स्वांग रचती हैं।

जहां तक पुरुषों में भूतनी या भूत आने का प्रश्न है, उसकी दर बहुत कम है, लेकिन कारण वे ही हैं जो महिलाओं के हिस्टीरिया से संबंधित हैं। कुछ व्यक्ति धन कमाने तथा लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए तथाकथित भविष्यवाणियां या बूझा भी निकालते हैं। कुछ ग्रामीण पुरुष इस भय से ग्रस्त पाए जाते हैं कि उनका विरोधी या दुश्मन किसी तांत्रिक से मिलकर उन पर 'मूठ' (गर्म लोहे का अस्त्र) का प्रयोग करवा कर अनिष्ट करवाता है। इस प्रकार की भ्रांतियों तथा अंधविश्वासों के चलते न केवल व्यक्ति का आत्म-बल कमजोर होता है बल्कि मानसिक शांति तथा संबंधों की मधुरता भी समाप्त होती है। दूर-दराज के गांवों में इस प्रकार की घटनाएं प्रतिदिन घटित होती हैं। ग्रामीणों की इसी कमजोरी का लाभ उठाकर कुछ ढोंगी व्यक्ति साधु, ओझा या तांत्रिक का रूप धारण करके किसी पर्वतीय तथा वन क्षेत्र में धूणी रमा लेते हैं तथा अंधविश्वासी जनता का सरेआम शोषण करते हैं। यहां यह तथ्य विचारणीय है कि जो तथाकथित सिद्धि प्राप्त तांत्रिक स्वयं फटेहाल दर-दर भटकता रहता है, वह भला दूसरों के कष्टों को कैसे दूर कर सकता है? फिर यदि तांत्रिकों तथा जादूगरों के पास ही अलौकिक शक्तियां होतीं, तो आज उन्हीं के हाथों में दुनिया की सत्ता भी होती।

वस्तुतः मानव स्वभाव जिज्ञासु तथा अस्थिर होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ढोंगी साधु तथा ओझा आम जनता को भ्रमित करते हैं। बहुत-से बाबा-ओझा एक नियोजित तंत्र के माध्यम से आस-पास के गांवों में कतिपय अनिष्टकारी आशंकाएं या अफवाहें फैलाते हैं तथा अपने ही कारिन्दों के माध्यम से भोली-भाली जनता को उपचार हेतु संबंधित बाबा तक लाते हैं। ग्रामीण समाज में अशिक्षा, गरीबी तथा अंधविश्वास का सदियों से बोलबाला रहा है जो न्यूनाधिक मात्रा में आज भी विद्यमान है। इसलिए ग्रामीण जनता मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को रोग न समझते हुए कभी भी चिकित्सक के पास जाना उचित नहीं मानती। स्थिति यह है कि राजस्थान में प्रतिमाह कोई न कोई ऐसा समाचार सुनने को मिल ही जाता है जिसमें किसी मानसिक समस्या (तथाकथित ऊपरी बीमारी) से मुक्ति हेतु अबोध शिशु या पशु की, देवी मां के समक्ष बलि चढ़ा दी जाती है।

मानसिक अवसाद से संबंधित एक अन्य बीमारी है—सिजोफ्रेनिया। इस बीमारी में रोगी सामान्यतया चुप, गुमसुम तथा शारीरिक रूप से अक्षम तथा सुस्त रहने लगता है। रोगी को मानसिक अस्थिरता तथा तनाव के कारण भांति-भांति के डरावने तथा विचित्र विचार आते हैं तथा वह स्वयं को षड्यंत्रों से घिरा हुआ असुरक्षित महसूस करता है। ग्रामीण समाज में इस प्रकार की स्थिति को देवी-देवताओं का प्रकोप मानकर मनौती मानी जाती है अथवा अन्य झाड़-फूंक कर उपचार करवाए जाते हैं जबकि सिजोफ्रेनिया की बीमारी का सहज उपचार आधुनिक चिकित्सालयों में उपलब्ध है, लेकिन मूल समस्या यही है कि ग्रामीण लोग मानसिक व्याधि या असामान्य व्यवहार को बीमारी की श्रेणी में मानने को तैयार ही नहीं हैं। उनकी नजर में शरीर पर गांठ, फोड़ा, फुंसी, बुखार, खांसी तथा दस्त इत्यादि ही बीमारी है। यही कारण है कि शहरी समाज में मानसिक व्याधि उत्पन्न होने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह ली जाती है, जबकि ग्रामीण समाज में मानसिक रोगी के उपचार हेतु चिकित्सक से परामर्श लेना अंतिम विकल्प माना जाता है। यद्यपि भारत के सुदूर ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य उप-केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं, फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर परिवार नियोजन तथा टीकाकरण को ही प्राथमिक सेवा माना जाता है। इन केन्द्रों पर न तो मनोचिकित्सक का पद सृजित है और न ही स्वास्थ्य कार्मिकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 'मानसिक स्वास्थ्य' को विस्तारपूर्वक गंभीरता से पढ़ाया जाता है। तेजी से भागती इस दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति आज मानसिक अवसाद तथा तनाव से ग्रस्त हो रहा है। ऐसे में रूढ़िवादी ग्रामीण समाज के लिए मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के सार्थक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है। निरसंदेह शिक्षा का प्रसार तथा योग्य चिकित्सकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ❑

गांवों का दर्द : कर्ज

डा. मोहम्मद हारून*

भारत गांवों का देश है। देश में लगभग पांच लाख गांव हैं। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार देश की लगभग तीन-चौथाई (74.3 प्रतिशत) जनसंख्या इन्हीं गांवों में निवास करती है। इन ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। लेकिन अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। इसलिए वे सदैव कर्जदार बने रहते हैं। सेठ, साहूकार, महाजन आदि इनका शोषण करते हैं और उनकी आय का अधिकांश भाग ब्याज चुकाने में ही समाप्त हो जाता है। इन किसानों का सबसे बड़ा दर्द कर्ज होता है। शाही कृषि आयोग के अनुसार, "भारतीय कृषक कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में ही उसकी मृत्यु होती है यानी तब कृषक परिवार में बच्चा जन्म लेता है, तो उस समय उसके पूर्वज कर्जदार होते हैं, जब वह पलता है तब भी उसके परिवार पर कर्ज का भार बना रहता है और जब वह वृद्ध होकर मरता है तब तक कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता और उसे अपनी संतान के लिए छोड़कर संसार से चला जाता है।

कारण

- भारतीय कृषि आज भी प्रकृति पर निर्भर है। जब कभी बाढ़, सूखा, फसलों में रोग जैसे प्राकृतिक संकट आ जाते हैं तो उत्पादन कम हो जाता है। परिणामत: कृषक को अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर्ज लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है।
- ग्रामीण अंचलों में आय कम होती है तथा ग्रामीणों के पास आपत्तिकाल के लिए कोई कोष नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि आपत्ति आने पर कर्ज लेना पड़ता है जिससे वे अपनी कम आय होने के कारण लौटा नहीं पाते और हमेशा कर्जदार बने रहते हैं।
- जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। फलत: खेत छोटे होते जा रहे हैं और उन पर कृषि प्राय: अनार्थिक होती जा रही है।
- गांवों में व्यवस्थित बाजार न होने के कारण कृषक अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता है।
- भारतीय कृषि में पशुओं का उपयोग आज भी पर्याप्त रूप से किया जाता है लेकिन जब कभी पशुओं की अचानक मृत्यु हो जाती है तो कृषकों को नया पशु खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ता है।
- वैसे तो भारतीय कृषक सादा जीवन बिताता है लेकिन सामाजिक रूढ़ियों में जकड़ा होने के कारण बेकार के व्ययों से बच नहीं सकता और उसे जन्म-मृत्यु, शादी-विवाह आदि पर प्रतिष्ठा के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसके लिए उसे कर्ज का सहारा लेना पड़ता है।
- ग्रामीणों को कर्ज प्राय: विरासत में मिलता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ऐसा होने से वह कर्ज लेना बुरी बात नहीं समझते और उनकी यह मनोवृत्ति उन्हें कर्ज लेने के लिए प्रेरित करती है।
- साहूकारों और महाजनों द्वारा ग्रामीणों को आसानी से कर्ज दे दिया जाता है। लेकिन अधिक ऊंची ब्याज दर और कर्ज के कागजों में हेरा-फेरी करने से कर्ज में वृद्धि होती रहती है।
- भूमि संबंधी मामलों को लेकर या अन्य व्यक्तिगत कारणों से ग्रामवासियों में मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति पाई जाती है और आय कम होने के कारण उन्हें इस प्रकार के खर्चों के लिए कर्ज लेने को बाध्य होना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी, गरीबी आदि अन्य प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से कृषकों को कर्ज लेना पड़ता है।

प्रभाव

- कर्ज से व्यक्ति की आय में कमी आती है क्योंकि उसे अपनी आय में से ब्याज और मूलधन के कुछ हिस्से का भुगतान करना पड़ता है। इससे उसके रहन-सहन का स्तर गिर जाता है।
- कर्जदार के सामने कम कीमत पर उपज बेचने की मजबूरी होती है क्योंकि फसल के आते ही कर्ज चुकाने के लिए उसे तुरंत बेचना जरूरी होता है जिससे कीमत कम मिलती है। कभी-कभी कृषक द्वारा कर्ज लेते समय फसल बेचने का वायदा करने के कारण भी पहले से निर्धारित कम मूल्य पर ही साहूकारों को फसल बेचनी होती है।
- कर्ज के कारण कृषक भूमि सुधार में असमर्थ होता है। फलत: उसकी भूमि अनार्थिक हो जाती है तथा उपज में गिरावट आती है।
- कर्जदार का समाज में स्तर गिर जाता है। इससे उसका आत्मबल गिर जाता है और नैतिक पतन होता है।

*प्रवक्ता, भूगोल विभाग, एस.एन. (पी.जी.) कालेज, आजमगढ़ (उ.प्र.)

- कृषक कर्ज के बोझ से दबा होने के कारण सदा चिंतित रहता है जिसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिणामत: उसकी कार्यकुशलता घट जाती है।
- जब कृषक अपने को कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ पाता है तो साहूकार या महाजन उसकी भूमि को कानूनी रूप से अपने अधिकार में ले लेता है, जिससे भूमिहीन कृषकों की संख्या में वृद्धि होती है।

सरकारी प्रयास

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से ही सरकार ग्रामीणों को साहूकारों और महाजनों के चंगुल से मुक्त कराने तथा उत्पादक कार्यों के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्ज उपलब्ध करा रही है। सरकार का प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, कारीगरों, दस्तकारों और अपना काम-धंधा शुरू करने वालों को आसानी से और उचित ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध हो तथा ग्रामीणों को साहूकारों और महाजनों के शोषण से बचाया जा सके। सरकार द्वारा कृषकों को उचित समय पर और पर्याप्त मात्रा में कर्ज देने के लिए कृषि साख नीति का संस्थायीकरण किया गया है। आजकल देश में कृषि ऋण का वितरण एक बहु-एजेंसी नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इस नेटवर्क में व्यावसायिक बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियां सम्मिलित हैं।

सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 12 जुलाई 1982 को एक विशेष बैंक—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की है। यह बैंक भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय बैंकों को ऋण प्रदान करता है। निजी व्यक्तियों को भी उत्पादक कार्यों के लिए कर्ज दिया जाता है।

प्रमुख कमियां और सुझाव

विगत वर्षों में वित्तीय संस्थाओं ने साख-सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा ग्रामीण ऋण प्रणाली अपने विकास के महत्वपूर्ण मोड़ पर है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने ग्रामीण ऋण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं और इस क्षेत्र में कुछ प्रगति भी हुई है। किंतु ग्रामीण ऋण व्यवस्था ग्रामीण विकास के अनुरूप नहीं हो पाई है। फलत: ग्रामीण आज भी साहूकारों और महाजनों के चंगुल से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सके हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि वित्तीय संस्थाओं की जो शाखाएं ग्रामीण अंचलों में खोली गई हैं उनके प्रबंध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इन शाखाओं में जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं उन्हें ग्रामीण इलाकों की कोई विशेष जानकारी नहीं होती है और न ही उन्हें इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा के अभाव में गरीब ग्रामीण बिचौलिए के माध्यम से कर्ज लेते हैं। ये बिचौलिए इनके कर्ज का कुछ अंश हजम कर जाते हैं। बहुत-से ग्रामीण तो बिचौलिए और प्रबंधक को प्रतिशत देकर कर्ज का नकद रूप में ही भुगतान करा लेते हैं जिसका वह अनुत्पादक कार्यों में प्रयोग करते हैं। वित्तीय संस्थाओं की कर्ज देने की नीति दोषपूर्ण होने के कारण कर्ज की रकम कृषकों को बहुत देर से प्राप्त होती है। कभी-कभी तो जरूरतमंद कृषकों को कर्ज मिल ही नहीं पाता। इन वित्तीय संस्थाओं के कर्ज देने के तौर-तरीके इतने जटिल हैं कि ग्रामीण इनसे कर्ज नहीं लेना चाहते हैं और वे साहूकारों तथा महाजनों के चंगुल में फंसे रहते हैं। अतएव इस संबंध में कुछ सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं:

- ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा सामाजिक वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि ग्रामीण शादी-विवाह, जन्म-मृत्यु आदि अवसरों पर अपनी हैसियत से अधिक व्यय न करें।
- ग्रामीणों के पुराने कर्जों को समाप्त करने या उनमें कमी करने और उन्हें आसान किस्तों में चुकाने की व्यवस्था की जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती ब्याज दर पर कर्ज देने वाली वित्तीय संस्थाओं का विस्तार किया जाए।
- वित्तीय संस्थाओं की जो शाखाएं ग्रामीण अंचलों में खोली गई हैं, उनकी प्रबंध-व्यवस्था में सुधार किया जाए। कर्मचारियों को ग्रामीण समस्याओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
- वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज दिए जाने की प्रक्रिया आसान की जाए तथा ग्रामीणों को कर्ज देते समय जमानत देने पर अधिक जोर न दिया जाए बल्कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता कैसी है।
- शिक्षा का प्रसार किया जाए तथा ग्रामीणों को वित्तीय संस्थाओं से कर्ज प्राप्त करने से संबंधित समुचित जानकारी दी जाए।
- साहूकारों और महाजनों की प्रक्रियाओं पर उचित कानूनी नियंत्रण लगाया जाना चाहिए जिससे वे कोई गैर-कानूनी और अनियमित कार्य न कर सकें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन की सुविधा सुलभ कराई जाए जिससे कृषकों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
- गांवों में ग्रामोद्योगों का विकास किया जाए जिससे ग्रामीणों की आय में वृद्धि हो सके और वे कर्ज के लिए बाध्य न हों।
- अधिकांश ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं से जो कर्ज प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग उपभोग के रूप में कर लेते हैं और अपना समुचित विकास नहीं कर पाते। अतएव वित्तीय संस्थाओं को दिए गए कर्ज की पर्याप्तता, इस्तेमाल की देख-रेख तथा उत्पादन कार्यों को बढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

आशा है कि इन उपायों से ग्रामीण ऋणग्रस्तता में कमी आएगी, कृषि का विकास अभूतपूर्व ढंग से हो सकेगा, ग्रामीण बेरोजगारी दूर होगी, ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी तथा साहूकारों व महाजनों के चंगुल से छुटकारा मिलेगा। इससे ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा तथा देश के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। ❑

रोजगार समाचार

देश में पांच लाख से भी अधिक लोगों द्वारा पढ़ा जाने वाला साप्ताहिक पत्र

इसमें है:-

- ❒ रोजगार संबंधी जानकारी
- ❒ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सूचनाएं
- ❒ ज्ञानवर्धक लेख तथा अन्य स्तंभ

रोजगार समाचार का प्रकाशन
सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा
आर.के.पुरम, नई दिल्ली से किया जाता है

स्थानीय विक्रेता से संपर्क करें अथवा निम्न पते पर लिखें:

सहायक सम्पादक (प्रसार), रोजगार समाचार,
ईस्ट ब्लाक-4, लैवल-5, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066.
दूरभाष-6107405

सहकारिता : बदलते आयाम में

लक्खी भूषण प्रसाद*

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य को सहकारिता की जरूरत पड़ती है, चाहे उसका स्वरूप जैसा भी हो। सहकारिता का अर्थ है—मिलकर काम करना। मिल-जुल कर काम करने की प्रवृत्ति हमारे देश में वैदिक काल से चली आ रही है। यह बात अवश्य है कि प्राचीन काल में सहकारिता आधारित कार्यकलाप के लिए कोई नियम तथा उप-नियम लिखित रूप में नहीं थे लेकिन मिलकर काम करने की प्रथा एक सामाजिक दायित्व के रूप में प्रचलित थी। इस अवधि में नैतिक मूल्यों की परिधि में व्यक्तिगत या सामूहिक चंदा या दान या अंशदान द्वारा आर्थिक विकास के कार्यकलाप चलाए जाते थे जिसके पीछे कल्याण की भावना निहित रहती थी।

सहकारी आंदोलन की शुरुआत

ब्रिटिश शासनकाल में देश में गंभीर आर्थिक उथल-पुथल हुआ। परिणामत: 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रेडिक निकोलसन की अनुशंसा पर कृषि तथा भूमि विकास कार्य के लिए सहकारी समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया। सन् 1903 में केंद्रीय विधानसभा द्वारा एक विधेयक पारित किया गया। सन् 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम के आधार पर अगले वर्ष लगभग 893 सहकारी समितियां पंजीकृत की गईं। सन् 1912-13 तक देश भर में कुल 8,172 सहकारी समितियां थीं, जिसमें 4,03,318 सदस्यों की भागीदारी थी और कुल कार्यशील पूंजी 3,035 करोड़ रुपये थी। दुर्भाग्यवश प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के कारण देश की बैंकिंग व्यवस्था पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा। परिणाम यह हुआ कि सहकारिता से संबंधित कार्यकलाप की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सौंप दी। सन् 1945 में सहकारिता विकास संबंधी एक महत्वपूर्ण योजना तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। सन् 1947 में भारत को आजाद घोषित किया गया साथ ही साथ देश का विभाजन भी हो गया। फलस्वरूप सहकारी व्यवस्था भी प्रभावित हुई। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद समितियों की संख्या, सदस्यों की संख्या और कार्यशील पूंजी में बड़ी तेजी से गिरावट आई। इस बीच योजना आयोग का गठन हुआ और देश के त्वरित विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी लाने की मंशा से सहकारी समितियों का गठन किया गया और इन समितियों द्वारा काफी बड़ी संख्या में कुटीर तथा लघु उद्योग क्षेत्र के कार्यकलापों के लिए साख उपलब्ध किया गया।

पंचवर्षीय योजना में सहकारिता को बढ़ावा

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में सहकारिता के माध्यम से सात करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया था। इस योजना अवधि में कुल 2,40,000 सहकारी समितियां पंजीकृत, हुईं 1,76,00,000 व्यक्ति उनके सदस्य बनाए गए और कुल 4.69 करोड़ रुपये कार्यशील पूंजी के रूप में उपलब्ध किए गए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में सहकारिता क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ और सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 3,30,000 हो गई। पांच वर्ष में सदस्यों की संख्या में भी क्रमिक रूप से वृद्धि हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को सहकारिता के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस अवधि में सहकारी समितियों की संख्या में हालांकि वृद्धि नहीं के बराबर हुई, लेकिन सदस्यों की संख्या बढ़कर 5,85,00,000 हो गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में सहकारिता कार्यकलाप को एक नया आयाम दिया गया। इस पांच वर्ष की अवधि में उपभोक्ता सहकारी समिति, कृषि सहकारी समिति तथा सहकारी साख समिति को विशेष तरजीह दी गई। परिणामत: सदस्यों की संख्या और कार्यशील पूंजी में तेजी आई। सहकारिता के बढ़ते आयाम के कारण पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 514.62 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और लघु तथा सीमांत कृषकों के लिए पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों और प्राथमिक साख समितियों के बीच बेहतर तथा सकारात्मक तालमेल को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में काफी बड़ी संख्या में कृषकों को बीज, खाद तथा नकद ऋण की व्यवस्था सहकारी क्षेत्र के माध्यम से की गई और विपणन सुविधा को कृषकों के लिए विकसित करने का सफल प्रयोग किया गया। कृषि बाजार समितियों का बड़ी संख्या में विस्तार किया गया। विपणन की सुविधा को उत्पादकों के निकट लाने का प्रयास किया गया। भंडारगृहों के साथ-साथ बिक्री केंद्रों का निर्माण किया गया। यातायात तथा परिवहन जैसी सुविधा को बाजार और उत्पादन क्षेत्र के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया।

जनजातीय तथा गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 'लैम्पस' तथा 'पैक्स' के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय-विक्रय के साथ खाद, बीज, संयंत्रों

*संकाय सदस्य, बिहार ग्रामीण विकास संस्थान, हेहल, रांची

आदि के लिए ऋण सुविधा विकसित करने का प्रयास किया गया। इस अवधि में बजट प्रावधान की राशि बढ़ाकर 915 करोड़ रुपये कर दी गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल 3,00,000 समितियां पंजीकृत की गईं। फलस्वरूप सदस्यों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हो गई और कुल कार्यशील पूंजी 65,500 करोड़ रुपये हो गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सहकारी क्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप कुल 7,665 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। साथ ही साथ सहकारी समितियों के प्रबंधन को मजबूत बनाने पर भी बल दिया गया। सहकारी समितियों को परिणामोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से 'आदर्श सहकारी समिति' की कल्पना को मूर्त रूप देने का प्रयास भी किया गया।

सहकारिता की अहम भूमिका

नई नीति के अंतर्गत सहकारी समितियों के पंजीकरण की व्यवस्था को सरल बनाया गया, प्रबंधन तथा विस्तार कार्य को प्रभावकारी बनाया गया और सदस्यों की सहभागिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आदर्श सहकारी समिति के नियमों तथा उप-नियमों में सदस्यों की शेयर मनी पर विशेष छूट दी गई है ताकि ये समितियां स्वयं के एकत्रित धन से अपने आर्थिक कार्यकलाप कर सकें। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश भर में 3.95 लाख सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, कुल सदस्यों की संख्या 1.89 करोड़ की है।

विकास के विभिन्न सेक्टरों में से कुछ प्रमुख सेक्टरों में आर्थिक कार्यकलाप के अंतर्गत कार्यरत सहकारी समितियां और उसकी सहभागिता का प्रतिशत आगे दी गई तालिका में है।

इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि देश के आर्थिक विकास को मजबूत आधार देने में सहकारी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। कई राज्यों, जैसे—केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में सहकारी समितियों के लाभों को उत्पादकों के करीब लाने में सफलता हासिल हुई है लेकिन बिहार, उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों में सहकारी समितियों की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। वस्तुत: इन राज्यों में भी सहकारी समितियों का गठन हुआ, लेकिन कमजोर प्रबंधन, प्रशासनिक

तालिका

आर्थिक क्षेत्र	सहभागिता का प्रतिशत
कृषि क्षेत्र (साख)	43
रासायनिक खाद उत्पादन	21.01
रासायनिक खाद वितरण	34
चीनी उत्पादन	60.06
गेहूं वसूली	27
जन वितरण प्रणाली	26
जूट वसूली	43
खाद्य तेल विपणन	50
हथकरघा	58
सूत उत्पादन	16.04

पर्यवेक्षण का अभाव, कमजोर राजनैतिक इच्छा-शक्ति, सशक्त वर्ग का वर्चस्व, वित्तीय साधनों की कमी और जागरूकता का अभाव जैसे कारणों से यह संस्थाएं रोगग्रस्त हो गईं।

भारत जैसे विकासशील देश जहां तीन-चौथाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अस्सी फीसदी लोग कृषि तथा उससे जुड़े कार्यकलापों में कार्यरत हैं, वहां सहकारिता को सुदृढ़ आधार देना एक आवश्यकता है। सहकारिता के अभाव में बड़े पैमाने पर उत्पादन में ह्रास हो रहा है, संगठित बिचौलियों का उत्पादकों द्वारा शोषण किया जा रहा है। परिणामत: उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों की परेशानी बढ़ती जा रही है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि एक ओर उत्पादकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है—उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त होना और दूसरी ओर यह है कि उपभोक्ता से मनमानी कीमत वसूल किया जाना। इन दोनों के बीच की खाई को सहकारी समितियों से कम किया जा सकता है। अब आवश्यकता यह है कि उत्पादन तथा उपभोक्ता दोनों की सहयोग समितियों के लिए आम लोगों को जागरूक बनाया जाए और उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाए। बिहार जैसे पिछड़े राज्य की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत आधार देने के लिए सहकारिता को प्रभावकारी बनाना एक अनिवार्य विकल्प रह गया है। ❑

लघु कथा

उदार कंजूस

शशिभूषण बडोनी

वर्मा जी और मिश्रा जी मेरे पड़ोसी हैं। होली पर वर्मा जी ने कुछ ज्यादा ही रंगीन तथा उदार होते हुए मुझे सौ का नोट पकड़ाते हुए मिश्रा जी से कहा, "मिश्रा जी, कंजूसी छोड़ो और फटाफट सौ की पत्ती निकाल कर सुरेश जी को दो। यार, होली साल में एक ही बार तो आती है। सुरेश जी, कैंटीन रेट पर ही ला रहे हो न?"

मिश्रा जी ने सौ का नोट मेरे हवाले किया। मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर से वायदानुसार होली के लिए पीने के रंग का प्रबंध कर दिया। होली पर दोनों महानुभावों ने स्वयं भी और आगंतुक मित्रों का स्वागत पीने-पिलाने से किया।

होली के दूसरे दिन सफाई कर्मचारी वर्मा जी के यहां गया, "साहब, होली का टैम है। कुछ दो-चार रुपये होली की मिठाई के लिए होने चाहिए।"

"अरे, सफाई तो ढंग से करता नहीं। महीने में पंद्रह रुपए ले जाता है। ऊपर से होली-दीवाली का इनाम। अभी तो हमें वेतन भी नहीं मिला है, तो तुम्हें कहां से दें? फिर देखेंगे।" वर्मा जी ने उसे टरका दिया।

मैं उस सफाई कर्मचारी को देखने लगा। वह चुपचाप वर्मा जी की रात को की हुई उल्टियां साफ करने लगा था। ❑

ग्रामीण विकास और बैंक

बी.बी. मंसूरी*

भारत एक ग्राम प्रधान देश है। यहां लगभग दो-तिहाई जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। अत: देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि गांवों का समग्र विकास किया जाए। वस्तुत: इसी उद्देश्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीकरण कर, ग्रामोत्थान का दायित्व बैंकों को सौंपा था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण विकास की मुख्य धारा में तीव्र गतिशीलता आई क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के निमित्त अनेक बैंक शाखाओं को सुदूर क्षेत्रों में खोलने का काम द्रुत गति से हुआ।

ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न बैंकों की स्थापना

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जुलाई 1969 तक देश में बैंकों की 8,262 शाखाएं थीं, जिसमें 23 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में थीं, लेकिन 30 जून 1996 की स्थिति के अनुसार देश में बैंकों की शाखाओं की संख्या बढ़कर 62,881 हो गई है जिनमें से 61 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) : यह देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्षस्थ संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। नाबार्ड की वर्तमान शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये है जिसे 1996-97 में 1,000 करोड़ रुपये किया गया। नाबार्ड ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित सुविधाएं प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती हैं। अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से धनराशि प्राप्त करता है।

*सदस्य, वाणिज्य संकाय, सी.एम. कालेज, दरभंगा

नाबार्ड द्वारा वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। परिणामस्वरूप ये बैंक लघु सिंचाई, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, डेरी विकास, फार्म यंत्रीकरण आदि के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों के साथ-साथ अपनी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को चालू रख सकते हैं। इस प्रकार नाबार्ड द्वारा 31 मार्च 1996 तक कुल 27,541 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा कारीगरों को संस्थागत उधार उपलब्ध कराने के लिए देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। ये बैंक सिक्किम तथा गोवा को छोड़कर समस्त राज्यों में कार्यरत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 22 अक्तूबर 1997 से 25,000 से 2 लाख रुपये तक पर ब्याज दर स्वयं निर्धारित करने की छूट प्रदान कर दी गई है, किंतु इसकी अधिकतम सीमा 13.5 प्रतिशत वार्षिक होगी। तीन वर्ष से अधिक अवधि के सावधि ऋणों के लिए बैंकों को अलग से प्राइम लैंडिंग रेट निर्धारित करने की छूट दी गई है। अभी तक इन बैंकों द्वारा प्रदत्त 25,000 से 2 लाख रुपये तक के उधार पर 13.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज निर्धारित था तथा 2 लाख से अधिक के ऋणों पर ब्याज दर निर्धारित करने को वे स्वतंत्र थे। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त उक्त छूट से और अधिक स्वतंत्रतापूर्वक ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे।

भूमि विकास बैंक : किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने अथवा पुराने ऋणों का भुगतान करने आदि से संबंधित वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई है। यह बैंक किसानों की अचल सम्पत्ति को बंधक रखकर दीर्घकालीन (25 वर्ष तक) ऋणों की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार यह बैंक ग्रामीणों की भूमि से संबंधी विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं।

विभिन्न योजनाएं

बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास मुख्यत: उन्हें सुलभ वित्तीय सहायता प्रदान करके ही किया जाता है। इस दिशा में रिजर्व बैंक तथा केंद्र सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जो इस प्रकार हैं :

विभेदी ब्याज दर योजना : यह योजना उन गरीबों के लिए है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 6,400 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 7,200 रुपये से अधिक नहीं है तथा जो 2.5 एकड़ गैर-सिंचित भूमि से कम का स्वामित्व रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 6,500 रुपये का ऋण अथवा कार्यशील पूंजी, ऋण उत्पादक कार्यों के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत बैंकों द्वारा प्रदान किए गए कुल ऋणों का कम-से-कम 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

ग्रामीणों के लिए नई रणनीति सेवा क्षेत्र पद्धति : फरवरी 1988 के पश्चात उधार की एक नई रणनीति अपनाई गई, जिसे सेवा क्षेत्र पद्धति के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 1989 से प्रारंभ इस योजना के अधीन व्यापारिक बैंकों की शाखाओं को विशेष अर्द्ध-नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र सौंपे गए, जिनमें उन्हें कार्य करना होगा तथा अपने-अपने क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए आयोजन पद्धति अपनानी होगी। इस प्रकार यह योजना ग्रामीण विकास की दिशा में बैंकों की उत्तम योजना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु ऋण प्रदान करने की योजना : वर्ष 1997-98 के बजट में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि 15 अगस्त 1997 से प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की एक विशेष योजना प्रारंभ की जाएगी। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तैयार की जाने वाली इस योजना में पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर मकान बनाने या मकान की मरम्मत कराने आदि के लिए बैंकों से 2 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि ऐसा ऋण लेने वाला व्यक्ति कुल लागत का कम-से-कम एक-तिहाई भाग स्वयं के स्रोतों से जुटाए।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : इसके तहत देश के समस्त विकास खंडों में निर्धनतम व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष चुनकर बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाकर, गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। यह ऋण विभिन्न ग्रामीण क्रिया-कलापों के लिए दिया जाता है, जिससे उन्हें स्वरोजगार की प्राप्ति हो सके।

अग्रणी बैंक योजना : यह योजना मुख्यत: ग्रामीण जनता की गरीबी से मुक्ति के लिए विविध कार्यों का समन्वित प्रयास है। इसके अंतर्गत देश के सभी जिलों को आर्थिक विकास हेतु सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा कुछ निजी बैंकों के बीच बांटा गया है, जहां ये बैंक अपनी शाखाओं को बढ़ाने और ऋण संबंधी सुविधाओं के विस्तार के लिए क्षेत्रीय क्षमता का सर्वेक्षण करते हैं। ये बैंक केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के तालमेल से ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रोत्साहन देते हैं।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान : इस प्लान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान या लघु व्यापार आदि स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 1973-74 में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 54.8 प्रतिशत लोग गरीबी तथा निर्धनता की चपेट में थे, वहां नवीनतम स्थिति के अनुसार 1994-95 में इनकी संख्या 35.88 प्रतिशत तक आ गई है।

बैंकों की भूमिका की सार्थकता

आज बैंकों के अथक प्रयासों से गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने में भी सफलता मिली है। गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करने में काफी सहायता मिली है। निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका की सार्थकता का सिंहावलोकन कर सकते हैं :

खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता : 'नाबार्ड' के नेतृत्व में कृषि तथा ग्रामीण साख उपलब्ध कराने में कार्यरत विभिन्न प्रकार के बैंकों, यथा—भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, भूमि सुधारक तत्वों, आधुनिक कृषि यंत्रों, ट्रेक्टरों, थैशरों, इंजनों, क्रापिंग मशीनों, फिल्टर पाइन्टो, स्टेबलाइजर तथा अन्य कृषि उपयोगी इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा ट्यूबैल, पम्पसेट जैसे सिंचाई के साधनों के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाने का ही परिणाम है कि भारतीय किसान कृषि की नवीन तकनीक की ओर आकर्षित हुए हैं तथा इनका उपयोग करने लगे हैं। बैंकों द्वारा संचालित इन कृषि तथा ग्रामीण ऋण योजनाओं का ही परिणाम है कि निरंतर बढ़ती जनसंख्या के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है तथा हरित-क्रांति से आगे बढ़कर कृषि जिन्सों के निर्यातक देशों की श्रेणी में पहचान बनाई है। 1950-51 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन 5.08 करोड़ टन था जिसके 1996-97 में बढ़कर 19.8 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया।

रोजगार में बढ़ोतरी : ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है जिसके कारण वहा जन शक्ति का अधिकतम उपयोग नहीं हो पाता। फलस्वरूप ग्रामीण व्यक्ति तो निर्धन बने ही रहते हैं, देश भी कमजोर रहता है। गांवों में व्याप्त मौसमी, स्थायी, अर्द्ध-शिक्षित तथा अदृश्य बेरोजगारी के निवारण हेतु बैंकों द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। 1978-79 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संचालन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने वाली योजना 'ट्राइसेम' के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को भी बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत बैंकों द्वारा अनेक प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के

(शेष पृष्ठ 42 पर)

कुरुक्षेत्र 40 वर्ष पहले

ग्राम राज्य

शशि सोनीपती

श्री कृष्णपुरा गांव की पंचायत का चुनाव हो चुका था। केवल सरपंच का चुनाव बाकी रह गया था। श्यामू हरिजन तथा ठाकुर मोहनसिंह दोनों सरपंची के उम्मीदवार थे। गांवों में पंच को परमेश्वर माना जाता है। इसलिए पंचों की तथा गांववालों की इच्छा थी कि गांव में ऐसे आदमी को सरपंच चुना जाए जिसके दिल में गरीबों के प्रति दया हो और जो सारे गांव के बोझ को उठाने में समर्थ हो; सारा गांव उस पर विश्वास करता हो और उसे भी गांव से लगाव हो; जो गांव की इज्जत तथा बेइज्जती को अपनी इज्जत तथा बेइज्जती समझता हो।

इस समय सिवाय सरपंच के चुनाव के और कोई चर्चा ही न थी। ठाकुर साहब अच्छे-खासे जमींदार थे। गांव पर उनका दबदबा था। सैंकड़ों बीघा धरती थी। नौकर-चाकर आदि भी थे। थोड़ा-बहुत पढ़े हुए भी थे। उनके मुकाबले का उम्मीदवार श्यामू एक ईमानदार तथा मेहनती कार्यकर्ता था। वह गांववालों को दुखी देखकर स्वयं भी दुखित हो उठता था। लोगों की सेवा करना उसका अपना लक्ष्य था। थोड़ी-सी धरती में काश्त कर बाकी का सारा समय गांववालों की सेवा में ही लगाता था।

जब सरपंच का चुनाव करने के लिए गांव की पंचायत बैठी तो जिला पंचायत अधिकारी भी वहीं थे। सबसे पहले उन्होंने गांववालों को पंचायत की आवश्यकता बताई। पंचायत अधिकारी ने बताया कि आपस के छोटे-छोटे झगड़ों पर गांव का लाखों रुपया वकीलों और कचहरी वालों के पेट में चला जाता है। उसके बाद भी वहां का फैसला कांटा बन कर सदैव के लिए खटकता रहा है। मजिस्ट्रेट आदि वकीलों तथा गवाहों पर अपना फैसला देते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि बेगुनाह दंड पा जाते हैं और गुनाहगार चांदी का सहारा लेकर बाइज्जत मुक्ति पा जाते हैं। आज के न्यायालयों से इन्साफ पाने के लिए धन को पानी की तरह बहाना पड़ता है। मकान तथा जमीन तक बिक जाती है। लोगों को वह न्याय बहुत महंगा पड़ता है, समय भी काफी लग जाता है। भारत की पुरानी परंपरा को पुनः जीवित रखने के लिए पंचायतों को जीवित रखना अत्यंत आवश्यक है। पंचायत ही सच्चा निर्णय कर सकती है। पंच परमेश्वर का रूप होते हैं। राजा लोग भी पंचायतों के निर्णय को अंतिम निर्णय मान लेते थे। आज के न्यायाधीश सच्चाई तथा वास्तविकता से दूर रह कर वकीलों तथा गवाहों की जिरह पर अपना निर्णय देते हैं। उसके विपरीत गांववाले अपराधियों को तथा अपराध में सहयोग देने वालों को भली प्रकार जानते हैं। अतः वे ही उसे उचित रूप से दंड दे सकते हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा ही गांववाले झगड़े-फसादों से बच सकते हैं, उन्हें समुचित दंड भी दे सकते हैं और वह दंड अपराधियों को सुधार भी सकता है। जबकि न्यायालय का दंड अपराधी को और भी भयानक बना देता है और वह समाज के लिए भयंकर अभिशाप बन जाता है। वह अपना विकराल रूप दिखाता है। जेलें उनका सुधार नहीं कर पातीं। लोग केवल बिरादरी के डर से ही बुराइयों से दूर रह सकते हैं। जिस गांव पर ग्राम पंचायत का आधिपत्य नहीं होता, वहां सुधार आदि नहीं हो सकते। हमेशा अशांति फैली रहती है।

इसके बाद गांव के एक बूढ़े ने उठकर गांववालों से प्रार्थना की कि वह अपना वोट अंदर जाकर जिसको चाहें, बेधड़क होकर डाल आएं। आपका वोट गुप्त रहेगा, उसे कोई नहीं जान पाएगा। यह कह कर वह वृद्ध सज्जन बैठ गए।

पंचायत अधिकारी ने एक कमरे में अलग-अलग डिब्बे रखवा दिए थे, जिन पर अलग-अलग उम्मीदवारों के निशान बने थे। ठीक समय पर मतदान आरंभ हुआ। बाद में गिनती से पता चला कि श्यामू बहुमत से जीत गया है। सबने उसे बधाई दी। ठाकुर साहब ने तो उसे गले से लगा लिया और पूर्ण सहायता देने का वच दिया।

सरपंच बनने के बाद श्यामू एक मिनट भ बेकार नहीं बैठता था। उसके सामने क परेशानियां थीं। गांव की गलियां पक्की न थ गलियों का पानी कीचड़ बन कर बदबू फैला करता था, गांववाले गोबर को जला देते थे पंचायत घर न था, गांव में कोई स्कूल तथा वै न था।

श्यामू ने एक दिन गांववालों को बुलाया औ अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रखीं त लोगों से सहयोग की अपील की। श्यामू ने प्रार्थ करते हुए गांववालों से कहा कि हमारी य परेशानियां कोई और हल करने नहीं आएग उसे सरकार या कोई और हल नहीं कर सकत हम सब मिलकर अपनी समस्याएं हल कर सक हैं। इसके लिए थोड़े-से श्रम तथा धन की जरूर है जो आपको देना होगा।

ठाकुर साहब ने स्कूल के लिए जमीन त पंचायत घर के लिए 200 रुपये दिए। श्यामू भी स्वयं 100 रुपये दिए। इसके बाद सब दिल खोल कर चंदा दिया।

कुछ ही दिनों में श्रमदान से स्कूल त पंचायत घर बन कर तैयार हो गए।

श्यामू गांव के प्रत्येक युवक से मिलता, उ इधर-उधर समय बरबाद करने से रोकता, उसक ध्यान गांव की उन्नति के लिए खींचता। उस नौजवानों को झकझोर-झकझोर कर गांव के लिए कुछ न कुछ करने को प्रोत्साहित किया।

उसके प्रोत्साहन पर नवयुवकों की टोलिय हाथों में टोकरियां तथा फावड़ा लिए गांव की गंदगी साफ कर रही थीं। खड्डे भरे जा रहे थे गांव साफ हो रहा था। लोगों ने गोबर जलान छोड़, उसका प्रयोग खाद के रूप में करना आरंभ कर दिया था। गांव में स्कूल तथा एक औषधालय भी खुल गया था।

पंचायत से लोगों को न्याय मिलता था। लोगों का रुपया कचहरी में झूठी आन-बान को बचाने के लिए नहीं लगता था। गांववालों के उत्साह को देख कर सरकार ने उसे अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में ले लिया। गांव का भाग्य

*कुरुक्षेत्र, जुलाई 1958 अंक से उद्धृत

चमक उठा। सड़कें पक्की बनवाई जाने लगीं। गांववालों ने आपस के चंदे से कुंएं और तालाब पक्के बनवा लिए। सहकारी समितियां बनाकर लोग उद्योग-धंधे चला रहे थे। छुआछूत का तो मानो पता ही न था। इतना सब होते हुए भी श्यामू संतुष्ट नहीं था। अभी भी गांव में गरीबी थी। पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं प्रचलित थीं। बूढ़े-बुजुर्ग अपना समय ताश और चौपड़ आदि में लगा रहे थे, जिससे कभी-कभी झगड़ा हो जाता था। इनसे छुटकारा दिलाने के लिए उसने पंचायत को रेडियो खरीदने का सुझाव दिया। जब भी रेडियो चलता—औरतें, बूढ़े-बच्चे इकट्ठे हो जाते और उसके बाद उसकी चर्चा में लगे रहते।

श्यामू अधिक पढ़ा-लिखा न था। उसकी इच्छा थी कि वह पढ़े। उसका विश्वास था कि उसकी देखा-देखी और लोग भी पढ़ने लगेंगे। उसने अपने विचार ठाकुर साहब को बताए। वह काफी प्रभावित हुए। अनायास उन्होंने उसे गले लगा कर कहा—"श्यामू जितना तुमने इस गांव के लिए किया, शायद ही कोई कर सकता।" उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अंधा क्या मांगे, दो आंखें। श्यामू की अंतरात्मा हर्ष से नाच उठी।

धीरे-धीरे बड़े-बूढ़े तख्तियां तथा स्लेटें ले कर आने लगे। उन्हें पढ़ता देख, औरतों का मन भी उमड़ पड़ा। उन्होंने भी अपने लिए कुछ चाहा। पंचायत की सहायता से उनके लिए कढ़ाई-बुनाई तथा कताई का स्कूल खोल दिया गया।

गांव की पंचायत ने आस-पास के गांव के प्रतिनिधियों को बुलाया क्योंकि उन्होंने सफाई सप्ताह मनाना आरंभ कर दिया था। गांव साफ-सुथरा बन रहा था। बाहर से आए हुए मेहमानों को चौपालों में ठहराया गया। सबने गांव की योजनाएं देखीं और बहुत प्रभावित हुए। श्रीकृष्णपुरा वालों ने उनसे पूर्ण सहयोग करने के लिए कहा। लोगों ने गांव की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

प्रांत में शांति थी, सुख था, अमन था। चोरी-डकैती का नाम न था। गांव पर लोग अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। स्कूल-पंचायत आदि का कार्यक्रम, सब ढंग से चल रहा था। सहकारी समितियां ढंग से काम कर रही थीं।

प्रांत में जमींदारों ने मुजारों के खिलाफ बे-दखलियां करानी आरंभ कर दीं। लोग भूखों मरने लगे। किसान गांव छोड़ कर शहर की ओर भागने लगे। गांव में दो दल बन गए। लोगों ने तंग आकर कचहरियों की शरण लेना आरंभ कर दिया। हालात बिगड़ते गए। कई गांवों में तो खूब खुलकर लाठियां चलीं। कितने मासूम अनाथ हो गए, कितनों की मांग का सिंदूर पुंछ गया। लोगों में एक-दूसरे के प्रति नफरत बढ़ने लगी। सरकार और जनता दोनों परेशान थे। सरकार कोई ऐसा कानून बनाना चाहती थी जिससे दोनों पक्षों में समझौता हो जाए। इन्साफ के लिए सरकार का दरवाजा खटखटाया जाने लगा। श्यामू परेशान था क्योंकि यह हवा उसके गांव में भी फैलने लगी थी। यहां भी दो दल बन चुके थे। गांव की शांति छिन्न-भिन्न हो चुकी थी। श्यामू ने पंचायत बुलाई। परस्पर समझौता कराने की बहुत चेष्टा की, किंतु असफल। उसकी भी परवाह न की गई। लोगों ने उसकी बात को सुना-अनसुना कर दिया। गांव में एक-दूसरे के प्रति नफरत बढ़ रही थी।

पंचायत उस मसले को हल किए बिना ही उठ गई।

श्यामू ने बहुत सोचा, किंतु उसे कोई रास्ता ही दिखाई न दिया। वातावरण और बिगड़ने लगा। लोगों ने इन्साफ के लिए कचहरियों की शरण लेनी शुरू कर दी। यह बात श्यामू के लिए मौत के बराबर थी। श्यामू ने सोचा कि 'जीवन भर जिस जुए को उतारने के लिए गांव में अपना खून-पसीना एक किया, आज वह कलंक पुनः माथे पर लगने जा रहा है।' उसने यह निर्णय किया कि वह गांववालों को कचहरियों के कटघरे में नहीं जाने देगा। वह उन्हें निर्दयी वकीलों तथा अहलमदों की मांद में जाने से रोक देगा, चाहे उसे प्राणों की बाजी ही क्यों न लगा देनी पड़े।

उसने अपना निर्णय गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा दिया कि 'तुम लोग मेरी लाश पर पैर रख कर ही कचहरियों में जा सकोगे। जब तक में जिंदा हूं, तुम्हें अपना फैसला स्वयं करना होगा।' लोगों ने उसकी बात को सुना-अनसुना कर दिया। परस्पर रोष बढ़ रहा था। घर-घर भय छाया हुआ था। उसने गांव की शांति के लिए मरणव्रत रख लिया और अपना बिस्तर गांव की चौपाल में लगा दिया।

जब लोगों ने यह संवाद सुना, तो उनके पैर तले से धरती खिसक गई। सरकार परेशान थी। हालात कुछ अजीब से थे। हैदराबाद में खूनी क्रांति मची हुई थी। यहां मुजारों और जमीदारों में खुलकर लाठियों-गोलियों का प्रयोग हो रहा था। इस कारण वातावरण और भी भयावह हो रहा था।

एक आशा की किरण लिए हुए महात्मा गांधी के परमप्रिय शिष्य संत विनोबा लोगों का हाल-चाल जानने के लिए हैदराबाद पधारे। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और उनसे जानकारी चाही। लोगों ने विनोबा जी को बताया कि 'जब हमारे पास जमीन ही न होंगी, हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे?' उनकी बात सुनकर विनोबा जी प्रभावित हुए। बिना इस समस्या को हल किए, वह वहां से जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने जमींदारों को बुलाया और उनसे अपील की कि 'वे अपने भाइयों को जीवित रहने के लिए तथा बाल-बच्चों को पालने के लिए धरती दान दें। धरती का सही अधिकारी किसान है जो अपने खून-पसीने से उसमें अनाज उत्पन्न करता है।' एकाध जमींदार के यह कहने पर कि 'धरती हमारी है, हम उसके मालिक हैं, कैसे अपनी मिल्कियत छोड़ दें।' उन्होंने बताया कि 'धरती हमारी मां है। हम सब उसके पुत्र हैं, न कि मालिक। जब मां सबकी है तो उस पर सबका समान अधिकार है।' उनकी पुकार ने लोगों के दिलों को हिला दिया। उनकी सोई हुई आत्मा जाग उठी। एक जमींदार ने खड़े होकर कहा—"बाबा, मैं अपनी जमीन में से सौ बीघा धरती दान देता हूं।" लोग अवाक् रह गए। चप्पा-चप्पा भूमि के लिए सेशन तथा हाईकोर्ट तक लड़ने वाले आज सैंकड़ों बीघा धरती दान दे रहे थे। लोगों को राम राज्य के दृश्य याद आ रहे थे जब भरत राम के वन जाने पर उनसे वापसी के लिए अनुरोध करते हैं और राम भी उसे ठुकरा देते हैं। मानवता ने दानवता पर विजय

(शेष पृष्ठ 42 पर)

ग्रामीण विकास में बैंकों का योगदान

डा. पी. के. अग्रवाल*

भारत जैसे विकासशील देश के गांवों के विकास में बैंकों का विशिष्ट योगदान है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84.63 करोड़ थी जिसमें 74.29 प्रतिशत भाग ग्रामीण जनसंख्या और 25.71 प्रतिशत भाग शहरी जनसंख्या का था। यह सुविदित है कि देश का विकास गांवों के विकास पर निर्भर है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात के प्रारंभिक 20 वर्षों में देश में बैंकिंग सेवाओं के अपर्याप्त और असंतुलित विकास के कारण कृषि, लघु उद्योग तथा निर्धन वर्ग की उपेक्षा और जनता की जमा राशियों का दुरुपयोग होता रहा। इन कारणों की वजह से बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की जाती रही। परिणामस्वरूप देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 प्रमुख बैंकों (जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपये से अधिक थी) का राष्ट्रीयकरण करके ग्रामीण विकास का दायित्व बैंकों को सौंपा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीय बैंकिंग इतिहास का महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम था। राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप सुदूर ग्रामीण अंचलों में बैंकों की शाखाएं खुलने लगीं और ग्रामीण विकास की मुख्य धारा में गतिशीलता आई।

15 अप्रैल 1980 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा 6 अन्य निजी बैंकों को भी सरकारी स्वामित्व में ले लिया जिनकी जमा राशि 14 मार्च 1980 को 200 करोड़ रुपये से अधिक थी। इस प्रकार 20 बैंक सरकारी क्षेत्र में आ गए तथा बैंकों में जमा लगभग 90 प्रतिशत राशि सरकार के स्वामित्व में आ गई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के तीन प्रमुख उद्देश्य थे—(क) ग्रामीण तथा कस्बाई क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की स्थापना करना, (ख) बैंक की जमा राशियों में और अधिक वृद्धि करना तथा (ग) ऋण की दिशा पुनःनिर्धारित करना, ताकि कृषि, लघु और कुटीर उद्योग, ऋणग्रस्त निर्धन वर्ग जैसे अब तक के उपेक्षित क्षेत्रों को लाभ पहुंचाया जा सके। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रवृत्ति तथा कृषि के क्षेत्र में साख-सुविधाएं दी जाने लगीं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय (1969 में) देश में कुल बैंक शाखाओं की संख्या 8,262 थी, इसमें से लगभग 23 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में थीं जबकि 30 जून 1996 को बैंक शाखाओं की संख्या बढ़कर 62,881 हो गई तथा इसमें से 61 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थीं। उक्त अवधि में बैंकों की औसतन शाखाएं प्रतिदिन खुली हैं।

भारत की बैंकिंग प्रणाली द्वारा विकास के लिए किए जा रहे प्रयत्नों का विवरण इस प्रकार है :

सामाजिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा ग्रामीण विकास की कल्पना

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय बैंकिंग प्रणाली के यथार्थवादी बन जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की तेजी से स्थापना की गई। बैंकों की शाखाओं का विस्तार ग्रामीण विकास की आवश्यकता भी थी और सरकारी नीति भी। गांवों में परिवर्तन लाना ही सामाजिक बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य था।

सघन बैंकिंग : अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत तथा राजस्व जिले को इकाई मानकर अग्रणी बैंक को उस जिले में सघन बैंकिंग का उत्तरदायित्व सौंपा जाता रहा है। इस बैंक का यह कार्य है कि वे अपने जिले के सर्वेक्षण करके साख की आवश्यकताओं तथा बचतों का अनुमान लगाए और साख के योग्य पात्र की प्रतीक्षा न करके उन तक पहुंचे—यही सघन बैंकिंग का महत्वपूर्ण पहलू है।

ग्रामीण बैंकिंग : ग्रामीणों में बैंकिंग प्रवृत्ति का प्रचार-प्रसार और विकास करना ही सामाजिक बैंकिंग का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। अग्रणी बैंक योजना लागू होने के पश्चात गांवों में तेजी से बैंक शाखाएं खोली गईं। गांवों में व्यापारिक बैंकों ने जमा राशि में वृद्धि तो की, परंतु ये बैंक ऋण देने में संकोच करते थे तथा दिए गए ऋणों की सुरक्षा के प्रति सतर्क भी अधिक रहते थे। अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के विचार ने जन्म लिया। गांवों के सुस्पष्ट विकास के लिए गांव गोद लेने की योजनाएं बनीं। इसमें ग्रामीण गरीबों तथा साधनहीन व्यक्तियों पर अधिक ध्यान दिया गया।

ग्रामीण विकास हेतु बैंकों की स्थापना

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)—देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने वाली यह शीर्ष

*सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शास. पालूराम धना. वाणि. एवं कला महाविद्यालय, रायगढ़, मध्य प्रदेश

संस्था है। रमण समिति की सिफारिशों के आधार पर 12 जुलाई 1982 को इस बैंक की स्थापना की गई। बाद में, कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम को भी इस बैंक में मिला दिया गया। स्थापना के समय इस बैंक की अंश पूंजी 500 करोड़ रुपये थी, जिसे 1996-97 में बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया गया। यही नहीं, रिजर्व बैंक ने 1997-98 की प्रथम छमाही के लिए जो मौद्रिक तथा ऋण नीति घोषित की है, उसमें नाबार्ड की अंश पूंजी 1,500 करोड़ रुपये कर दी है। अपने ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से धनराशि प्राप्त करता है।

ग्रामीण ऋण ढांचे में नाबार्ड एक सर्वोच्च संस्था के रूप में वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध कराता है। परिणामत: ये बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लघु उद्योग, सिंचाई, फार्म यंत्रीकरण आदि के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों के साथ-साथ अपनी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को चालू रख सकते हैं। इस प्रकार नाबार्ड द्वारा 31 मार्च 1996 तक 27,541 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। राज्य सरकारों तथा राज्य नियंत्रित निगमों को ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा चालू सिंचाई योजनाओं के विस्तार हेतु नाबार्ड ने मार्च 1997 तक आर.आई.डी.एफ.-1 कोष के तहत 23 राज्य सरकारों को 2,010 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए और आर.आई.डी.एफ.-2 के तहत 16 राज्य सरकारों को 2,646.88 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साख की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अभ्युदय 2 अक्तूबर 1975 से हुआ है। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तथा छोटे उधारकर्ताओं की वित्त संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करना है। ये बैंक सामान्य बैंकिंग कारोबार करते हैं और सिक्किम तथा गोवा को छोड़कर समस्त राज्यों में कार्यरत हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 228 है तथा देश के 427 जिलों में इसकी 14,497 शाखाएं कार्यरत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 22 अक्तूबर 1997 से 25,000 रुपये से दो लाख रुपये तक के उधार पर ब्याज दर स्वयं निर्धारित करने की छूट दी गई है, जबकि पूर्व में इस प्रकार की छूट नहीं थी। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उक्त छूट से और अधिक स्वतंत्रतापूर्वक ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे—ऐसी आशा की जा सकती है।

भूमि विकास बैंक : भूमि विकास बैंक किसानों की भूमि पर स्थायी सुधार करने अथवा पुराने ऋणों का भुगतान करने आदि के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये बैंक किसानों की भूमि बंधक रखकर उन्हें 5 से 25 वर्ष तक की अवधि के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये बैंक ग्रामीणों की भूमि से संबंधित विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपना योगदान देते हैं। इन बैंकों को पहले भूमि बंधक बैंक के नाम से पुकारा जाता था। इन बैंकों के कार्यों में समन्वय रखने तथा इन्हें वित्त प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक कार्यरत हैं।

ग्रामीण विकास हेतु बैंकों की ऋण संबंधी योजनाएं

भारतीय कृषक अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्यत: दो स्रोतों से करते हैं—(अ) गैर-संस्थागत स्रोत, इसके अंतर्गत देशी साहूकार, महाजन, व्यापारी तथा भूस्वामी शामिल किए जाते हैं, (ब) संस्थागत स्रोत, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न सहकारी समितियां, व्यापारिक तथा वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि को शामिल किया गया है।

वर्तमान में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 35,000 शाखाएं तथा सामुदायिक ऋण संस्थानों की 92,000 शाखाएं कार्यरत हैं। बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास मुख्यत: उन्हें सुलभ वित्तीय सहायता प्रदान करके ही किया जाता है। इस दिशा में रिजर्व बैंक तथा शासन के निर्देशानुसार विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जो इस प्रकार हैं :

कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना : यह योजना 15 मई 1980 को प्रारंभ की गई थी जिसके द्वारा भारत सरकार ने किसानों, ग्रामीण कारीगरों तथा बुनकरों को, जो कुटीर ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प तथा बुनाई आदि से संबद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की गतिविधियों में संलग्न थे, अनेक सुविधाएं दी गईं। इन लोगों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण प्राप्त किया। इस योजना के अंतर्गत 316.29 लाख उधार प्राप्तकर्ताओं को 7,744.09 करोड़ रुपये का ऋण राहत प्रदान किया गया। यह योजना 31 मार्च 1991 को समाप्त हो गई।

विभेदी ब्याज दर की योजना : यह योजना ऐसे निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 6,400 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 7,200 रुपये से अधिक नहीं है तथा जिनके पास एक एकड़ सिंचित भूमि या 2.5 एकड़ गैर-सिंचित भूमि से कम का स्वामित्व है। ऐसे व्यक्तियों को 6,500 रुपये की वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना द्वारा प्रदान किए गए कुल अग्रिमों का कम-से-कम 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण : जनवरी 1988 के पश्चात ग्रामीण उधार की एक नई रणनीति अपनाई गई है, जिसे 'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण' के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत ऐसी प्रणाली की अभिकल्पना की गई है जिसमें प्रत्येक बैंक शाखा उत्पादक ऋण के विन्यास के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र में अपने प्रयत्न केंद्रित करे। यह योजना वर्ष 1988-89 से लागू है तथा अब जिले की वार्षिक ऋण योजनाएं इसी आधार पर तैयार की जा रही हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : इसके तहत देश के समस्त विकास खंडों में से निर्धनतम व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष चुनकर बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का कार्य किया जाता है। यह ऋण विभिन्न ग्रामीण क्रियाकलापों के लिए दिया

जाता है, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सके। वर्ष 1992-93 में बैंकों ने इस कार्यक्रम के तहत 20.69 लाख हितग्राहियों को 1,037 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए थे, जबकि वर्ष 1996-97 में 18.89 लाख हितग्राहियों को 1,953 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए।

अग्रणी बैंक योजना : यह योजना मुख्यत: ग्रामीण व्यक्तियों को गरीबी से मुक्त कराने हेतु विविध कार्यों का समन्वित प्रयास है। इसके अंतर्गत देश के सभी जिलों के आर्थिक विकास हेतु सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा कुछ निजी बैंकों के बीच बांटा गया है, जहां वे अपनी शाखाओं को बढ़ाने और ऋण संबंधी सुविधाओं के विस्तार के लिए क्षेत्रीय संभावनाओं तथा क्षमता का पता लगाते हैं। यह अग्रणी बैंक केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रोत्साहन देते हैं।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान : इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान, लघु व्यापार, ग्रामीण हस्तशिल्प आदि को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। खुदरा व्यापार तथा रोजगार के प्रोत्साहन के लिए अकेले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितंबर 1997 तक 2,441.52 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में स्वीकृत किए थे, जो उनके द्वारा स्वीकृत कुल अग्रिमों का 31.1 प्रतिशत था। इस योजना के लागू होने के परिणामस्वरूप ग्रामीण गरीबी में कमी आई है।

बैंकों के योगदान की सार्थकता

उक्त प्रयासों के बावजूद आज भी देश के अनेक गांवों में शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। बेरोजगारी की विकट समस्या विद्यमान है। गरीबी उन्मूलन आज भी हमारे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय विषमताएं आज भी चिंता के मुख्य कारण बनी हुई हैं। इन परिस्थितियों में इन बिंदुओं के आधार पर ग्रामीण विकास में बैंकों के योगदान की सार्थकता स्पष्ट की जा सकती है—

खाद्यान्न में आत्म निर्भरता : नाबार्ड के नेतृत्व में कृषि तथा ग्रामीण साख उपलब्ध कराने में के बैंकों द्वारा अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, आधुनिक कृषि यंत्रों, सिंचाई के साधन, ट्यूबवेल, पंपसेट इत्यादि के लिए ऋण उपलब्ध कराने का ही परिणाम है कि भारतीय कृषक कृषि की नवीन तकनीक की ओर आकर्षित हुए हैं। बैंकों द्वारा कार्यान्वित इन कृषि तथा ग्रामीण साख योजनाओं का ही परिणाम है कि निरंतर बढ़ती हुई आबादी के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है तथा कृषि उत्पादों के निर्यातक देशों के रूप में पहचान बनाई है। सन् 1950-51 की तुलना में 1995-96 में कृषि उत्पादकता (कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खाद्यान्न के उत्पादन में 2.87 गुना, तिलहन के उत्पादन में 1.76 गुना और दलहन के उत्पादन में 1.25 गुना की वृद्धि हुई है।

कृषि के क्षेत्र में यंत्रीकरण तथा सिंचाई सुविधाओं का विकास : बैंकों द्वारा कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उदार साख-सुविधाएं प्रदान करने का ही परिणाम है कि 1951 की तुलना में 1996-97 में कृषि के क्षेत्र में यंत्रीकरण का पर्याप्त प्रयोग संभव हो सका। सन् 1951 में देश में कुल 26,000 विद्युत पंप सेट थे, जबकि 1996-97 में इनकी संख्या 50 लाख हो गई। इसी प्रकार 1951 में ट्रेक्टरों की संख्या मात्र 9,000 थी जो 1996-97 में 25 लाख हो गई है। कृषि के क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर विद्युत की खपत में भी 1950-51 की तुलना में 50 गुने की वृद्धि हो चुकी है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात सिंचाई के साधनों के बढ़ने के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र का भी काफी विस्तार हुआ है। वर्ष 1950-51 में कुल सिंचित क्षेत्र 2.26 करोड़ हेक्टेयर था जो 1995-96 में बढ़कर 7.99 करोड़ हेक्टेयर हो गया अर्थात 1950-51 की तुलना में 1995-96 में सिंचित क्षेत्र में 200 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। इस प्रकार सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु विभिन्न बैंकों ने कृषकों को उदार शर्तों पर ऋण प्रदान कर अपनी भूमिका का निर्वाह किया है।

रोजगार में वृद्धि : ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। इससे ग्रामवासी निर्धन तो बने ही रहते हैं, साथ ही देश भी कमजोर रहता है। गांवों में बेरोजगारी के निवारण के लिए बैंकों द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। युवा ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करने वाली ट्रायसेम योजना के तहत प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को भी बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार द्वारा 1978-79 में प्रारंभ किए गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के संचालन में भी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को भी बैंक विभिन्न प्रकार की वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, डेरी विकास, बागवानी तथा अन्य लघु उद्योग-धंधों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। बैंकों के सहयोग से प्रारंभ की गई लघु तथा कुटीर उद्योग के विकास की परियोजनाओं से कृषि पर जनसंख्या का दबाव पूर्व की तुलना में कम हुआ है।

ग्रामीण विद्युतीकरण में वृद्धि : ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आधारशिला है। आजादी के समय देश के मात्र 1,500 गांव ही विद्युतीकृत थे तथा 1969 में देश के 13 प्रतिशत गांवों में ही विद्युत की सुविधा थी। ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1969 में ही रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर 'ग्रामीण विद्युतीकरण निगम' की स्थापना की गई। आज देश के लगभग 90 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं तथा देश के 13 राज्यों में शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। इस प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण में भी बैंकों का योगदान रहा है।

भूमिहीनों की समस्या कम होना : गांवों में भूमि ही उत्पादन तथा

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का मुख्य साधन है। भूमि के असमान वितरण को संतुलित करने के लिए सरकार द्वारा सीलिंग कानून लागू किया गया जिसके तहत गरीब भूमिहीन व्यक्तियों को अतिरिक्त भूमि वितरित की गई। परंतु यह अतिरिक्त भूमि सामान्यत: निम्न श्रेणी की होती है जिसे उपज योग्य बनाने के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। अत: सरकार ने इन भूमिहीनों के आर्थिक संसाधनों की कमी को देखते हुए 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। परिणामत: भूमिहीनों को भी विकास के अवसर मिले हैं।

गरीबी उन्मूलन में सहायक : बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी को अग्रणी बैंक योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा विशिष्ट योजनाओं द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है।

आर्थिक तथा सामाजिक संतुलन में सहायक : भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में मात्र 10 प्रतिशत कृषक ही ऐसे हैं जो आधुनिक कृषि उपकरणों पर होने वाले व्ययों को स्वयं वहन कर सकते हैं जबकि अधिकांश कृषक जिनके पास छोटे कृषि फार्म हैं, उन्हें आधुनिक कृषि यंत्रों को क्रय करने और उन पर होने वाले अनुवर्ती व्ययों को वहन करने की क्षमता नहीं है। बैंक ऐसे कृषकों को कम ब्याज की दर पर कृषि के लिए उपयोगी सामग्री हेतु ऋण उपलब्ध कराते रहे हैं तथा इस प्रकार बैंक आर्थिक तथा सामाजिक असंतुलन दूर करने में भी अपनी सराहनीय भूमिका अदा करते हैं। ❑

(पृष्ठ 36 का शेष) ग्रामीण विकास और बैंक

लिए भी बैंक पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, डेरी विकास, बागवानी तथा अन्य कुटीर उद्योग धंधों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। बैंकों के सहयोग से प्रारंभ की गई कुटीर उद्योगों के विकास की परियोजनाओं से कृषि पर जनसंख्या के दबाव में कमी आई है।

भूमिहीनों की समस्या का हल : गांवों में भूमि ही उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का मुख्य साधन है। भूमि के असमान वितरण को संतुलित करने के लिए सरकार द्वारा सीलिंग कानून लाया गया जिसके माध्यम से गरीब भूमिहीन जनता को अतिरिक्त भूमि का वितरण किया गया। सीलिंग कानून के अंतर्गत जो जमीन आबंटित की जाती है, वह प्राय: निम्न कोटि की होती है। इससे अच्छी उपज लेने के लिए अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है जो इस वर्ग के लोगों के पास उपलब्ध नहीं होती है। अत: सरकार ने इन वर्गों के लोगों के पास संसाधनों की कमी को देखते हुए बैंकों के माध्यम से 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। फलस्वरूप भूमिहीनों को भी चहुमुखी उन्नति का अवसर मिला है।

आर्थिक तथा सामाजिक संतुलन की स्थापना : भारतीय रिजर्व बैंक के एक सर्वेक्षण के अनुसार 10 प्रतिशत ग्रामीण कृषक ही ऐसे हैं जो महंगे कृषि यंत्रों तथा आधुनिक कृषि प्रणाली के व्यय को वहन कर सकते हैं। अधिकांश कृषक, जिनके पास छोटे कृषि फार्म हैं, वे आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रणाली की लागत तथा रख-रखाव के व्यय को वहन नहीं कर पाते। इन निर्धन कृषकों के लिए कम ब्याज दर पर कृषि के लिए उपयोगी सामग्री हेतु ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों की अग्रणी भूमिका है।

नि:संदेह ग्रामीण समाज में व्याप्त असमानता और असंतुलन को दूर करने में बैंकों ने आशातीत सफलता प्राप्त की है। वस्तुत: आज गांवों के आर्थिक विकास में बैंकों की अहम तथा निर्णायक भूमिका है। ❑

(पृष्ठ 38 का शेष) ग्राम राज्य

पाई थी। लोगों का सिर हर्ष से ऊंचा हो उठा था। संत ने और भी कई जमींदारों से धरती लेकर बांट दी। यह समाचार देश के कोने-कोने में आग की तरह फैल गया।

श्रीकृष्णपुरा वालों ने भी यह समाचार रेडियो द्वारा सुना। श्यामू की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। लोग श्यामू के पास आते थे, बातें करते थे। श्यामू सबकी बातें सुनता और चुप रहता। उसका विश्वास था कि समय अवस्था को अवश्य बदलेगा।

उस रात श्यामू ने स्वप्न देखा कि संत विनोबा उसे रास्ता दिखा रहे हैं। विनोबा जी ने कहा कि 'गांववालों को जगाओ, उनसे अपने भाइयों के लिए धरती मांगो और उसे भूमिहीन किसानों में बांट दो। जो किसान धरती पर हल जोतना चाहते हैं, उन्हें धरती दिलाओ यही एक शांति का मार्ग है।' स्वप्न भंग हो गया। श्यामू को आशा का सूर्य उदय होता दिखाई दिया। उसने पंचायत बुलाई और उनसे अपील की कि वह अपनी सारी की सारी धरती गांव को दे दें। पंचायत उसे बांट देगी। पंचायत का पूरा नियंत्रण रहेगा। धरती सोना उगलेगी। सबसे पहले ठाकुर साहब ने खड़े होकर अपनी सारी धरती गांव पंचायत को दे दी। जब गांव के सबसे बड़े जमींदार ने धरती पर अपना हक छोड़ दिया तो छुटपुटों की तो बिसात ही क्या।

सबने गांव पंचायत को धरती दे दी। श्यामू ने अपना व्रत तोड़ दिया। जनता को अपनी समस्या का हल स्वयं करने पर बधाई दी। लोगों ने उसे फूल-मालाओं से लाद दिया।

धरती का बंटवारा पंचायत ने कर दिया। प्रत्येक हाली के पीछे 10 एकड़ धरती आई। गांव लहलहा उठा। ग्राम की शांति वापस आ चुकी थी। लोग खुश थे क्योंकि उनका चुनाव बहुत सफल रहा था। ❑

ग्रामीण विकास में युवाओं की भागीदारी

हरि विश्नोई*

राष्ट्र-निर्माण हेतु समाज में सर्वाधिक सहज, सक्रिय, सचेष्ट और ऊर्जावान वर्ग होता है—युवाओं का। युवा शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगा कर विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना सरल हो जाता है। यदि हमारे देश के सभी युवा कृतसंकल्प हो जाएं, तो गांवों में सुखद परिवर्तन के सपनों को साकार किया जा सकता है। भारत का इतिहास साक्षी है कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर पूर्ण स्वराज पाने तक युवाओं की भूमिका सदैव सराहनीय और महत्वपूर्ण रही। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात देश को सही दिशा देने के लिए चाहे समाज-सुधार की आवश्यकता रही हो अथवा समाज-सेवा की, हमारा युवा वर्ग सदैव आगे रहा है।

ग्रामीण युवाओं की सहभागिता से ग्रामीण स्वच्छता को सच्चे अर्थों में गांववासियों द्वारा अपनाया जा सकता है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव की चुनौतीपूर्ण जटिलताओं को कम किया जा सकता है। देहातों के लिए उपयुक्त विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के ज्ञान को फैलाया जा सकता है। आय बढ़ाने वाले रोजगार के अवसरों द्वारा ग्रामीण युवा बेकारी तथा निर्धनता के अंधकार को दूर कर सकते हैं। अत: प्रश्न उठता है कि गांवों के समग्र विकास में युवाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए? सामाजिक और आर्थिक संदर्भों में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहन देने की जरूरत है ताकि विकास कार्यों पर वह सब करके दिखाया जा सके, जिसकी अपेक्षा उनसे की जाती है। इस दिशा में ग्रामीण अंचलों में आज युवाओं के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं जिनसे लाभान्वित होकर लाखों युवकों ने प्रगति की है और प्रगति के रथ को विकास पथ पर आगे बढ़ाने का उल्लेखनीय कार्य किया है।

बेकारी से क्या घबराना

युवाओं की अपनी समस्याएं हो सकती हैं। शिक्षा और रोजगार को लेकर उलझनें अक्सर सामने आती रहती हैं लेकिन उन्हें सुलझाया जा सकता है। जरूरत है—सही सोच और सही समझ की, जानकारी बढ़ाने की और सचेष्ट रहने की। सही दिशा में यदि सुनियोजित प्रयास किए जाएं, तो सफलता अवश्य मिलती है। उदाहरण के लिए—युवाओं को रोजगार का अर्थ केवल नौकरी नहीं समझना चाहिए। अपना काम-धंधा भी रोजगार का पर्याय बन सकता है। ग्रामीण युवाओं का बेकारी से निपटने के लिए स्व-रोजगार को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। इस क्षेत्र में अवसर अनंत हैं लेकिन अज्ञानता, उदासीनता और संकोचवश अनेक युवा चल रही योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। नव जागृति तथा चेतना के संचार से यह समस्या दूर हो सकती है।

ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम से 42 लाख युवाओं को लाभ पहुंचा है। इस कार्यक्रम से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लाखों परिवारों के युवाओं को बुनियादी तकनीक और प्रबंध कौशल सुधारने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजारों की किट भी प्रदान की जाती है। दो हजार रुपये मूल्य की यह किट मात्र 200 रुपये में उपलब्ध कराई जाती है ताकि लाभार्थी युवक अपने उत्पादन की गुणवत्ता को सुधार कर आमदनी को बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत भी युवा लाभ उठा सकते हैं। वस्तुत: विवेकशील और कर्मठ युवा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहयोगी हो सकते हैं।

पंजाब-हरियाणा-दिल्ली वाणिज्य और उद्योग व्यापार मंडल द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अगली सदी शुरू होने तक देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ कर 9.40 करोड़ हो जाने का अनुमान है। चूंकि हमारे देश की 74 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, अत: ग्रामीण बेरोजगार श्रमिकों की संख्या में 3.60 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इस चुनौती को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम अब ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम), जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना में वर्ष 1996-97 के लिए क्रमश: 1400,1865, तथा 1970 करोड़ रुपये का अनुदान अनुमोदित था। अगले वार्षिक बजट तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में इन बिंदुओं पर और अधिक धनराशि खर्च होने की आशा है। इस विपुल धनराशि का बेहतर उपयोग हो सकता है, बशर्ते कि हमारे ग्रामीण युवाओं की सहभागिता अधिकाधिक और स्वेच्छा से सुनिश्चित होती रहे।

चल रहे युवा कल्याण कार्य

समाज में युवाओं के महत्व को देखते हुए युवा कल्याण कार्यक्रमों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सन् 1988 में युवाओं के सुनियोजित विकास के लिए राष्ट्रीय युवा नीति लागू की गई थी जो युवा कल्याण की

*क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, संयुक्त गन्ना आयुक्त कार्यालय, बरेली।

दिशा में एक सार्थक कदम कहा जा सकता है। हमारी युवा नीति बहुद्देशीय होने के कारण आज युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में भागीदारी करने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। हमारे संविधान के अनुसार यद्यपि युवा-कल्याण, राज्यों का अपना विषय है और विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में युवाओं के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाती हैं लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भी युवाओं को बढ़ावा देने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय युवा समिति के अंतर्गत दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पचास सदस्यों की एक समिति राष्ट्रीय स्तर पर युवा कार्यक्रमों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। जो कार्य पहले राष्ट्रीय युवा परिषद द्वारा किए जाते थे, वे अब इस समिति द्वारा किए जाते हैं। युवा कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर की यह समिति चार प्रमुख कार्य करती है:

- युवा नीति निर्धारण करना तथा आवश्यक सुझाव देना।
- राष्ट्रीय युवा नीति की कार्य योजनाओं के लिए सलाह देना।
- केंद्र/राज्य सरकारों, विभिन्न विभागों तथा स्वयंसेवी संगठनों के कार्यों की समीक्षा।
- राष्ट्रीय युवा कार्यक्रमों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना।

हमारे देश में युवा-शक्ति का उपयोग ग्रामीण विकास के क्षेत्र में करने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले उन्हें संगठित किया जाए, फिर उनके सामने सुस्पष्ट कार्यक्षेत्र तथा कार्य योजना हो और समुचित मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाए ताकि युवाओं की सहभागिता सार्थक हो।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एन.एस.)

राष्ट्र हित में चल रही इस योजना के अंतर्गत युवाओं द्वारा स्वेच्छा से राष्ट्र सेवा से संबंधित कार्य किए जाते हैं। देश भर के 1264 लाख युवा इसके तहत अपनी सेवा दे रहे हैं। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगा कर छात्रों द्वारा साक्षरता, श्रमदान, पर्यावरण संरक्षण, जन स्वास्थ्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विकास कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है। ग्रामवासियों को आवश्यक जानकारी दी जाती है तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्कूल, कालेजों में पढ़ने वाले युवक, युवतियों को गांव में जाकर रहना होता है तथा अपना कुछ समय राष्ट्र सेवा में व्यतीत करना होता है जिससे युवाओं में राष्ट्रीय भावना का संचार होता है तथा चल रहे विकास कार्य की गति तेज होती है। विकास कार्यों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं के कल्याण को बढ़ावा देना आवश्यक है।

अन्य गतिविधियां

युवाओं के लिए देश भर में चल रही गतिविधियों में समन्वय तथा उनकी निगरानी के उद्देश्य से शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की स्थापना श्रीपेरम्बदूर (तमिलनाडु) में की जा रही है। यह संस्थान युवाओं को प्रशिक्षित करने के संबंध में गतिरोध दूर करने का कार्य भी करेगा।

ग्रामीण युवाओं को संगठित करने तथा उनकी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाने की दिशा में नेहरू युवा केंद्रों ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। ग्रामीण युवाओं के व्यक्तित्व में निखार, कौशल तथा क्षमताओं में वृद्धि करने और उन्हें जागरूक बनाने में इन केंद्रों ने अच्छा कार्य किया है। देश भर में 476 नेहरू युवा केंद्र विभिन्न जिलों में कार्य कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत युवा संगठनों द्वारा जिन दस ग्रामों में काम किया जाता है उनका प्रमुख केंद्र होता है—युवा विकास केंद्र। यह केंद्र मुख्य रूप से युवा क्लब और जिला नेहरू युवा केंद्रों के बीच तालमेल बैठाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त देश भर के प्रमुख शहरों में यूथ होस्टल की योजना भी चल रही है, जिसके अंतर्गत पर्यटन तथा भ्रमण द्वारा ज्ञानार्जन करने के लिए युवाओं की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। देश भर में अब तक 41 यूथ होस्टल, केंद्र तथा राज्य सरकारों के सहयोग से बनाए जा चुके हैं। यूथ होस्टल में युवाओं के लिए आवास तथा भोजन आदि की सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। ग्रामीण युवाओं को भी इस प्रकार की योजनाओं से लाभ उठाना चाहिए।

राष्ट्रीय खेल नीति के अंतर्गत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को भी आगे आने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। इसी बात का सुपरिणाम है कि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक प्रतिभाएं खेलकूद के क्षेत्र में आगे निकली हैं। अब तक कुश्ती, कबड्डी, फुटबाल, खोखो, तीरअंदाजी तथा वालीबाल आदि खेलों में अनेक ग्रामीण खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। युवाओं के सर्वांगीण विकास में शिक्षा और रोजगार के साथ स्वास्थ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। अत: खेलकूद पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है ताकि हमारे ग्रामीण युवा स्वस्थ और खेल की भावना से अपने क्षेत्र के विकास की गति को तेज करने में सहायता करें। ❑

पाठकों के विचार

इस पत्रिका में *पाठकों के विचार* स्तंभ में पाठकगण ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर अथवा इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर अपने विचार भेज सकते हैं। ये विचार दो सौ शब्दों से अधिक के न हों और सम्पादक, कुरुक्षेत्र, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेजे जाएं।

इसके लिए कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा परंतु उन पाठकों की पत्रिका की एक प्रति भेजी जाएगी जिनके विचार इस स्तंभ में प्रकाशित होंगे।

—सम्पादक

दुग्ध
सहकारी

आर.एन.7708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एल) 12057/98
आई.एस.एस.एन. 0971-8451
पूर्व भुगतान के बिना डी.पी.एस.ओ. दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन) 55

R.N./708/57
P&T Regd. No. D (DL) 12057/98
ISSN 0971-8451
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at DPSO, Delhi-54

श्रीमती सुरिन्द्र कौर, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित। मुद्रक तारा आर्ट प्रेस, बी-4 हंस भवन, नई दिल्ली-110002. प्रकाशन स्थान : 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001. सम्पादक : बलदेव सिंह मदान